खण्ड ९ — अंक ८
२३ नवम्बर, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ८, १९५६

(१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 29.11.93
ment Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग १ — वाद-विवाद, खंड ८—१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६ — **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १०, १२ से १४, १६ से १९, २१, २२, २४, २६ से २८, ३०, और ३२ ... १–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११, १५, २०, २३, २५, ३१ और ३३ से ३८ ... २६–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ और ३ से २४ ३१–४०

दैनिक संक्षेपिका ४१–४२

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ८०, ४१, ४३ से ४७, ४९ से ५५ और ५७ ४३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४८, ५६, ५८ से ६३, ६५, ६७ से ७९ और ८१ से ८६ ... ... ६३–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ७६ ... ... ७२–९४

२२-३-१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर की शुद्धि ९४

दैनिक संक्षेपिका ९५–९८

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७, ८८, ९२, ९४ से ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०९ से ११५ और ११७ से १२० ... ... ९९–१२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९, ९०, ९१, ९३, ९७, १०७, १०८, ११६ और १२१ से १३६ ... ... १२१–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से ११० १२८–३९

दैनिक संक्षेपिका १४०–४२

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १३८, १४०, १४३ से १४७, १४९ से १५१, १५३ से १५६, १५८, १५९, १६२ से १६४, १६७ से १७१ और १७३ — १४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४२, १४८, १५२, १५७, १६०, १६१, १६५, १६६, १७२ और १७४ से १९१ ... — १६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १११ से १३९ — १७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ... — १८८–९१

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९४, १९६, १९७, १९९ से २०२, २०४, २०८, २१०-क, २१२, २१३, २१६ से २१८, २२० और २२१ — १९१–२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९५, १९८, २०३, २०५ से २०७, २०९, २१० २११, २१४, २१५, २१९ और २२२ से २४२ — २१२–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७४ ... — २२२–३८

दैनिक संक्षेपिका — २३९–४१

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४४, २४६, २४७, २५०, २५१, २५४, २५५, २५७ से २६१, २६५, २६६, २६८, २७० से २७२, २७५ और २७७ से २७९ — २४३–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २४८, २४९, २५२, २५३, २५६, २६२ से २६४, २६७, २६९, २७३, २७४, २७६ और २८० से २८२ ... — २६६–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ और १७७ से २१३ ... — २७२–८४

दैनिक संक्षेपिका ... ... — २८५–८८

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८३, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९५, २९७, ३०२, ३०५, ३०७ से ३१०, ३१४ से ३१६, ३१९, ३२६ से ३२८ २९३ और ३२९ ... ... — २८९–३१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८४, २८५, २८७, २८९, २९१, २९६, २९८ से ३०१, ३०३, ३०४, ३११ से ३१३, ३१७, ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ और ३२५ — ३१०–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ और २१६ से २४१ ... ... — ३१९–२८

दैनिक संक्षेपिका ... ... — ३२९–३१

	पृष्ठ
अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ से ३३७, ३४० से ३४२, ३४४, ३४७, ३५१ से ३५३, ३५५, ३५७ और ३५८	३३३—५३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३३९, ३४३, ३४५, ३४८ से ३५०, ३५४, ३५६ और ३५९ से ३८४ ...	३५३—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २८५ और २८७ से २९५	३६५—८४
दैनिक संक्षेपिका	३८५—८८
अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८५, ३८६, ४२१, ३८७ से ४०२, ४०४ और ४०६	३८९—४१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१३, ४१५ से ४२० और ४२२ से ४३७	४१०—२०
अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३४५	४२०—३८
दैनिक संक्षेपिका ...	४३९—४२
अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४४०, ४४२ से ४४५, ५०१, ४४६, ४४७, ४५१ ४५२, ४५५ से ४५८, ४६२ से ४६४ और ४६६	३४३—६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४३९, ४४१, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५४, ४५९ से ४६१, ४६५, ४६७ से ४८७, ४८९ से ५०० और ५०२ से ५०९	४६५—८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३७४ और ३७६ से ३८२ ...	४८३—९६
दैनिक संक्षपिका	४९७—५००
अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१०, ५११, ५१३ से ५१९, ५२२ से ५२६, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५ और ५४६	५०१—२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१२, ५२०, ५२१, ५२९, ५३१ से ५३४, ५३६ से ५३८, ५४१, ५४४, ५४७ से ५७९ और ५८१ से ५८७	५२३—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४३६	५४१—६४
तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ दिनांक २८-५-१९५६ के उत्तर की शुद्धि	५६४
दैनिक संक्षेपिका	५६५—६८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ से ६००, ६०३ से ६०५, ६०८, ६०९, ६११ और ६१३ ... ... ५६९–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ६०१, ६०२, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३ से ६२६, और ६२८ से ६३१ ... ... ५८९–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४७१ ५९७–६०८

दैनिक संक्षेपिका ... ६०९–११

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ से ६३६, ६३८, ६३९, ६४२ से ६४७, ६५४, ६५६, ६५८, ६६१, ६६३, ६६५ और ६६६ ... ... ६१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८ से ६५२, ६५५, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४ और ६६७ से ६७६ ... ६३५–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ से ४९५ ६४१–५१

दैनिक संक्षेपिका ६५२–५४

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६८५, ६८७ से ६९०, ६९३, ६९४, ६९८, ६९९, ७०१, ७०५, ७०८, ७१०, ७११, ७१३, ७१४, ७१६ और ७१७ ६५५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ से ६७९, ६८६, ६९१, ६९२, ६९५ से ६९७ ७००, ७०२ से ७०४, ७०६, स ७०७, ७०९, ७१२, ७१५ और ७१८ से ७४० ... ... ६७७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से ५३१ और ५३३ से ५५८ ६९०–७१४

दैनिक संक्षेपिका ७१५–१८

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४५, ७४६, ७४८ से ७५१, ७५४, ७५६, ७५८, ७६० से ७६४, ७६६, ७६८ और ७६९ ... ७१९–४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ७४०–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४७, ७५२, ७५३, ७५५, ७५७, ७५९, ७६५, ७६७ और ७७० से ८१२ ... ... ७४२–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५९ से ५८८ और ५९० से ५९६ ७५८–७१

दैनिक संक्षेपिका ७७२–७५

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ७१६, ८२०, ८२४, ८२६, ८२७, ८३०, ८३१, ८२९, ८३४, ८३९, ८४१ से ८४३, और ८४५ से ८४७ ७७७–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३, ८१७, ८१९, ८२१ से ८२३, ८२५, ८२८, ८३२, ८३३, ८३५ से ८३८, ८४०, ८४४, ८४९ से ८६८, ६४०, ६५३ और ६६२ ... ... ८००–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९७ से ६०६, ६०८ से ६५१ और ६५३ से ६६८ ८१२–३९

दैनिक संक्षेपिका ८४०–४३

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ से ८७१, ८७६, ८७८, ८८० से ८८२, ८८५ से ८८८, ८९०, ८९२, ८९६, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७ और ९१५ ८४५–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८७५, ८७७, ८७९, ८८३, ८८४, ८८९, ८९१, ८९३, ८९४, ८९७ से ९०२, ९०५, ९०८ से ९१४ और ९१६ से ९२६ ८६५–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७१५ ... ८७८–९४

दैनिक संक्षेपिका ८९५–९८

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ से ९३०, ९३३ से ९३८, ९४२, ९४५, ९४६, ९५७, ९४७, ९४९, ९५०, ९५२ और ९६३ ... ८९९–९२२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ और ३ ... ९२२–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९३१, ९३२, ९३९ से ९४१, ९४३, ९४४, ९४८, ९५१, ९५३ से ९५६, ९५८ से ९६२ और ९६४ से ९६६ ... ९२५–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ से ७६२ ९३२–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ९४९–५१

अंक १९—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ से ९७०, ९७५ से ९८३, ९८५, ९८६ और ९८८ से ९९१ ९५३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से ९७४, ९८४, ९८७ और ९९२ से १०१७ ... ९७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ८१४ ९८६–१००८

दैनिक संक्षेपिका ... १००९–१२

अंक २०—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०२०, १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३ से १०३६, १०३९ से १०४१, १०४४, १०४५, १०४७ और १०५१ ... ... १०१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०१९, १०२१, १०२३, १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३७, १०३८, १०४२, १०४३, १०४६, १०४८ से १०५० और १०५२ से १०७३ ... ... १०३५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१५ से ८२० और ८२२ से ८५३ ... ... १०४७–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १०६२–६४

M20LSD—190—25-3-1958—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तिन्नेवेली में रेलवे डिवीज़न

†*३३१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार को मद्रास राज्य के तिन्नेवेली/रामनद ज़िले की जनता की ओर से तिन्नेवेली में एक रेलवे डिवीज़न बनाने का अनुरोध करने वाला कोई अभ्यावदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की परीक्षा कर ली है और क्या कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) निर्णय यह किया गया है कि तिन्नेवली जिस डिवीज़न में सम्मिलित है उसका प्रधान कार्यालय मदुरै में रखा जाये ।

दिल्ली में मैडीकल कॉलेज

†*३३२. + **श्री गिडवानी** :
श्री चट्टोपाध्याय :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक दूसरा मैडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अब कोई पक्का निर्णय कर लिया गया है;

(ख) देश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या यह संख्या पर्याप्त मान ली गई है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ख) मैडीकल कॉलेजों की संख्या ४४ है । सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार इन कॉलेजों में प्रतिवर्ष ३,६०० विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं । इन कॉलेजों में इस समय शिक्षा पा रहे विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के सम्बन्ध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

†**श्री गिडवानी** : दिल्ली के इस प्रस्तावित कॉलेज में कितने विद्यार्थी दाखिल किये जायेंगे ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था में एक मैडीकल कॉलेज है जिसमें ४० विद्यार्थी लिये जाते हैं ।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : दिल्ली में एक दूसरे मेडीकल कॉलेज की स्थापना करने और उसके लिये सभी सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार करते समय क्या इस बात पर विचार नहीं किया जायेगा कि इसकी अपेक्षा तो देश के किसी ऐसे भाग में जहां कि मेडीकल कॉलेज है ही नहीं, एक कॉलिज स्थापित करने से क्या देश को अधिक लाभ नहीं होगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, इस समय, छै स्थानों पर नये मेडीकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव हमारे पास हैं । दिल्ली का यह प्रस्तावित मेडीकल कॉलेज तभी स्थापित किया जायेगा जब कि लेडी हार्डिंग मेडीकल कॉलेज सह-शिक्षा आरम्भ करने के लिये तैयार नहीं होगा । अन्यथा, इर्विन अस्पताल के साथ जुड़ा हुआ एक मेडीकल कॉलेज स्थापित किया जायेगा ।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में एक अखिल भारतीय मेडीकल कॉलेज स्थापित किया जाने को है । क्या उस कॉलेज में अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के अतिरिक्त स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को दाखिल करने का प्रस्ताव है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह तो भैषणिक विज्ञान की एक अखिल भारतीय संस्था है । यह एक स्नातकोत्तर संस्था है । हालांकि यह संस्था स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये है, फिर भी हमें प्रशिक्षण के लिये कुछ अवर-स्नातक विद्यार्थियों को भी लेना पड़ता है ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : गौतम नगर के पास की चिकित्सा संस्था कब तक बन कर तैयार हो जायेगी, और उसमें कितने विद्यार्थी लिये जायेंगे ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मुझे पता नहीं गौतम नगर कहां है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अखिल भारतीय संस्था के पास, सफदर जंग अस्पताल के पास । माननीय सदस्या गौतम नगर में ही रहती हैं ।

†**श्री अच्युतन** : माननीय मंत्री ने कहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में कई नये मेडीकल कॉलेज खोले जाने को हैं और दिल्ली कॉलेज के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है । क्या अन्य कॉलेजों के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है, और क्या नये केरल राज्य में भी कोई कॉलेज खोला जाने वाला है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : करल राज्य क लिय नये मेडीकल कॉलेज के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इस संस्था के लिये भर्ती किये जा रहे कर्मचारियों का मानदण्ड उस महत्वपूर्ण स्तर का नहीं है जिसके लिये कि हमने इस संस्था की स्थापना की है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इस संस्था के लिये प्रोफेसरों का चुनाव विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा किया जा रहा है। मैं नहीं समझती कि उसके सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : माननीय मंत्री ने जिन स्थापित नये कॉलेजों का उल्लेख किया है, वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : पांडचेरी में तो एक स्थापित किया भी जा चुका है। अन्य कालेज कानपुर, जामनगर, रांची और भोपाल में रहेंगे। केरल राज्य के कॉलेज के सम्बन्ध में अभी विचार किया जा रहा है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : माननीय उपमंत्री ने भारत भर के मेडीकल कॉलेजों में प्रविष्ट किये गये विद्यार्थियों की संख्या बताई। क्या सरकार जानती है कि गत दो वर्षों में कुछ निजी मेडीकल कॉलेज स्थापित किये गये हैं और इन कॉलेजों में दाखिला पाने की एक शर्त यह भी है कि प्रत्येक विद्यार्थी को कॉलेज के लिये ३,००० से ५,००० रुपयों तक का अंशदान करना चाहिये ? क्या सरकार इसका अनुमोदन करती है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हम वास्तव में ऐसी बातों का अनुमोदन नहीं करते हैं। एक ऐसा कॉलेज उदीप्पी में स्थापित किया गया है। हम उसकी बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहे हैं ।

सैलम-बंगलौर रेलवे लाइन

†*३३३. { **श्री त० ब० विट्ठल राव** : + **श्री सैं० वें० रामस्वामी** : **श्री च० रा० नरसिंहन्** : }

क्या **रेलवे** मंत्री २८ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित सैलम-बंगलौर मीटर गेज रेलकड़ी का इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम स्थान-निर्धारण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) यह वर्तमान सर्वेक्षण प्रतिवेदन के जांच परिणाम पर निर्भर है।

(ग) बहुत कठिन प्रदेश में होकर १२४ मील की दूरी का सर्वेक्षण पूरा करने में समय लगता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह सर्वेक्षण कब आरम्भ किया गया था और अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : २५ जुलाई, १९५५ को सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई थी और क्षेत्रीय कार्य २७ फरवरी, १९५६ को आरम्भ किया गया था ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सरकार को कब तक प्रतिवेदन मिलने की आशा है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमें आशा है कि जुलाई, १९५७ तक मिल जायेगा ।

पाकिस्तान से सिंधी गायों का आयात

†*३३४. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से सिंधी गायों के भारत में आयात करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या १ जुलाई, १९५६ से अब तक कोई गायें आयात की गई हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या भारत में हमारे पास जो सिंधी गायें हैं उनकी नस्ल सुधारने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : हम समझते हैं कि ऐसा किया जा रहा है । हम नस्ल सुधारने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या पाकिस्तान से गायें खरीदने से पूर्व, यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि क्या ओंगोल गायें आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी अथवा नहीं ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : हमारे पास ओंगोल गाये हैं । उस नस्ल के बैलों और गायों की नस्ल सुधारी जा रही है । भारत में तीन नस्लों की कमी है । इसी कारण हम इन्हें पाकिस्तान से लाना चाहते हैं ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : भाग (क) का उत्तर साकारात्मक होने की दृष्टि से, और विशेषत: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण भारत में दूध देने वाली गायों की बहुत मांग है, पाकिस्तान से सिंधी गायें आयात करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : हम बहुत समय से पाकिस्तान सरकार से पत्र-व्यवहार करते रहे हैं । आखिर अब यह प्रतीत होता है कि वह हमें कुछ बैल और कुछ गायें देने के लिये तैयार हो जायेगा ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या सरकार जरजी गायों की नस्ल को प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है जो कि अधिक दूध और अधिक मक्खन देती हैं, जबकि दूसरी नस्ल की गायें अधिक दूध और कम मक्खन देती हैं ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : हमारे पास इन सभी नस्लों की गायें हैं और हम उनकी देख-भाल करने की चेष्टा कर रहे हैं ।

नौवहन

†*३३५. + **श्री गिडवानी** :
सरदार इक़बाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे गये नौवहन सम्बन्धी लक्ष्य का पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित प्रस्थापनाएं क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे गये नौवहन सम्बन्धी लक्ष्य को पुनरीक्षित करने की इस समय कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री गिडवानी** : हमारे समुद्री व्यापार और वाणिज्य पर, जो गैर-भारतीय नौवहन पर निर्भर करता है, स्वेज़ संकट से क्या प्रभाव पड़ा है और क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है और क्या किन्हीं उपचारों के सम्बन्ध में विचार किया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उससे यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह नौवहन लक्ष्यों के बारे में पूछ रहे हैं ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : उन्होंने यही प्रश्न पूछा है । वे स्वेज़ नहर संकट का प्रभाव जानना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को एक और प्रश्न प्रस्तुत करना चाहिये ।

†**सरदार इक़बाल सिंह** : क्या सरकार ने जहाज़ों के आशा अन्तरीप की ओर से आने के परिणाम पर विचार किया है, क्या सरकार को और जहाज़ों की आवश्यकता होगी और इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार द्वितीय योजना के लक्ष्य को पुनरीक्षित करने के लिये तैयार है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमें आशा है कि यह स्वेज़ नहर संकट बिल्कुल अस्थायी समस्या है और शीघ्र ही हमारी किसी भी मूल योजना पर प्रभाव डाले बिना जल्दी ही समाप्त हो जायेगा ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार ने अमेरीका और अन्य देशों से जहाज़ खरीदने के लिये कोई वार्तायें की हैं, और यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमने कई सरकारों से वार्तायें की हैं । यदि माननीय सदस्य उन देशों के नाम जानना चाहते हैं जिनको आर्डर दिये गये हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं बाद में जानकारी दे सकता हूं ।

†**श्री कासलीवाल** : भिलाई इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में सोवियत रूस और भारत के मध्य यह एक करार था कि हमारा एक जहाज़ जाकर मशीनें लायेगा और उनका भी एक जहाज़ यही काम करेगा, परन्तु अब दिखाई देता है कि आठ जहाज़ आ रहे हैं और हमारे केवल दो जहाज़ मशीनें लेने गये हैं । क्या सरकार इसे ठीक करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न योजना के सामान्य लक्ष्य के सम्बन्ध में है, और पूछा यह जा रहा है कि एक समवाय विशेष की मशीनें किस प्रकार लाई जाने को हैं । मैं इसे संगत नहीं समझता हूं । तो भी, यदि माननीय मंत्री उत्तर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं ।

†**रलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मुझे कुछ देर हो गई । मैं सुन नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि भिलाई संयंत्र के लिये अपेक्षित मशीनें लाने के हेतु भारत और रूस के बीच पारस्परिक प्रबन्ध व्यवस्था है, कि रूस को समान संख्या में दोनों ओर से जहाज़ भेजे जायेंगे अर्थात् दोनों ओर से एक-एक । रूस ने आठ भेजे हैं, हम केवल दो भेज रहे हैं । हम कमी को कैसे पूरा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रजी में ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: हमारे लिये समान संख्या में जहाज़ भेजना अनिवार्य नहीं है। हम आपस में सामान्यतः इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों ओर से समान संख्या में जहाज़ भेजे जायेंगे। इस समय हमारे पास पर्याप्त जहाज़ नहीं हैं। हमने गैर-सरकारी नौवहन समवायों स भी, यदि सम्भव हो, तो कुछ जहाज़ रूस भेजने को कहा है। वे ऐसा नहीं कर सके हैं। अतः हम प्रयत्न कर रहे हैं, और जैसे ही हमें और जहाज़ मिलेंगे तो हम निश्चय ही रूस को और जहाज़ भेजेंगे।

†**सरदार इक़बाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार या गैर-सरकारी समवायों द्वारा जहाज़ों के लिये दिये गये आर्डर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों से कहीं कम हैं, क्या सरकार ने पुराने जहाज़ों को खरीदने के लिये कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो किस प्रकार और किस सीमा तक ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वार्ता करके आर्डर देना अथवा पुराने जहाज़ खरीदना कोई सुगम कार्य नहीं है। हम पुराने जहाज़ खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु उन्हें खरीदते समय हमें बहुत सतर्क रहना होता है क्योंकि हम सभी प्रकार के पुराने जहाज़ नहीं खरीद सकते हैं। दस वर्ष पुराने जहाज़ के लिये तो विचार किया जा सकता है, परन्तु केवल दस वर्ष पुराने जहाज़ खरीदना ही सुगम नहीं है। हमें ऐसे जहाज़ दिये जा रहे हैं जो १५ या २० वर्ष पुराने हैं।

परन्तु मैं माननीय सदस्य और सभा को यह सूचित कर दूं कि हमने हाल ही में अपने नौवहन महानिदेशक को इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, यूगोस्लाविया और अन्य स्थानों को भेजा था, और हमारे तथा गैर-सरकारी समवाय के लिये कोई ३६ करोड़ रुपये के आर्डर देना सम्भव हो सका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नौवहन के लिये ३७ करोड़ रुपये नियत किये गये हैं और सभा को यह जान कर हर्ष होगा कि सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योग ने ३६ करोड़ रुपये के मूल्य के आर्डर, जो कि प्रायः पूरी राशि है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के ६ मास में दिये हैं।

†**सरदार इक़बाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ जहाज़ अमरीका के समुद्री रक्षित जहाज़ों में से निकाले जाते हैं, क्या भारत सरकार ने इन जहाज़ों को लेने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमने इसके लिये प्रयत्न किया था, और वहां स्थित हमारे राजदूत ने भी प्रयत्न किया था और अमरीका की सरकार से चर्चा की थी, परन्तु कोई विधान अमरीका के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिसके बिना उसे उन जहाज़ों को हमें दना सम्भव नहीं था। उसने अनुभव किया कि आने वाले निर्वाचनों को, अर्थात् उन निर्वाचनों को जो अभी हुए हैं, ध्यान में रखते हुए उसके लिये कोई विधान प्रस्तुत करना सम्भव नहीं था।

दर तथा लागत समिति

†*३३६. { **श्री बहादुर सिंह**[+] :
श्री झूलन सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ४ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९३१ के उत्तर के सम्बन्ध में इस ब्योरे को दिखाने वाले एक विवरण को सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

†मूल अंग्रेजी में।

(क) दर तथा लागत समिति की वह सिफारिशें (जो कि उस के प्रतिवेदन के भाग १ में दी गई हैं) जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिये की गई कार्यवाही ।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). दर तथा लागत समिति के प्रतिवेदन के समूचे भाग १ पर उसमें दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय किये जाने से पूर्व अगली सिंचाई और विद्युत् गोष्ठी में चर्चा करने का विचार है । तो भी कुछ सिफारिशें उन विषयों के सम्बन्ध में हैं जिन पर सरकार पहले ही विचार कर चुकी थी और जिन पर अन्य समितियों आदि की सिफारिशों के फलस्वरूप कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी थी । प्रासंगिक सिफारिशें और उन पर की गई कार्यवाही लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिखाई गई हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१]**

†**श्री बहादुर सिंह** : विभिन्न परियोजनाओं पर इस समय प्रचलित दरों में विभिन्नता होने के क्या कारण हैं, और कोई एक समान लागत नियंत्रण रखने के लिये क्या किया गया है ?

†**श्री हाथी** : विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वस्तुओं की दरों में विभिन्नता होने का कारण वास्तव में उन स्थानों विशेष की स्थानीय परिस्थितियां हैं । उदाहरण के लिये, इसका कारण परिवहन भी हो सकता है । फिर यह अन्तर वस्तु विशेष के कारण भी होता है । उदाहरण के लिये, खुदाई का काम जमीन की किस्म इत्यादि पर निर्भर होता है । इसलिये प्रत्येक मद विशेष के लिये कोई एक समान दर रखना सम्भव नहीं है, परन्तु किसी स्थान विशेष की विभिन्न परिस्थितियों को देख कर हम यह अनुमान कर सकते हैं कि दर क्या होनी चाहिये ।

†**श्री बहादुर सिंह** : क्या मैं मुख्य मशीनों, जैसे फावड़ों, ड्रैगलाइनों, ट्रैक्टर डोज़रों और विभिन्न कार्य अवस्थाओं में काम कर रहे मोटर चालित स्क्रेपरों, के प्रमाप उत्पादन सम्बन्धी समिति द्वारा आगणित आंकड़ों तथा प्रत्येक प्रकार की मशीनरी की प्रति घन्टा कार्य-दरों के आंकड़ों को जान सकता हूं ?

†**श्री हाथी** : निवेदन है कि रिपोर्ट पुस्तकालय में रख दी गई है, और यदि माननीय सदस्य उसका अध्ययन करें तो यह सब बातें उसमें मिल जायेंगी ।

†**श्री बहादुर सिंह** : नदी घाटी परियोजनाओं को केन्द्रीय विषय बनाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये समिति के सुझाव पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैंने उत्तर में उल्लेख किया है कि समूची रिपोर्ट पर होने वाली गोष्ठी में विचार किया जाने को है, इसलिये इस पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

रेलवे प्रतिकर दावे

†*३३७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस दावा आयुक्त ने, जिसे २ सितम्बर, १९५६ को जडचारला और महबूब नगर के बीच हुई ५६५ डाउन गाड़ी की दुर्घटना के परिणामस्वरूप किये गये सभी क्षतिपूर्ति दावों की जांच करने और उनका निर्णय करने के लिये नियुक्त किया गया था, अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त हुए दावों की संख्या क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) हां, ११-१०-१९५६ से।

(ख) ४७।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्लेम्स (दावों) का ताइउन किस तरह किया जाता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : एक क्लेम कमिश्नर (दावा आयुक्त) मुकर्रर कर दिये जाते हैं जिनके सामने जिस-जिस को क्लेम रखना होता है वह अपना क्लेम रखते हैं और वह जो फैसला फरमाते हैं उसी को कबूल किया जाता है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: क्या मैं जान सकता हूं कि जो क्लेम फैसले हुए हैं उनमें बेवाओं के क्लेम्स को कोई खास रियायत की गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह तो क्लेम कमिश्नर साहब के ऊपर मुनहसिर करता है कि वह किस क्लेम के बारे में क्या फैसला करते हैं। बेवाओं ने कितने क्लेम दिये हैं इसका मुझे इल्म नहीं है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल कितनी रकम की मंजूरी की गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : कोई खास रकम तो ताइउन नहीं की जाती लेकिन कानून के मुताबिक किसी एक आदमी के लिये दस हज़ार से ज्यादा नहीं दे सकते। वह लिमिट (सीमा) है।

श्री जनार्दन रेड्डी : क्या यह सही है कि जो क्लेम पेश किये जाते हैं उनकी बराबर सुनवाई नहीं हो रही है। आनरेबल मिनिस्टर इसका यक़ीन दिलाते हैं कि सबके साथ इन्साफ होगा फिर भी ऐसा क्यों होता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हमारा ख्याल है कि हमारी जो जूडीशियरी (न्यायपालिका) है वह दुनिया के बेहतरीन जूडीशियरियों में से है और हमारे जो आफिसर्स (अधिकारी) हैं या जजेज़ (न्यायाधीश) हैं वे हमेशा इन्साफ करत हैं।

मलेरिया

†*३४०. **श्री साधन गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संस्था की प्रादेशिक समिति के नवम सत्र ने १९६१ तक दक्षिण पूर्वी एशिया से मलेरिया को समाप्त करने की योजना को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना भारत पर किस प्रकार लागू होती है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) विश्व स्वास्थ्य संस्था की प्रादेशिक समिति ने अपने नवम सत्र में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षत्र से, प्रत्येक देश की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, यथासम्भव कम से कम समय में, मलेरिया का उन्मूलन करने सम्बन्धी प्रयोगात्मक सुझावों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

(ख) भारत ने उन्मूलन के अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करने की बात को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या इन सिद्धान्तों को स्वीकार करते समय खर्च का भी कोई अन्दाजा लगाया गया है; और यदि हां, तो हमारे देश को उस व्यय के कितने भाग को वहन करना होगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यदि यह उन्मूलन कार्यक्रम है, तो दोनों योजना अवधियों के लिये यह व्यय कोई ६३·२४ करोड़ रुपये होगा; और जो कुछ भी हम अब कर रहे हैं उसके अनुसार कोई

†मूल अंग्रजी में।

११·३७ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, और नियन्त्रण कार्यक्रमों के लिये टी० सी० एम० द्वारा दिया गया सामान और उपकरण कोई ७·०९ करोड़ रुपये के थे।

†**श्री साधन गुप्त** : इस खर्चे का कितना भाग विदेशी साधनों के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संस्था से प्राप्त होगा, अथवा यह सारा खर्चा हमें अपने ही संसाधनों से वहन करना होगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : पिछले एक प्रश्न के अपने उत्तर के एक भाग में मैंने कहा था, कि हमारा अंशदान ११·३७ करोड़ रुपये था और ७·०९ करोड़ रुपये का टी० सी० एम० का सामान था जिसमें उपकरण तथा कीटनाशक सम्मिलित थे और २७ करोड़ रुपये दूसरी योजना अवधि के हेतु व्यवस्था करने के लिये थे।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि यदि हमने इस उन्मूलन कार्यक्रम को अपनाया तो भारत सरकार का इस पर क्या खर्चा होगा। यह उसी आधार पर होगा जैसा कि अब नियन्त्रण कार्यक्रम के सम्बन्ध में विदेशी सहायता के अनपेक्ष हो रहा है। मैं इस समय ठीक-ठीक आंकड़े तो नहीं दे सकती हूं, परन्तु यह सभी विदेशी सहायता कार्यक्रम एक निश्चित खास आधार पर चलाये जाते हैं और उसी आधार पर चलाये जाते रहेंगे।

दूसरे देशों को खाद्यान्नों का सम्भरण

†*३४१. { +**श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री विश्व नाथ राय :
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी दूसरे देश से भी भारतीय खाद्यान्नों की कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उनका सम्भरण करना स्वीकार किया है ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां।

(ख) केवल कुछ ही देशों को।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जिन देशों से मांग की गई है और जिन्हें हमने सहायता दी है उनके नाम क्या हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमें लगभग सात देशों से खाद्यान्नों के लिये आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से हम केवल तीन की सहायता कर सके थे, उनके नाम हैं : सउदी अरब, माल द्वीप और पाकिस्तान।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन देशों को जितने खाद्यान्नों का निर्यात किया जाने को है उसका रुपयों में मूल्य क्या है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : पाकिस्तान को हमने १७,००० टन चावल ऋण के रूप में दिया है जिसे वह वापस करने वाला है और ५,००० टन उपहार के रूप में दिया है। सउदी अरब को हमने १,००० टन दिया है, और ९,००० टन और देना है। माल द्वीप को हमने १,१०० टन चावल दिया है। चावल का मूल्य किस्म के अनुसार कोई ४०० से ५०० रुपये प्रति टन होगा।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या चावल का निर्यात किया जा रहा है, और यदि हां, तो किस किस्म का चावल इन देशों को निर्यात किया जाता है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : अब नहीं, हमने इस वर्ष के प्रारम्भ से ही निर्यात बन्द कर दिया है ।

---

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ३४२, श्री वे० प० नायर, अनुपस्थित हैं । श्री पुन्नूस ।

†**श्री पुन्नूस** : प्रश्न संख्या ३४२ ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : श्रीमान्, यह प्रश्न श्री वे० प० नायर के नाम में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री पुन्नूस का नाम भी उसमें है ।

राज्य परिवहन विभाग

+

†*३४२. { **श्री पुन्नूस** :
श्री वे० प० नायर :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान त्रावनकोर-कोचीन राज्य परिवहन विभाग को चलाने के लिये कोई सार्वजनिक सीमित समवाय अथवा कोई ऐसा निगम जिसमें कि अधिकांश अंश सरकार के हों, बनाने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) योजना आयोग ने, इस मंत्रालय के परामर्श से, राज्य सरकार को सड़क परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत एक सड़क परिवहन निगम बनाने की सलाह दी है और यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवाओं का किसी निगम द्वारा चलाया जाना इसलिये ठीक समझा जाता है ताकि :

(१) रेल-सड़क समन्वय हो सके,

(२) और इसे व्यापारिक आधार पर चलाया जा सके ।

†**श्री पुन्नूस** : दो कारण बताये गये हैं : एक रेल और सड़क परिवहन का समन्वय और दूसरा व्यापारिक दृष्टिकोण । क्या उस राज्य में राज्य परिवहन इन सभी वर्षों में लाभ पर नहीं चलता रहा है और प्रत्येक वर्ष उसका लाभ बढ़ता नहीं रहा है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

†**श्री पुन्नूस** : दस वर्ष से भी पहले राज्य परिवहन आरम्भ किया गया था । प्रत्येक वर्ष में उसने और अधिक लाभ दिखाया है और रेल और सड़क परिवहन में कोई संघर्ष भी नहीं था । इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह बतायें कि निगम बनाये जाने के इस प्रस्ताव के लिये वास्तविक कारण क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सरकार की आम नीति निगमों को स्थापित करने की है और योजना आयोग ने परामर्श दिया है कि यदि राज्य सरकारें सड़क सेवाओं

---

†मूल अंग्रजी में ।

का राष्ट्रीयकरण करना चाहती हैं तो उन्हें निगम बनाने चाहिये और जहां तक सम्भव हो सके, वे सरकारी विभाग नहीं होने चाहियें। योजना आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि जबकि राज्य सरकारें निगम स्थापित करने का निर्णय कर लें तभी रेलवे को भी सड़क सेवा आदि चलाने में भाग लेना चाहिये अथवा राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिये।

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह सच नहीं है कि वहां सड़क यातायात का योजना आयोग की स्थापना से बहुत पहले ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, और क्या सरकार इसे कोई प्रतिगामी कार्यवाही नहीं समझती है कि अब इस व्यवसाय का, जो कि अभी तक पूर्ण रूप से सरकार के हाथों में था, कुछ भाग गैर-सरकारी हितों को दे दिया जाये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह जरूरी नहीं कि निगम में निजी संचालकों को सम्मिलित किया ही जाये। निजी संचालक निगम में आ सकते हैं, परन्तु अब तक जहां भी कहीं निगमें स्थापित की गई हैं, राज्य सरकार और रेलवेज उनमें सम्मिलित हुई हैं। इस प्रकार, यह एक सरकारी संस्था ही रहती है। बात केवल इतनी ही है कि क्या इसे विभागीय ढंग पर चलाया जाये जिसमें कि काम में देरी होती है और अवरोधों तथा प्रतिरोधों के कारण समय भी अधिक लगता है। इसलिये, यह परामर्श दिया गया था कि एक निगम की स्थापना की जाय और वह एक स्वायत्तशासी निगम हो। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक प्रयत्न किया गया था परन्तु निजी संचालक उसमें सम्मिलित नहीं हुए। इसलिये, राज्य सरकारें और रेलवे सम्मिलित होकर निगम को चला सकते हैं।

†**श्री पुन्नूस** : क्या हम सरकार से इस आश्वासन की आशा कर सकते हैं कि निगम बनने पर जो परिवर्तन होगा उससे कर्मचारियों की भविष्य की सम्भावनाओं और उनकी नौकरी की शर्तों तथा निबन्धनों आदि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरा विचार है ऐसा नहीं होगा।

भारत-पाकिस्तान रेल यातायात

†*३४४. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९५६ से भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच, लाहौर को अथवा लाहौर से रेल यातायात में यात्रियों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) इस रेलवे कड़ी से रेलवे की आय क्या है; और

(ग) क्या सरकार भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सीधे यातायात के लिये किसी और स्थान पर कोई अन्य रेल कड़ी स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) हां, लगभग १५ प्रतिशत।

(ख) जनवरी से सितम्बर, १९५६ तक ६·५१ लाख रुपये।

(ग) फिरोजपुर (भारत) और कसूर (पाकिस्तान) मार्ग के खोले जाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या भारत और पाकिस्तान की चलने वाली इन ट्रेनों की वारंवारिता इतनी पर्याप्त है कि इस मार्ग पर भीड़ कम हो जाये ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी तो भीड़-भड़क्का की कोई शिकायत हमारे ध्यान में नहीं आई है। एक सड़क सेवा भी चालू है और लोग या तो सड़क सेवा का या रेलवे सेवा का उपयोग करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री टेक चन्द** : दोनों देशों के बीच इस रेलवे यातायात के शुरू हो जाने से चौर्यानयन और व्यापार सम्बन्धी अपराधों में किस सीमा तक वृद्धि हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: इसके सम्बन्ध में आंकड़े देना सीमा शुल्क विभाग या अन्य मंत्रालय का कार्य है ।

†**सरदार इक़बाल सिंह** : जबकि क़रार हुए एक वर्ष बीत गया तो फिर फीरोज़पुर-कसूर लाइन को खोलने में क्या मुख्य कठिनाइयां हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हम पाकिस्तान सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**सरदार इक़बाल सिंह** : फीरोज़पुर-कसूर लाइन को खोलने से सम्बन्धित कठिनाइयों को देखते हुए, क्या सरकार ने हिन्दूमल-कोट लाइन के खोलन के प्रश्न पर विचार किया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इस समय तो ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या यह सच है कि इन ट्रेनों को चलाने के लिये उत्तरदायी भारतीय कर्मचारी सीमा पर अटारी में बदल दिये जाते हैं, और यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही क़रार की भावना के अनुकूल है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : ऐसा नहीं है । भारतीय कर्मचारी सीधे लाहौर तक जाते हैं ।

रेल डिब्बों में विद्युत् प्रकाश करने के लिय उपकरण

†*३४७. **श्री अय्युण्णि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक रेल डिब्बे को नीचे से विद्युत् प्रकाश देने वाले उपकरण से सज्जित करने की लागत क्या होगी ?

(ख) क्या उक्त उपकरण समुचित रूप से सुरक्षित रहता है;

(ग) ट्रेन के अन्तिम भाग पर आधे दर्जन डिब्बों या इससे कुछ अधिक को इस उपकरण से सज्जित करने में कितनी लागत आयेगी; और

(घ) क्या उन्हें लकड़ी के बक्सों में बन्द करके सुरक्षित रखना सम्भव नहीं है ?

†**रेलवे तथा यातायात उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) बड़ी लाइन के डिब्बे के लिये कोई १६,००० रुपये और छोटी लाइन के डिब्बे के लिये कोई १३,००० रुपये ।

(ख) हां, कुछ सीमा तक ।

(ग) १२ डिब्बों की एक ट्रेन के लिये कोई ३६,००० रुपये ।

(घ) चाहे यह उपकरण लकड़ी के बक्सों में सुरक्षित रहे भी, तो भी यह निश्चय नहीं है कि क्या इस महंगें तरीके से चोरियों को रोकने में कोई सहायता भी मिलेगी ।

†**श्री अय्युण्णि** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि १२ डिब्बों के लिये केवल ३६,००० रुपये आवश्यक हैं, क्या रेलवे प्राधिकारियों के लिये इसे उस व्यवस्था के स्थान पर लगाना, जिसकी लागत कोई १,४४,००० होगी, अधिक रुचिकर नहीं होगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह अभी पूर्णरूप से प्रयोगात्मक अवस्था में है और हमने इस प्रणाली को पहले ही एक शीतोष्ण नियंत्रित रेलगाड़ी में चालू कर दिया है । हम इसे और ट्रेनों में भी लगाने की

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रस्थापना करते हैं, और यह प्रश्न पहले ही से विद्युत् प्रमाप समिति के विचाराधीन है, और वह इस की कड़ी छानबीन कर रही है।

†**श्री अच्युथण्णि** : क्या विद्युत् इंजीनियरों की समिति ने इस प्रणाली के चालू किये जाने की सिफ़ारिश की है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम इसे पहले ही एक ट्रेन में चालू कर चुके हैं और अन्य ट्रेनों में इसे लगाने वाले हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह अभी प्रयोगात्मक आधार पर है, और हम यह देखेंगे कि यह कैसा कार्य करता है।

खाद्य तथा कृषि संगठन

†*३५१. **श्री डाभी** :
श्री भीखा भाई :
श्री शं० शां० मोरे :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राधे लाल व्यास :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है खाद्य तथा कृषि संगठन का एशिया तथा सुदूर पूर्व सम्बन्धी तृतीय प्रादेशिक सम्मेलन इस वर्ष अक्तूबर में बांडुंग में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ग) किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई, क्या निर्णय किये गये ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्मेलन में इन १९ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था : आस्ट्रेलिया, ब्रह्मा, कनाडा, श्रीलंका, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, लाओस, नीदरलैण्डस, पाकिस्तान, फ़िलीपीन, थाईलैण्ड, इंग्लैण्ड, संयुक्त राज्य अमरीका और वियेटनाम ।

(ग) जिन विषयों पर चर्चा हुई थी उनको दिखाने वाली सटिप्पण विषय-सूची की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२**]। जो निर्णय किये गये उनके सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्ट अभी खाद्य तथा कृषि संगठन से प्राप्त नहीं हुई है। उसकी एक प्रति यथासमय लोक-सभा के पुस्तकालय में रख दी जायेगी ।

†**श्री डाभी** : सम्मेलन की कार्य-सूची की मद ३ के अन्तर्गत यह लिखा गया है कि प्रत्येक प्रतिनिधि से १९५३ की पिछली प्रोदेशिक सभा से उसके देश में हुए खाद्य तथा कृषि के मुख्य विकासों के सम्बन्ध में मौखिक बयान देने के लिये कहा जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं, कि हमारे प्रतिनिधि मंडल ने क्या बयान दिया ?

†**डा० पं० श० देशमुख** : हमारे प्रतिनिधि ने सच्चा बयान दिया था। मेरे पास बयान की बिल्कुल ठीक प्रतिलिपि नहीं है।

दिल्ली अस्पताल

*३५२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि दिल्ली स्थित अस्पतालों में कुल कितने बिस्तरों की व्यवस्था है ?

---

†मूल अंग्रजी में ।

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : जैसा कि लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिखाया गया है इस समय दिल्ली के अस्पतालों में जिनमें दवाखाने और प्रसूतिका गृह भी शामिल हैं, ३,८७९ बिस्तरों की व्यवस्था है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४३]**

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी के लिये यह बेड्स पर्याप्त हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : जी नहीं, काफी तो नहीं हैं, लेकिन इसके लिये कोशिश हो रही है । बेड्स पहले से बहुत बढ़ भी गये हैं और अभी जो तजवीज़ है उसमें २,६८५ पलंग और बढ़ने हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने पलंग और बढ़ जायेंगे ?

राजकुमारी अमृतकौर : अभी मैंने कहा है २,६८५ ।

†**श्री टेक चन्द** : दिल्ली की आबादी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अस्पताल में बिस्तरों का क्या अनुपात है ?

†**राजकुमारी अमृतकौर** : मैं बिस्तरों की संख्या बता चुकी हूं । माननीय सदस्य अनुपात निकाल सकते हैं ।

†**श्री बैरो** : इन बिस्तरों के लिये कितनी नर्सें हैं तथा क्या माननीय मंत्री इस अनुपात अथवा संख्या को पर्याप्त समझते हैं ?

†**राजकुमारी अमृतकौर** : अस्पतालों में रोगियों की संख्या के अनुसार नर्सों का अनुपात पर्याप्त नहीं है । हम इसे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह सारा प्रश्न वित्त के उपलब्ध होने का है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या यह सच है कि दिल्ली के अस्पतालों, प्रसूतिका विभाग में भी स्थान पाने के लिये लोगों को अपना नाम ६ महीने पूर्व दर्ज करवा लेना होता है, यदि हां, तो इस कठिनाई को हल करने के लिये क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

†**राजकुमारी अमृतकौर** : यह बिल्कुल सच है कि बिस्तरों की कमी के कारण बहुत गम्भीर मामलों को तत्काल दाखिल कर लिया जाता है और अन्य लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है । मैं कह चुकी हूं कि हमने बिस्तरों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ा दी है । अपनी योजनाओं में हम उनकी संख्या और बढ़ा रहे हैं ।

†**लाला अचिंत राम** : क्या मैं उन रोगियों की संख्या जान सकता हूं जो कि इस वर्ष प्रतीक्षा सूची में हैं ; कम से कम इर्विन अस्पताल की प्रतीक्षा सूची में कितने रोगी हैं ?

†**राजकुमारी अमृतकौर** : केन्द्रीय सरकार ने इर्विन अस्पताल को अभी हाल में लिया है । इस कारण मुझे खेद है, मेरे पास तत्सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं ।

†**लाला अचिंत राम** : क्या वह उन आंकड़ों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगी ?

†**राजकुमारी अमृतकौर** : मैं इन आंकड़ों को प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगी । प्राप्त होते ही ये आंकड़े माननीय सदस्य को दे दिये जायेंगे ।

सामुदायिक विकास के लिये ज़िला मंत्रणा समितियां

†***३५३. श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री १० जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ज़िला मन्त्रणा समितियों के, जोकि सामुदायिक विकास के संचालन

---

†मूल अंग्रजी में ।

के सम्बन्ध में ज़िला प्रशासन के साथ कार्य कर रही हैं, गठन अथवा कार्यों में परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस दिशा में, नये अनुदेश, जिनमें ये परिवर्तन भी शामिल हैं, कब तक जारी किये जायेंगे ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: (क) और (ख). ज़िला मंत्रणा समितियों का मुख्य कार्य, विकास से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी अथवा गैर-सरकारी एजेन्सियों के कार्यों का समायोजन करना है। सामुदायिक विकास योजना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :–

(१) विधान सभाओं के सदस्य तथा संसद् सदस्य ज़िला विकास समितियों में भाग ले सकते हैं ।

(२) राज्य के स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वायत्तशासी विभाग का जिले स्तर पर एक प्रतिनिधि भी इन समितियों में नियुक्त किया जा सकता है ।

कार्यक्रम के संचालन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, आवश्यकता होने पर आगे और परिवर्तनों का सुझाव दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि किसी व्यक्ति को मंत्रालय म लिये जाने, अथवा उसे मंत्रालय की ओर से बोलने अथवा प्रश्नों का उत्तर दिये जाने के पूर्व उन्हें अध्यक्ष महोदय से परिचित करवाया जाना चाहिये। मेरे लिये उनका जानना आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य सभा में सरकार की ओर से बोलने में सक्षम हैं। यह एक कठिनाई है। इसलिये आगे से यह परम्परा होनी चाहिये कि जब कभी किसी मंत्री की नियुक्ति हो अथवा यदि किसी व्यक्ति को सभा में सरकार की ओर से प्रश्नों का उत्तर देने की इजाज़त दी जाय तो उसे सभा से, कम से कम अध्यक्ष महोदय से अवश्य परिचित कराया जाय। जब माननीय सदस्य उत्तर देने को खड़े हुए तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वे उत्तर देने में सक्षम हैं क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता था। अब भी मैं नहीं जानता कि वे सचिव हैं अथवा उपमंत्री अथवा मंत्री ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : कदाचित् आप इन्हें जानते हों, आप सामुदायिक विकास मंत्री श्री सु० कु० डे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे उनका स्वागत करते हुए प्रसन्नता होती है किन्तु सभा को यह ज्ञात होना चाहिये। इस विषय में मैं नहीं जानता था कि वे किस पद पर यहां हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं संसद्-कार्य मंत्री से उनका परिचय देने के लिये कहूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कभी कोई मंत्री प्रश्नों का उत्तर दें अथवा सभा में पहले-पहल आये तो उन्हें औपचारिक रूप से उनका परिचय करवाना चाहिये ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बतायेंगे कि क्या सरकार इन परामर्श-दात्री संस्थाओं का गैर-सरकारी अध्यक्ष नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

†**श्री सु० कु० डे** : इस प्रश्न पर कि क्या इस परामर्शदात्री समिति का सभापति गैर-सरकारी व्यक्ति होना चाहिये, कई बार विचार किया जा चुका है। फिलहाल हमने यह निर्णय किया है कि जब तक सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की व्यस्तता की अवधि समाप्त न हो जाय तब तक परामर्शदात्री

†मूल अंग्रेजी में ।

समितियों का सभापति सरकारी व्यक्ति होगा, व्यस्त कार्यक्रम की अवधि के पश्चात् ही हम गैर-सरकारी व्यक्ति को सभापति बना सकते हैं ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : क्या मैं उनका ध्यान फोर्ड फाउन्डेशन के परामर्शदाता श्री सी० सी० टेलर, जिनका प्रतिवेदन अभी कुछ दिनों पूर्व परिचालित किया गया था, के द्वारा उल्लिखित कुछ बहुत महत्व-पूर्ण बातों की ओर दिला सकता हूं जिसमें उन्होंने लिखा है कि इन परामर्शदात्री संस्थाओं के सरकारी व्यक्ति, गैर-सरकारी सहयोग को पसन्द नहीं करते हैं। क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है ?

†**श्री सु० कु० डे** : हमारे देश में जिसे स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए अभी केवल ९ वर्ष हुए हैं, ऐसी आशा करना बिल्कुल स्वाभाविक है, कि सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों के बीच पूरा सहयोग नहीं हो सकता है। इन दोनों प्रकार के लोगों के सहयोग से काम करने के उपरांत ही एक दूसरे के दृष्टिकोणों को समझने में अधिक सहायता मिल सकती है। इस प्रश्न से हमारा बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। तथा हम उनके सहयोग को घनिष्ठ बनाने के लिये यथासम्भव प्रयास कर रहे हैं।

†**श्री मुहीउद्दीन** : क्या उपरोक्त फोर्ड प्रतिष्ठान के परामर्शदाता के कथन को ध्यान में रखते हुए, मंत्री जी व्यय की कुछ मदों के लिये ऐसे नियम बनाने पर विचार करेंगे कि व्यय की कुछ मदों पर परामर्शदात्री समिति का मत पहले ले लिया जाय तथा सरकार ऐसे प्रश्नों पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक परामर्शदात्री समिति का मत उपलब्ध न हो जाय।

†**श्री सु० कु० डे** : यह एक सामान्य नियम है कि गैर-सरकारी सदस्यों की जो सिफारिशें सर्व-सम्मत होती हैं वह सभापति द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं। मतभेद होने पर उस मामले को निर्णय के लिये सामान्यतः राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है ।

†**श्री खू० चं० सोधिया** : माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि विधान-सभा के सदस्य, संसद् सदस्य तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को परामर्शदात्री समिति में स्थान दिया जायेगा, हमसे क्या सरकार नई बात करने जा रही है ?

†**श्री सु० कु० डे** : इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक जिला परामर्शदात्री समिति और दूसरा खंड परामर्शदात्री समिति। जहां तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, खंड मंत्रणा समिति में हमने पंचायतों के प्रतिनिधि भी रखे हैं जो अत्यधिक नयी बात है। मेरे विचार से राज्य तथा केन्द्र सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही हैं कि इन मंत्रणा समितियों में विधान सभाओं तथा संसद् के सदस्य अधिकाधिक सक्रिय भाग ले सकें ।

†**श्री हेडा** : जिन समितियों में गैर-सरकारी व्यक्ति को सभापति चुना गया है, वहां भी सभापति तथा सदस्यों के अधिकार तथा कर्तव्य इतने अनुपयुक्त हैं कि वे कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में भाग नहीं ले सकते हैं, सरकार इन कार्यक्रमों के क्रियान्वित करने में प्रतिनिधियों को अधिकाधिक भाग देने के लिये नियमों में क्या-क्या परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

†**श्री सु० कु० डे** : सरकारी अनुदेशों के द्वारा अधिकार देना बहुत कठिन होता है। हमारा विश्वास है कि ऐसी समितियों में जहां सरकारी व गैर-सरकारी व्यक्ति सहयोग से कार्य कर रहे हैं, अधिकार को सक्रिय कार्य करने के द्वारा प्राप्त करना होगा।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा है कि ज़िलाधीश अथवा ज़िले के किसी अधिकारी को विकास समितियों का सभापति बनाने की प्रथा गहन विकास की पूरी अवधि तक चलेगी। क्या उन्हें मालूम है कि सारे देश के ज़िलाधीश स्वयं अपने कार्यालयों में भी भ्रष्टाचार को दूर करने में समर्थ नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो किस विशेष कारण से इस प्रथा को जारी रखा जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सु० कु० डे** : भ्रष्टाचार की बुराई सर्वत्र विद्यमान है। मेरे विचार से केवल जिलाधीश ही देश से भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः इन समितियों का सभापति जिलाधीशों को बनाते समय हमने भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दिया था। कई बातों पर विचार किया गया था जिसमें भ्रष्टाचार पर सब से कम ध्यान दिया गया था।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या मैं उन बातों को जान सकता हूं जिनसे किसी विभाग में अथवा सामुदायिक विकास कार्यालयों में भ्रष्टाचार पैदा हुआ हो ?

†**श्री सु० कु० डे** : प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं सामुदायिक विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के उदाहरण दे सकता हूं।

†**श्री सु० कु० डे०** : सामुदायिक विकास कार्यक्रम ऐसे क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है जो भारत के भाग हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं भ्रष्टाचार सर्वत्र विद्यमान है। यह सम्भव नहीं है कि देश में ऐसे क्षेत्र हों जहां बेईमानी बिल्कुल न हो।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या यह सच है कि सरकार, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के प्रशासन की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त कर रही है ? यदि हां, तो वह किस प्रकार बनाई जायेगी और कब अपना कार्य प्रारम्भ करेगी ?

†**श्री सु० कु० डे** : राष्ट्रीय विकास परिषदों की सिफारिशों के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सभी दृष्टियों से जांच करने की योजना है।

रेलों में खतरे की जंजीरों का दुरुपयोग

†*३५५. { **श्री काजरोल्कर** : +
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलों में, रेलों के डिब्बों में जंजीर को अनधिकृत रूप से खींचने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि दुरुपयोग को रोकने के लिये कुछ रेलों से जंजीर खींचने की व्यवस्था ही हटा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो खतरे के समय यात्रियों के लिये रेल को रोकने के लिये क्या वैकल्पित व्यवस्था की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) मध्य-उत्तरी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण रेलवे में जंजीर खींचने के मामलों में वृद्धि हुई है। पूर्व, उत्तर-पूर्वी व दक्षिण रेलवे में इस संख्या में कमी हुई है।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४**]

(ग) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) डिब्बों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है किन्तु गाड़ी की इंजिन का वेकूम ब्रेक गार्ड के ब्रेक वान और जनाने डिब्बों में भी प्रवृत्त रहता है। गार्ड तथा इंजिन के कर्मचारियों को यह अनुदेश दिये गये हैं कि आवश्यकता होते ही वे गाड़ी को रोकने में विशेष सावधान रहें।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या कभी ऐसा भी हुआ है जब यात्रियों ने अपराधी का पता लगाने में सहयोग न दिया हो ? यदि हां तो कितनी बार और कहां ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : ऐसे आंकड़े देना बहुत कठिन है परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि साधारणतया बहुत से मामलों में यात्रियों ने अपराधियों को गिरफ्तार करने में रेलवे प्राधिकारियों को सहयोग नहीं दिया है।

रेलवे कर्मचारी

†*३५७. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा स्टेशन पर काम करते हुए ३४६ रेलवे कर्मचारियों को ६ अक्तूबर १९५६, को कई घंटे की आरोपित अनुपस्थिति के लिये दंड दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को विदित नहीं है कि कथित "अनुपस्थिति" का कारण यह था कि कथित रेलवे कर्मचारियों के लिये कुछ उपद्रवकारी लोगों से बचने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी; और

(ग) क्या सरकार को यह भी विदित नहीं है कि कथित रेलवे कर्मचारी सुरक्षा की व्यवस्था होते ही काम पर आ गये थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) किसी भी रेलवे कर्मचारी को दण्ड नहीं दिया गया है। हावड़ा स्टेशन पर काम करते हुए ३४४ रेलवे कर्मचारियों ने उचित पूर्वसूचना दिये बिना काम करना बन्द कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप उन सबकी सेवा अनिरन्तर हो गई है।

(ख) तथा (ग). दुर्गा-पूजा की भीड़ के लिये स्टेशन पर पर्याप्त व सशस्त्र पुलिस रखी गई थी तथा १२ बज कर १५ मिनट पर इसमें वृद्धि कर दी गई थी। इतने पर भी, लोग १६·०० बजे तक काम पर नहीं आये।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या यह सच नहीं है कि डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने काम से इन लोगों की अनिवार्य अनुपस्थिति को अवैध हड़ताल बताया था तथा पर्याप्त कड़े दण्ड का आदेश दिया था ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : दस बजे के बाद ही लोगों ने काम करना बन्द कर दिया था। अधिक पुलिस बुलाई गई। लगभग दोपहर बाद उन्हें काम पर वापस आ जाना चाहिये था परन्तु उन्होंने शाम के चार बजे तक काम पर वापस आने से इन्कार कर दिया।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार का ध्यान कांग्रेस पार्टी तथा सरकार के समर्थन करने वाले समाचारपत्रों की उन सम्पादकीय टिप्पणियों की ओर अकर्षित किया गया है जिनमें सुझाया गया है कि इस विशिष्ट घटना के सम्बन्ध में डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट के आचरण की जांच की जानी चाहिये तथा यदि आवश्यक हो तो उसे रेलवे कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति न रखने के आधार पर सेवा से हटा देना चाहिये ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया है कि डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट गलती पर था। वस्तुतः उसने कर्मचारियों को काम पर लौट आने के लिये समझाने का प्रयत्न किया था। यह सच है कि यात्रियों ने कुछ कर्मचारियों पर प्रहार किया था जिससे वहां काम करते हुए कर्मचारियों के मन कुछ क्षुब्ध हो गये

†मूल अंग्रजी में।

थे। डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उन्हें केवल समझाया था; वास्तव में प्रार्थना की थी कि वे काम पर वापिस आ जायें। कर्मचारी तैयार न थे। अतः जब उन्होंने काम पर वापिस आने से मना कर दिया और चार बजे तक अपने काम पर अनुपस्थित रहे तो कुछ कार्यवाही की जानी थी तथा यह उस समय और भी आवश्यक हो गया जब कर्मचारियों ने एक अन्य पदाधिकारी पर प्रहार किया। वास्तव में उस पर आक्रमण किया गया था। अतः पदाधिकारी और कर्मचारियों के बीच कुछ चर्चा हुई है। यह इतना सरल मामला नहीं है जिसमें हम कोई निश्चित विनिश्चिय कर सकें या यह कह सकें कि पदाधिकारी गलती पर था या कर्मचारी गलती पर थे।

परन्तु एक बात पूर्णतया स्पष्ट है कि चार बजे तक साधारण हड़ताल रही जो उचित न थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि हम ऐसी साधारण हड़तालों को सहन नहीं कर सकते क्योंकि इनसे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। अतः यह विनिश्चय किया गया कि कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये।

कार्यवाही यह की गई है कि सेवा अनिरन्तर कर दी गई है। उसमें भी हमने यह विनिश्चय किया है कि केवल ११ व्यक्तियों के मामले में कार्यवाही की जायेगी। हमने शेष कर्मचारियों को छोड़ दिया है। हमने विनिश्चय किया है कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। परन्तु उन नेताओं के विरुद्ध जिन्होंने पदाधिकारी पर प्रहार करने में वस्तुतः बढ़ कर भाग लिया, कुछ कार्यवाही की जायेगी। कम से कम यही किया जा सकता है।

†**श्री म० कु० मैत्र** : क्या सरकार का ध्यान हावड़ा के ज़िला दण्डाधिकारी के उस पत्र की ओर आकर्षित किया गया है जो उसने डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट को लिखा था और जिसमें उसने स्पष्टरूप से कहा था :

> "ऐसी परिस्थितियों में प्रायः लोग डर जाते हैं और उनमें से बहुत थोड़े लोग काम पर वापिस आते हैं। अतः 'अवैध हड़ताल' जैसा कि घोषित किया गया है, सही अर्थों में हड़ताल नहीं है। यह स्पष्ट है कि रेलवे कर्मचारियों का हड़ताल करने का कोई विचार नहीं था क्योंकि वे सब रक्षा के लिये सशस्त्र पुलिस के आने पर काम पर वापिस आ गये थे ?"

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : प्रथम तो यह कि वास्तव में ज़िला दण्डाधिकारी को यह मत प्रकट नहीं करना चाहिये था। ऐसे मामलों में मत प्रकट करने का उसे कोई प्राधिकार नहीं है। यह पूर्णतया रेलवे का मामला था। परन्तु, उसका यह कहना कि यह अवैध हड़ताल न थी, एक ऐसी बात है जिसे मैं समझने में असमर्थ हूं। मेरा अपना विचार है कि यह ठीक नहीं है। कर्मचारियों ने पूर्व सूचना दिये बिना ही हड़ताल कर दी थी। वे चार बजे तक काम पर नहीं आये थे। यदि वे उस समय जबकि यह प्रहार हो रहा था आधा घंटा या एक घंटा के लिये काम बन्द कर देते तो मैं समझ सकता था। परन्तु पर्याप्त संख्या में पुलिस के आ जाने पर तथा उन्हें रेलवे के पदाधिकारियों के यह आश्वासन देने पर भी कि वे उनकी सुरक्षितता, सुरक्षा तथा रक्षा करेंगे, वे कई घंटे तक हड़ताल करते रहे। ज़िला दण्डाधिकारी यह कैसे कह सकता है कि यह अवैध हड़ताल न थी। मैं समझता हूं कि रेलवे को इस मामले पर पश्चिमी सरकार से बात करनी होगी।

†**श्री म० कु० मैत्र** : क्या कलकत्ता स्थित कार्यालयों तक स्थानीय यात्रियों को लाने वाली दो रेलगाड़ियां क्रमानुसार ३७ और १७ मिनट देर से आई थीं तथा जब यात्रियों ने इस पर उद्वेग प्रकट किया तो ज़िला वाणिज्य अधीक्षक ने, जो हावड़ा प्लेटफार्म पर उपस्थित था, टिकटों की कड़ी जांच करने का आदेश दिया तथा जो लोग उस समय काम पर थे, उन्होंने कड़ी जांच करनी आरम्भ कर दी जिससे झगड़ा उत्पन्न हो गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : भारी वर्षा के कारण जैसी कि पहिले कभी नहीं हुई थी गाड़ियां विलम्ब से आईं और सेवायें अव्यवस्थित हो गईं। स्टेशन पर गाड़ियों के आने पर हमारे एक टिकट परीक्षा करने वाले कर्मचारी ने देखा कि तीसरे दर्जे का एक यात्री द्वितीय श्रेणी के डिब्बे से उतर रहा था। वह उसके पास गया और टिकट मांगा तथा फिर उसे पकड़ा गया। बस यही हुआ था।

खाद्यान्न का उत्पादन

†*३५८. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री खाद्यान्न के उत्पादन के सम्बन्ध में ५ सितम्बर १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७८३ के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने अतिरिक्त धन के नियतन की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं और इस प्रार्थना के क्या परिणाम रहे हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) तथा (ख). हां। निम्न (पुनर्गठन से पहले के) राज्यों ने (क) योजना में पहले से ही सम्मिलित कुछ योजनाओं के लिये बढ़ी हुई व्यवस्था तथा/या (ख) योजना में असम्मिलित नई योजनाओं के लिये व्यवस्था के लिये अतिरिक्त नियतनों की प्रार्थना की थी :

आसाम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, अजमेर, त्रावनकोर-कोचीन और विन्ध्य प्रदेश।

फिर भी, इस कार्य के लिये हुई बैठकों में कृषि उत्पादन के लक्ष्यों की पुनरीक्षा करते हुए राज्य सरकारों ने कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग के साथ मिलकर यह अनुमान लगाया था कि सम्बन्धित सब लोगों को योजना में कृषि के लिये नियत संसाधनों में ही अधिकाधिक सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। कार्यक्रम के कुछ भागों को शीघ्र समाप्त करने के कारण यह माना गया था कि बाद में कुछ मामलों में यह आवश्यक हो सकता है कि कृषि के लिये उपलब्ध नियतनों में आन्तरिक समायोजनों से तथा अन्य रूपों में थोड़ी वृद्धि करनी पड़े। कुछ राज्यों ने यह भी बताया था कि अतिरिक्त योजनायें अनुमोदित हो जाती हैं तो हाल में ही स्वीकार किये गये लक्ष्यों की अपेक्षा उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जो चर्चायें हो चुकी हैं उन में स्वीकृत कार्यक्रमों की वास्तविक कार्यान्विति में हुई प्रगति की दृष्टि से समय-समय पर इन योजनाओं पर विचार करने का विचार है।

†**श्री संगण्णा** : क्या सरकार दश भर में हाल में आई बाढ़ विपत्ति तथा आगामी फसल का ध्यान रखते हुए वर्तमान खाद्य स्थिति के बारे में कुछ बता सकती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : श्रीमान्, खाद्य-स्थिति में दो नई बातें उत्पन्न हो गई हैं। एक नहर स्वेज सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संकट है। ज़हां तक इसका सम्बन्ध है, हमारे सम्भरण पर कोई अधिक प्रभाव न पड़ेगा सिवाय इसके कि भाड़े में कुछ वृद्धि हो सकती है। परन्तु व्यापार में निश्चय ही एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है तथा वे स्टाक रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रवृत्ति थोड़े समय के लिये ही रहेगी।

दूसरी बात बंगाल और विशेष कर उत्तर प्रदेश में अपूर्व बाढ़ आने की है। इन बाढ़ों के कारण बहुत सी अतिरिक्त मांगें की गई हैं। हम उन मांगों को पूरा कर रहे हैं तथा आशा करते हैं कि हम आगामी फसल, विशेषकर चावल की फसल के कटने पर उन्हें पूरा कर देंगे तथा यह फसल शीघ्र ही कट जायेगी। मुझे किसी कठिनाई की पूर्ण आशा नहीं है।

---

†मूल अंग्रजी में।

†**श्री संगण्णा** : क्या भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के विचार जो हाल में ही चीन गया था, राज्य सरकारों के विचारार्थ भेज दिये गये हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : ऐसी प्रथा कभी नहीं रही है कि प्रतिधिमंडल के विचार दूसरों को बताये जायेंगे । हां, विचारों पर मंत्रालय में विचार किया जाता है और विचारों के केवल वे भाग कार्यान्विति के लिये राज्य सरकारों को भेजे जाते हैं जिन्हें मंत्रालय स्वीकार कर लेता है । साधारणतया विचार किये जाने के लिये राज्य सरकारों को एक प्रतिवेदन भेजा जा सकता है परन्तु यह सर्वथा एक भिन्न बात है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिना टिकट यात्रा

†*३३८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही सितम्बर १९५६ के आरम्भ में पूर्वोत्तर रेलवे पर कुनरघाट में कुछ रेल गाड़ियों में बिना टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों की दण्डाधिकारी ने एक जांच की थी, तथा उस गाड़ी से यात्रा करते हुए १३० यात्रियों में से ६० रेलवे कर्मचारी पाए गए थे; और

(ख) क्या ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिये कोई विशेष उपाय किए गए हैं या करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १०-९-१९५६ को कुनरघाट रेलवे स्टेशन पर ४ रेलगाड़ियों पर टिकट जांच-टुकड़ियों द्वारा आकस्मिक छापे मारे गए थे तथा की गई जांच में १३० यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये थे जिनमें से ६० रेलवे कर्मचारी थे ।

(ख) बिना टिकट की यात्रा को रोकने के लिये जो कार्यवाही की जा रही है तथा अधिक प्रभावी बनाई जा रही है, उन सबका उद्देश्य रेलवे सेवकों सहित बिना टिकट की यात्रा को समाप्त करना है । इसके अतिरिक्त, बिना टिकट यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध, प्रत्येक मामले की विशेषताओं के अनुसार, विभागीय कार्यवाही की जाती है । यह कार्यवाही उस किराये और जुर्माने के अतिरिक्त की जाती है जो अन्य बिना टिकट वाले यात्रियों से लिया जाता है ।

अमेरिका से गेहूं

†*३३९. { **श्री भागवत झा आज़ाद** :
श्री वेलायुधन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिरेक कृषि वस्तुओं का आयात सम्बन्धी भारत-अमेरिका करार के अन्तर्गत अमरीकी गेहूं के पहले जहाज़ की किसी भारतीय बन्दरगाह में कब तक पहुंचने की आशा है; और

(ख) मात्रा कितनी होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पहिला जहाज़ ९-११-१९५६ को बम्बई पहले ही पहुंच चुका है ।

(ख) ८,५०० टन ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

नागार्जुन सागर बांध

†*३४३. **श्री का० सु० राव** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर बांध के निर्माण पर अक्तूबर, १९५६ के अन्त तक कुल कितनी राशि खर्च हो चुकी है;

(ख) क्या सरकार का उस कार्य की गति को बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) बांध पर १,१८,७५,९७२ रुपये, और नहरों पर ५२,८०,७३० रुपये ।

(ख) और (ग). सरकार परयोजना के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये अत्यधिक उत्सुक है, और उसने हाल ही में परियोजना प्राधिकारियों को बांध के निर्माण कार्य को शीघ्र ही प्रारम्भ कर देने के योग्य बनाने के लिये हीराकुड से एक धाण संयंत्र को नागार्जुन सागर बांध को भेज देने के लिये आर्डर दे दिया है । निर्माण कार्य का कार्यक्रम नागार्जुन सागर नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाया गया है और उसे गति देने के लिये इस समय कोई और कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

योजना आयोग के पदाधिकारियों का चीन का दौरा

†*३४५. **श्री वेलायुधन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने गत ग्रीष्म ऋतु में अपने पदाधिकारियों को चीन भेजा था; और

(ख) उनके चीन जाने का वास्तविक प्रयोजन क्या था ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). इस वर्ष योजना आयोग के दो पदाधिकारी कृषि मंत्रालय तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्था द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों के रूप में चीन गये थे । कृषि मंत्रालय द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि मण्डल का प्रयोजन वहां की कृषि उत्पादन सम्बन्धी प्रविधि का अध्ययन करना था और भारतीय सांख्यिकीय संस्था द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि मंडल का प्रयोजन चीन की योजना सम्बन्धी प्रविधियों का अध्ययन करना था ।

देशीय चिकित्सा पद्धतियों सम्बन्धी सम्मेलन

†*३४८. { **श्री धुलेकर** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सितम्बर १९५६ में दिल्ली में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी संस्थाओं तथा राज्य बोर्डों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) क्या सम्मेलन ने अपनी सिफ़ारिशें भारत सरकार को भेज दी हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने अभी तक कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(घ) वे सिफारिशें विचाराधीन हैं।

फल और शाक विकास बोर्ड

*३४९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फल और शाक विकास बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के आधीन एक फल तथा शाक विकास कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी के पदाधिकारियों, इस के कार्य तथा बैठकों इत्यादि के सम्बन्ध में एक विवरण सभा की टेबिल पर रख दिया गया ह। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]**

होम्योपैथी

†*३५०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भारत में होम्योपैथी विज्ञान उच्च-स्तरीय तथा बढ़िया प्रशिक्षण के लिये कोई विकास योजना बनाने का कोई विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना कैसी है और उसे किस समय कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी हां।

(ख) योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही पांच होम्योपैथी प्रशिक्षण संस्थाओं के क्रम को ऊंचा करने, एक होम्योपैथिक भैषजसंहिता की स्थापना करने तथा होम्योपैथी में गवेषणा सम्बन्धी योजनाओं को प्रोत्साहन देने का विचार करती है।

कुलू घाटी विकास

*३५४. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश की कुलू घाटी का विकास करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना बनाई ह; और

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार कितनी राशि खर्च करना चाहती है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) : (क) और (ख). सम्भवत: इस प्रश्न का अभिप्राय कुलू घाटी से है जो पंजाब में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित उन स्कीमों का ब्योरा जो विशेष रूप से कुल्लू घाटी के विकास के लिये है सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]**

सहकारी बैंक

†*३५६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा भारत के रक्षित बैंक द्वारा विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों को कितनी तथा किस रूप में सहायता दी गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिनमें विभागीय पदाधिकारियों से पहले सिफ़ारिश प्राप्त किये बिना किसी भी संस्था को कुछ भी ऋण नहीं दिया जाता ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) राज्य सरकारें राज्य सहकारी बैंकों को सामान्यतया चार प्रकार की सहायता देती हैं :

(१) अंश पूंजी में अंशदान;

(२) बैंकों से सम्बद्ध सहकारी संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था करने के लिये ऋण;

(३) राज्य सहकारी बैंकों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये राजकीय वित्त सहायता का देना; और

(४) भारत के रक्षित बैंक द्वारा दिये गये ऋणों के लिये प्रत्याभूतियां देना।

राज्य सरकारों तथा भारत के रक्षित बैंक द्वारा दी गई सहायता की मात्रा बताने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ख) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तथा राजस्थान।

बम्बई पत्तन न्यास की नौका का डूब जाना

†*३५९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २० अक्तूबर, १९५६ की रात को बम्बई पत्तन न्यास की एक नौका, जिसमें दो रेलवे इंजन तथा भारी मशीनों का पर्याप्त सामान था, एलैक्जैंडरा डाकबेसिन में 'सिटी आफ़ लंडन' नामक एक ब्रिटिश भारवाहक जहाज़ से टकरा कर डूब गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: जी, हां। परन्तु नौका तथा उसकी सभी वस्तुएं बचा ली गई हैं।

भारतीय चिकित्सा स्नातक

†*३६०. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित चिकित्सा-कालिजों में प्रशिक्षित भारतीय चिकित्सा स्नातकों को प्राथमिक केन्द्रों, राष्ट्रीय विस्तार योजना तथा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में सेवा करने के लिये नहीं लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : (क) और (ख). इन योजनाओं के लिये चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्त करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, और समन्वित चिकित्सा के कालिजों में प्रशिक्षित भारतीय चिकित्सा के स्नातकों को भी, यदि वे योग्य समझे जायें तो उन्हें नियुक्त करने का उन्हीं पदाधिकारियों का काम हैं।

कृषि सम्बन्धी उपकरण

†*३६१. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में जो कृषि उपकरण प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें सुधारने के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या कोई नये उपकरण भी तैयार किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कृषि सम्बन्धी उपकरणों के सुधार के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :

(१) बहुत से राज्यों में स्वदेशी कृषि उपकरणों का एक सर्वेक्षण किया जा चुका है जिसके आधार पर कृषि उपकरणों के बारे में अग्रेतर गवेषणा करने का काम आयोजित किया जायेगा;

(२) सुधरे हुए कृषि उपकरणों के परीक्षण तथा उनके प्रचार के लिये कई राज्यों में परामर्शदात्री परिषदें स्थापित की गई हैं;

(३) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद द्वारा १५ विशेष कृषि उपकरणों में प्रभावकारी सुधार करने के लिये पारितोषिक देने की एक योजना को स्वीकार कर लिया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी सार्थों द्वारा कई सुधरे हुए उपकरण तैयार किये गये हैं जो कि इस समय सामान्य रूप से प्रयुक्त हो रहे हैं । इन में से कुछ एक उपकरणों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४९]** बाकी ब्योरे राज्य कृषि विभागों से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के जल मार्ग

†*३६२. **श्री ब० कु० दास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन और कलकत्ता को अन्तर्देशीय जल परिवहन के जल मार्ग से मिलाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये विशेषज्ञों की एक सर्वेक्षण समिति के कब तक नियुक्त किये जाने की आशा है; और

(ग) क्या बम्बई और कलकत्ता को अन्तर्देशीय जल-मार्ग से मिलाने की कोई और प्रस्थापना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के द्वारा जो वृहद योजना तैयार की गई है, उसमें अन्तर्देशीय जल मार्गों के द्वारा कोचीन से कलकत्ता को और नर्मदा से गंगा को मिलाने की योजनायें भी सम्मिलित हैं । यह तो योजना की केवल एक रूप-रेखा मात्र है, और उसका अभी ध्यान पूर्वक परीक्षण करना है । सरकार अन्तर्देशीय जल परिवहन के सम्बन्ध में एक उच्च सत्ता-समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है, और ऐसी सभी प्रस्थापनायें उसी समिति को निर्देशित की जायेंगी और वही उनके सम्बन्ध में परामर्श तथा सिफारिशें देगी । आशा है कि समिति शीघ्र ही नियुक्त हो जायेगी ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

†*३६३. **श्री हेमराज** : क्या **योजना** मंत्री यह बर्ताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना का 'प्रगति प्रतिवेदन' पूर्णता तैयार हो गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : १९५५-५६ का प्रगति प्रतिवेदन अभी तैयार हो रहा है और यह आशा है कि उसे संसद् के इसी सत्र में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आन्ध्र प्रदेश में रेल-गाड़ियां

†*३६४. **श्री मोहन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आन्ध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद बन गई है, हैदराबाद और वाल्टेयर, हैदराबाद और मासुला तथा भीमनवरम् के बीच मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १-११-५६ से हैदराबाद और विशाखा-पटनम् के बीच एक सीधी यात्री गाड़ी चालू कर दी गई है जो कि हैदराबाद और वेजवाडा तथा वेजवाड़ा और विशाखापटनम् के बीच चलने वाली गाड़ियों में से एक को मिला कर इस रूप में बनायी गई है। हैदराबाद और मासूलीपटनम् । मीनवरम् के बीच तेज गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में इस समय कोई प्रस्थापना नहीं ।

नाविकों के लिये समाज सुरक्षा योजना

†*३६५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन** मंत्री २ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाविकों के लिये समाज सुरक्षा योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में जहाज़-मालिकों तथा नाविकों ने अपने विचार भेज दिये हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन विचारों का परीक्षण किया है; और

(ग) वह योजना कार्य रूप में कब परिणत की जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). जी, अभी नहीं। नाविकों के लिये एक समाज सुरक्षा योजना बनाने के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिये राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड की एक विशेष उपसमिति बनायी गई है जिसमें साथ ही साथ जहाज़ मालिकों और नाविकों के प्रतिनिधि भी हैं। इस उपसमिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि योजना को कार्यरूप में कब परिणत किया जायेगा।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†*३६६. **श्री गिडवानी :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री झूलन सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्तदेर्शीय जल मार्गों के विकास के लिये क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने कोई योजना तैयार की है और क्या उसे सस्ते परिवहन की व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से सरकार को प्रस्तुत किया है; और

(ख) क्या देश में अन्तर्देशीय जल-पथ के विकास के प्रश्न पर और उस योजना पर विचार करने के लिये सरकार का कोई समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में।

केरल राज्य में जिला बोर्ड

†*३६७. { **श्री वे० प० नायर** :
श्री पुन्नूस :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार का केरल राज्य के अन्य जिलों में मालाबार ज़िला बोर्ड जैसे जिला बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : ज़िला बोर्ड स्थापित करना राज्य सरकारों का काम है ।

लालागुड्डा रेलवे वर्कशाप

†*३६८. **श्री का० सु० राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लालागुड्डा की रेलवे वर्कशाप के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव को कब तक पूरा किये जाने की आशा है; और

(ख) विस्तार योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वर्कशाप का विस्तार सम्बन्धी कार्य पूरा हो जाएगा ।

(ख) (१) मशीन कर्मशाला का विस्तार और अतिरिक्त मशीनरी ।

(२) निर्माण-कर्मशाला का विस्तार

(३) डिब्बे मरम्मत करने वाली लाइनों पर छत की व्यवस्था करना ।

(४) सामान के लिये अतिरिक्त गोदाम स्थान की व्यवस्था करना ।

दन्त-चिकित्सा शल्यक

†*३६९. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दन्त-चिकित्सा शल्यकों की संख्या देश की जनसंख्या के किस अनुपात में है;

(ख) क्या उनकी संख्या देश की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो आवश्यकता के अनुसार दन्त-चिकित्सा शल्यकों की पर्याप्त संख्या को प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं या क्या कार्यवाहियां करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या पटियाला में कोई दन्त चिकित्सा कालिज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर)** : (क) अनुपात का प्राक्कलन १ : ६०,००० है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १·५ करोड़ रुपये तथा राज्य योजनाओं में ५२·९९ लाख रुपये का उपबन्ध नए दन्त-चिकित्सा कालिज स्थापित करने और वर्तमान दन्त-चिकित्सा कालिजों में दाखिलों की संख्या में वृद्धि करने के प्रयोजन से किया गया है । दन्त-चिकित्सा कालिजों के भावी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये दन्त चिकित्सा कालिजों में वर्तमान विभागों को क्रमोन्नति करने का भी प्रस्ताव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) पंजाब में दन्त-चिकित्सा कालिज स्थापित किया जाना चाहिये या नहीं और, यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किया जाना चाहिये इस बात का निर्णय पंजाब सरकार को करना है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पर्यटक केन्द्र

†*३७०. **श्री वेलायुधन :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कहीं पर्यटक केन्द्र स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने देशों में ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां।

(ख) पांच देशों में।

चितरंजन रेलवे कर्मशाला

†*३७१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चितरंजन रेलवे कर्मशाला द्वारा १९५६ में अब तक कुल कितने इंजन तैयार किये गए हैं।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** १-१-५६ से ३१-१०-५६ तक १२२ इंजिन।

दिल्ली परिवहन सेवा

†*३७२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन सेवा के सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि अलग रखी गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) दिल्ली परिवहन सेवा के लिये वर्तमान मोटर बसों में ३२२ गाड़ियां और शामिल करना, एक डिपो का निर्माण, केन्द्रीय वर्कशाप का विस्तार, कर्मचारियों के लिये मकान और अन्य सुविधायों का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपबन्ध है। एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें ब्योरा दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ख) २·८ करोड़ रुपये।

शूगर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर

*३७३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्री स्वर्गीय श्री किदवई ने कानपुर में एक शूगर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट (प्रौद्योगिक संस्था) स्थापित करने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अब सरकार उस संस्था को कानपुर के अलावा अन्य किसी स्थान पर स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दामोदर घाटी परियोजना

†*३७४. **श्री झूलन सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन इकाइयों, बिहार, पश्चिमी बंगाल और केन्द्रीय सरकारों द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितनी रकम अंशदान रूप से दी गई थी और दोनों अंशदायी राज्यों को प्रोद्भावी लाभ क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** तीनो भागग्राही सरकारों द्वारा १९५५-५६ के अन्त तक जो कुल रकम अंशदान रूप से दी गई थी वह इस प्रकार है :

	रुपये
बिहार सरकार	१५,९३,७७,०००
पश्चिमी बंगाल सरकार	४८,४४,४१,६३३
केन्द्रीय सरकार	२२,६६,०५,१६७
कुल	८७,०४,२३,८००

पश्चिमी बंगाल सरकार को ५५,००० एकड़ क्षेत्र में बिजली मिलने लगी है, कुछ बाढ़ नियन्त्रण फ़ायदा तथा सिंचाई सुविधायें मिली हैं। बिहार को बिजली मिलने लगी है और कुछ भूमि को संरक्षण फायदा पहुंचा है, जहां तक रुपये की सूरत में लाभ का सम्बन्ध है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि निगम अभी तक कोई लाभ अर्जित नहीं कर रहा है और विद्युत् और जल की बिक्री से जो कुछ भी प्राप्ति होती है उसे दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा ३९ के अधीन मूल परिव्यय को कम करने में उपयोग करना है ।

रेलवे वर्कशाप टैक्नीकल स्कूल

*३७५. **श्री खू० चं० सोधिया :**
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **रेलवे** मंत्री ७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये रेलवे वर्कशाप टेक्नीकल स्कूल खोलने के लिये उपयुक्त जगहें चुन ली गई हैं या चुनी जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो मध्य रलव क तीन स्कूल किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, आज़माइश के तौर पर ।

(ख) (१) पश्चिम और मध्य दोनों रेलों के इंजिनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के लिये महू में स्कूल खुल चुका है ।

(२) मनमाड––इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के लिये ।

(३) सिकन्दराबाद––सिगनल विभाग के कर्मचारियों के लिये ।

ताला पुल

†*३७६. **श्री हे० ना० मुकर्जी :** क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

†मूल अंग्रेजी में ।

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे ने चितपोर यार्ड पर ताला पुल के पुनर्निर्माण के परिव्यय के एक भाग के देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार से बातचीत की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तथा (ख). जी, हां।

उड़ीसा में चावल के गोदाम

†*३७७. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री उड़ीसा में चावल के गोदामों से सम्बन्धित २४ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक अग्रेतर प्रगति क्या हुई है; और

(ख) क्या देश में वर्तमान खाद्य स्थिति योजना में कोई परिवर्तन दृष्टिपात करती है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) सिवाय बालासोर के जहां राज्य सरकार द्वारा हाल में उपयुक्त स्थान दिया गया है, राज्य सरकार ने जिन केन्द्रों का पहिले सुझाव दिया था वहां गोदामों के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक अभिन्यास योजनाओं तथा प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। उन स्थानों पर उपयुक्त रेलवे साइडिंग्स के सम्बन्ध में स्थिति विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

पठानकोट से जम्मू तक रेलवे लाइन

*३७८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पठानकोट से जम्मू तक रेलवे लाइन ले जाने का विचार कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : पठानकोट और माधोपुर के बीच गाड़ियों का चलना शुरू हो गया है और माधोपुर से कठुआ तक लाइन का सर्वे किया जा रहा है। कठुआ से आगे जम्मू तक रेलवे लाइन के सर्वे का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

जिलों में स्वास्थ्य सेवा केन्द्र

†*३७९. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि राज्यों के प्रत्येक ज़िले में विद्यार्थियों के लिये स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खोलने के लिये क्या योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : राज्यों क प्रत्येक ज़िले में विद्यार्थियों के लिये स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है। तथापि कुछ राज्यों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ क्षेत्रों में स्कूल स्वास्थ्य सेवायें प्रारम्भ करने का उपबन्ध किया गया है।

टैल्को रेल-इंजिन

†*३८०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री ३० जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैल्को द्वारा निर्मित रेल के इंजिनों की कीमतें नियत करने के लिये प्रशुल्क आयोग ने जिसने इस सम्बन्ध में, जांच की थी, अपना प्रतिवेदन अब प्रस्तुत कर दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उसकी एक प्रतिलिपि कब सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की विस्तृतरूप से जांच की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही सरकार उस पर निर्णय कर लेगी । इसके बाद प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि और साथ ही एक संकल्प जिसमें सरकार के निर्णय दिये गये होंगे, सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

धान रोग

†*३८१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इस वर्ष धान के पौधों में एक रोग फूट निकला है जिसके परिणामस्वरूप धान के पौदे सफ़ैद हो जाते हैं और सूख जाते हैं; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां, दो प्रकार के रोग हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है । मध्य प्रदेश में इसे "पनसुख" कहते हैं और बिहार में यह "दखिना" कहलाता है । ये रोग हर वर्ष होते हैं और इनकी उग्रता प्रत्येक वर्ष में विभिन्न होती है । इस वर्ष कोई असामान्य प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) "पनसुख" की विस्तृत रूप से छानबीन की गई है । रोग के नाश के लिये और इसे फैलने से रोकने के लिये, खेतों में से पानी निकालने और भूमि को सिंचाई से पहले सूखने देने और एमोनियम सल्फेट का प्रयोग करने का अभिस्ताव किया गया है ।

जहां तक "दखिना" रोग का सम्बन्ध है पूर्व अनुसन्धान बहुत निर्णयक सिद्ध नहीं हुए हैं । बिहार में साबोर का कृषि कालिज मामले में अग्रेतर अनुसन्धान कर रहा है ।

पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†*३८२. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पंचायतों के न्यायिक तथा कार्यपाली कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) क्या बाहर भेजने के बजाए उन्हें भारत के भीतर ही यह प्रशिक्षण दिये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) से (ग). सन् १९५७ की प्रथम छमाही में ग्रामीण नेताओं के लिये प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है । प्रशिक्षण भारत में ही दिया जायगा ।

रेलवे खेपों की निकासी

†*३८३. **श्री गिडवानी** :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री नि० बि० चौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(क) क्या यह सच है कि शालीमार तथा हावड़ा स्टेशनों के गोदामों से कपड़े के माल के एक खेप की, पाने वालों द्वारा, निकासी नहीं ली गई;

(ख) क्या यह सच है कि सब खेपों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया; और

(ग) इसका कारण ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क)· १०-१०-१९५६ के पूर्ववर्ती कुछ सप्ताहों के दौरान में शालीमार और हावड़ा स्टेशनों से कपड़े के माल की कई खेपों की निकासी लेने में काफी विलम्ब हुआ था ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सुरक्षा अधिनियम, १९५० की धारा २९ के अन्तर्गत १०, ११ और १३ अक्तूबर, १९५६ को जारी किये गये आदेशों द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार ने शालीमार तथा हावड़ा में ६-९-१९५६ तक आये तथा १०-१०-१९५६ तक निकासी न लिये गये सूती माल को जिसमें धोतियां, साड़ियां तथा कम्बल थे अपने अधिकार में ले लिया ।

१४ अक्तूबर, १९५६ को जारी किये गये एक और आदेश द्वारा पश्चिमी बंगाल की सरकार ने सूत के अतिरिक्त अन्य सूती माल की खेपों को जो ३०-९-१९५६ तक आयीं थी और १४-१०-१९५६ तक बिना निकासी के पड़ी थीं, अपने अधिकार में ले लिया ।

बाद के आदेश के अन्तर्गत अधि-ग्रहित खेपें २२-१०-१९५६ को मुक्त कर दी गई ।

(ग) अपने अधिग्रहण आदेशों में पश्चिमी बंगाल सरकार ने निम्नलिखित कारण दिये :

(१) पश्चिमी बंगाल के बहुत से भागों में बाढ़ द्वारा हुए विनाश के कारण कपड़े की बढ़ी हुई मांग ।

(२) माल पाने वालों द्वारा शालीमार तथा हावड़ा से खेपों की निकासी न लिये जाने के कारण उत्पन्न हुई कृत्रिम कमी ।

(३) बाजार में तथा उपभोक्ताओं को, विशेषकर बाढ़-पीड़ितों को, कपड़े की सप्लाई जारी रखन की आवश्यकता ।

परादीप पत्तन

†*३८४. **श्री संगण्णा** : क्या **परिवहन** मंत्री १६ अगस्त, १९५६ को जापान के औद्योगिक विशेषज्ञों के सवक्षण दल के सम्बन्ध म पूछे गये तारांकित प्रश्न ११५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या परादीप पत्तन के विकास के सम्बन्ध में सरकार को जापानी टेकनिकल विशेषज्ञों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

मछली पकड़ने की नावें

†२४२. { **श्री वे० प० नायर :**
श्री पुन्नूस :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रावनकोर-कोचीन की राज्य सरकार ने अथवा केन्द्रीय सरकार ने मछुहारों को महज़, नाव किराए पर लेने के लिये उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियों की मात्रा का ४५ से ५० प्रतिशत तक शुल्क लगाये जाने से बचाने के लिये कुछ किया है या करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : योजना के अन्तर्गत सरकार मछुहारों की सहकारी समितियों को नावें तथा मछली पकड़ने का अन्य सामान खरीदने के लिये ऋण दे रही है। नावें बनाने के लिये सरकार कम दरों पर मछुहारों को सीधे लकड़ी भी दे रही है। जब ये योजनायें पूर्णतया कार्यान्वित होंगी तब एक बड़ी संख्या में मछुहारों की अपनी नावें हो जायेंगी तथा ऊंची दरों पर नावें किराये पर लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे नावों की ऊंची दरें लेने की प्रवृत्ति भी दूर होगी।

छोटी तथा मध्यम आकार की परियोजनायें

†२४३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १६ जुलाई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से पंजाब के लिये छोटी तथा मध्यम आकार की परियोजनाओं के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]**

पंजाब तथा राजस्थान में रेलवे लाइनें

†२४४. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने मील रेल की नई लाइनें बिछाने की सिफारिश की है;

(ख) प्रस्तावित नए मार्गों के नाम; और

(ग) सिफारिश किये मार्गों में से जो अब तक स्वीकृत कर लिये गये हैं उनके नाम ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). राज्यों द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में जो नई लाइनें बिछाने की सिफारिशें की गई हैं वे अभी प्रारम्भिक विचार के प्रक्रम पर ही हैं और उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, नई लाइनें अभी केवल ऐसी परियोजनाओं के सिलसिले में बिछायी गई हैं जो योजना का काम चलाने के लिये तथा इस्पात या कोयला विकास परियोजनाओं के लिये आवश्यक है। सामान्यतः इन सिफारिशों को तब तक गोपनीय ही रखा जाता है जब तक कि स्वयं राज्य सरकारें ही उन्हें घोषित न कर दें।

†मूल अंग्रेजी में।

दिल्ली परिवहन सेवा

†२४५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन सेवा के विद्यमान बस मार्गों पर बसों के अंतिम स्थानों पर कितने बस शेल्टर बनाये गये हैं;

(ख) बसों के अंतिम स्थानों में से कितनों पर अभी तक बस शेल्टर नहीं बनाए गये हैं; और

(ग) इसका कारण ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) २६;

(ख) १७, जिनका ब्योरा नीचे दिया जाता है :–

अन्तिम स्थान	मार्ग नम्बर
फव्वारा	१६, १६-ए, १९, ११, २०, २३ और १
इन्द्रनगर	१
सी० ओ० डी० छावनी	३
कमला नगर	४
तीस हजारी	५
रमेश नगर	१३
विनयनगर डिपो	८
रेडियो कोलोनी	९
शक्ति नगर	९-ए
शाहदरा बार्डर	११-ए
पूसा इंस्टीट्यूट	२६, १३
मोती बाग	१४
नजफगढ़	१६
महरोली	१७
ओखला	१८
कृष्णा नगर	२०
केम्प सिनेमा	२५

(ग) बस के लिये लाइनें लगाने के शेल्टरों का निर्माण क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। कुछ मामलों में स्थानीय निकायों से जमीन मिलने में कठिनाई होने के कारण प्रगति पर प्रभाव पड़ा है।

उत्तर रेलवे पर मिली-जुली गाडियां

†२४६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के भूतपूर्व बीकानेर स्टेट रेलवे भाग पर अनेक मिली-जुली गाड़ियां चलती हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का इन्हें समाप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका कारण ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में चलने वाली ६४ गाड़ियों में से ३४ मिली-जुली गाड़ियां हैं और ३० मुसाफिर गाड़ियां;

(ख) तथा (ग). रेलवे प्रशासनों को यह सलाह दी जा चुकी है कि डिब्बे-इंजन, बिजली तथा लाइन क्षमता की उपलब्धता के अनुसार, उन सभी सेक्शनों पर मुसाफिर तथा मालगाड़ियों को अलग-अलग चलाने के लिये पर्याप्त यातायात हो, मिली-जुली गाड़ियों का चलाना कम किया जाये ।

पुराने माल डिब्बे

†२४७. **श्री फीरोज गांधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल डिब्बों को पुराना घोषित किस आधार पर किया जाता है;

(ख) क्या इस बात का कोई अभिलेख रखा जाता है कि माल डिब्बों ने कितना फासला तय किया है तथा उन्हें पुराना घोषित करने में क्या इस बात का भी ध्यान रखा जाता है; और

(ग) क्या मरम्मत के लिये पुराने डिब्बों को पुराने न हुए डिब्बों की अपेक्षा जल्दी भेजा जाता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) ४० वर्ष हो जाने पर माल डिब्बे को पुराना समझा जाता है । यह अनुभव पर आधारित है;

(ख) जी, नहीं;

(ग) जी, नहीं ।

रेलगाड़ियों का समय पर चलना

†२४८. **श्री फीरोज़ गांधी** : क्या **रेलवे** मंत्री सन् १९५५-५६ में बड़ी लाइन और छोटी लाइन की मेल तथा महत्वपूर्ण सीधी गाड़ियों की समयनिष्ठता का प्रतिशत, अलग-अलग, बताने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** :

बड़ी लाइन	७०·८ प्रतिशत
छोटी लाइन	६०·४ प्रतिशत

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†२४९. **श्री अचल्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४, १९५५ और १९५६ में भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में रोज़ाना मजरी के आधार पर प्रति मास नियुक्त मजदूरों की औसत संख्या क्या थी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : एक विवरण संलग्न किया जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२]**

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†२५०. **श्री अचल्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में स्टेशन वार कितने मासिक व्यक्तियों को स्थायी किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या और मासिक व्यक्तियों को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो कितनों को ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) शून्य;

(ख) नहीं;

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†२५१. **श्री अचलू** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के कर्मचारियों के संघों और सन्थाओं के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक के सदस्य कितने हैं; और

(ग) इनमें से कौन-कौन से संगठनों को अभिज्ञात किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख).

संघों और सन्थाओं के नाम	कुल सदस्य
१. गजेटेड वैज्ञानिक कर्मचारी सन्था	६०
२. नान-गजेटेड वैज्ञानिक कर्मचारी सन्था	९९
३. पूसा कृषि गवेषणा सन्था	१५०
४. अनुसचिवीय कर्मचारी सन्था	१५६
५. इञ्जीनियरिंग कर्मचारी सन्था	७०

(ग) क्रमांक १ से ४ तक ।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†२५२. **श्री अचलू** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के दिल्ली से बाहर के उप-स्टेशनों में ३१ अगस्त, १९५६ को दैनिक आधार पर मजूरी पाने वाले कितने श्रमिक थे ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: २२४ ।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†२५३. **श्री अचलू** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक व्यक्तियों के लिये अंशदायी भविष्य निधि की कोई व्यवस्था है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: जी, नहीं ।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†२५४. **श्री अचलू** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में मासिक व्यक्तियों को कोई छट्टी मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और वर्ष में कितने दिन ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी, हां।

(ख) १० दिन की आकस्मिक छुट्टी।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†२५५. **श्री अचलू** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में काम करने वाले उन मासिक व्यक्तियों के लिये जिन्हें कोई क्वार्टर नहीं दिये गये, अतिरिक्त क्वार्टर बनाने के कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) क्या उन मासिक व्यक्तियों को जिन्हें सरकारी क्वार्टर नहीं दिये गये मकान का किराया भत्ता दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां;

(ख) नहीं;

(ग) उन्हें कोई मकान का किराया भत्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि वे संस्था के नियमित संस्थापन में नहीं हैं। उन्हें भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के आय-व्ययक को आकस्मिकता निधि में से दिया जाता है ?

चिलका झील से मछली की प्राप्ति

†२५६. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिलका झील से प्रति वर्ष अनुमानतया कितनी मछली प्राप्त होती है; और

(ख) उसमें से कितनी कलकत्ता भेजी जाती है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मछली का मूल्य

†२५७. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में त्रिवेन्द्रम, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में मछली का प्रति सेर औसत मूल्य क्या था; और

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता में कुछ अभिकरणों के एकाधिपत्य नियन्त्रण के कारण मछली के मूल्य बहुत बढ़ जाते हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बर्फ और शीत कोठार संयंत्र

†२५८. **श्री दे० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करग कि :

(क) भारत-अमरिका टेकनिकल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने बर्फ और शीत कोठार संयंत्र प्राप्त हो चुके ह;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इनमें से कितने केरल राज्य में लगाये गये हैं, और

(ग) टेक्निकल सहयोग कार्यक्रम द्वारा दिये गये ऐसे संयंत्रों में से कितने सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नौ;

(ख) अभी तक कोई नहीं, तथापि राज्य को दो संयंत्र दिये गये हैं;

(ग) अभी कोई नहीं ।

केरल राज्य में मछली बन्दरगाहें

†२५९. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य की योजना में नई मछली बन्दरगाहें बनाने या उन्हें बढ़ाने की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर;

(ग) राज्य की योजना में इसके लिये कुल कितने व्यय की व्यवस्था की गई है; और

(घ) इस विकास कार्य से कितने व्यक्तियों को काम मिल सकेगा ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां;

(ख) परिवहन मंत्रालय के परामर्श से खाद्य तथा कृषि संगठन के दो बन्दरगाह विशेषज्ञ और भारत-नार्वेजियन परियोजना प्राधिकारी अब सर्वेक्षण कर रहे हैं । उन केन्द्रों के सम्बन्ध में, जहां मछली बन्दरगाहें बनाई जायेंगी जानकारी सर्वेक्षण के समाप्त होने के बाद मिल सकेगी ।

(ग) पुनर्गठन के फलस्वरूप व्यवस्था क बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) कितना काम मिल सकेगा यह सर्वेक्षण के समाप्त होने के बाद ही मालूम होगा ।

कोचीन में परीक्षात्मक मत्स्य-ग्रहण केन्द्र

†२६०. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री दूसरी पंचवर्षीय योजना के पैरा ३३, पृष्ठ २९५ की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में प्रस्तावित परीक्षात्मक मत्स्य-ग्रहण केन्द्र स्थापित हो चुका है या स्थापित किया जायेगा और क्या इसने कार्य शुरू कर दिया है या करगा ।

(ख) इस केन्द्र में कितने व्यक्ति नियोजित हैं या नियोजित करने का विचार है; और

(ग) इस केन्द्र में कौन-कौन सी नावें काम में लाई जायेंगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) इसके १९५० के आरम्भ में काम शुरू करने की आशा है ।

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें नियोजित करने का विचार है इस प्रकार है :–

प्रशासनीय तथा क्लर्क सवा कर्मचारी	७
टेकनिकल	३३
प्रवीण श्रमिक (हाथ से काम करने वाले)	३०
अप्रवीण श्रमिक	५

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) दो कट्टर, एक टयूना मछली पकड़ने वाली नाव, एक शृम्प ट्रालर, एक ट्रालर और एक बहुप्रयोजनीय नाव ।

मीन-क्षेत्र

†२६१. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण, जिसमें दूसरी योजना के पृष्ठ २९५, पैरा ३३ में उल्लिखित, बम्बई और सौराष्ट्र के तट पर "पाये गये कुछ महत्वपूर्ण मीन क्षेत्रों" के बारे में इकट्ठी की गई जानकारी दी गई हो, रख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि इन स्थानों पर किन किस्मों की और कितनी मछली मिल सकती है, जैसा कि बाद की जांच से, यदि कोई हुई हो, मालूम हुआ हो ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३]**

मत्स्य-ग्रहण तट के सम्बन्ध में चार्ट और नक्शे बनाना

†२६२. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तट पर ४० फैदम लाइन के अन्दर, कितने प्रतिशत क्षेत्र के सम्बन्ध में अब तक आवश्यक चार्ट और नक्शे बना लिये गये हैं; और

(ख) अब कितने व्यक्ति यह काम कर रहे हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) यह जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।
(ख) १०७ ।

गहन समुद्र मत्स्य-ग्रहण

†२६३. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना की अवधि में भारत में गहन समुद्र मत्स्य-ग्रहण और समुद्रीय मीनक्षेत्रों के विकास के लिये भारत सरकार का क्या पग उठाने का विचार है; और

(ख) चालू योजना के अन्तर्गत इस कार्य के लिये क्या कोई राशि निर्धारित की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) भारत में गहन समुद्र मत्स्य-ग्रहण और समुद्रीय मीन क्षेत्रों के विकास के लिये ये पग उठाने का विचार है :–

(१) कोचीन, विशाखापत्तनम और पोर्ट बलेयर में अग्रिम परीक्षात्मक मत्स्य-ग्रहण केन्द्र स्थापित करना और उनमें परीक्षात्मक मत्स्य-ग्रहण और मीनक्षेत्रों से चार्ट बनाने के लिये आवश्यक नावें रखना;

(२) गहन समुद्र मत्स्य-ग्रहण केन्द्र के कार्य को बढ़ाना;

(३) बड़ी नावों और विशेष प्रकार की नावों पर पदाधिकारियों, टेक हैंड और मछवों को मछली पकड़ने के अच्छे सामान के प्रयोग का प्रशिक्षण देना;

(४) खाद्य तथा कृषि संगठन और अन्य विदेशी अधिकरणों से टेकनिकल सहायता;

(५) निजी उपक्रम को वाणिज्यिक गहन समुद्र मत्स्य-ग्रहण कार्य शुरू करने के लिये प्रोत्साहन देना;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(६) मछली पकड़ने की नावों में सुधार करना और यन्त्रीकरण;

(७) मत्स्य-ग्रहण बन्दरगाहों का विकास;

(८) मत्स्य-ग्रहण के सामान का सम्भरण;

(९) मछुवों की सहकारी संस्थायें बनाना;

(१०) बर्फ और शीत कोटार सुविधायें;

(११) मछली का परिवहन तथा विपणन;

(१२) एक मीनक्षेत्र टेकनोलाजिक गवेषणा केन्द्र खोलना; और

(१३) समुद्रीय मीनक्षेत्रों में वर्तमान गवेषणा के तरीकों का विस्तार और नये तरीके जारी करना;

(ख) ३३१·३८ लाख रुपये। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार जी० एम० एफ० नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देगी।

मछुवाहों की आमदनी

†२६४. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में समुद्र के मछुवाहों की अनुमानित औसत प्रति व्यक्ति आय निम्न श्रमिकों की तुलना में कितनी है :

(१) सूती वस्त्र उद्योग;

(२) बागान उद्योग; और

(ख) भारत में एक समुद्रीय मछुवाहे द्वारा जन घंटों में हिसाब लगाने पर वर्ष में कुल कितना काम होता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसक संग्रह में भारत के समग्र समुद्रीय तट का ीर्घ समय तक आर्थिक सर्वेक्षण करना होगा। विचार है कि सर्वेक्षण में जितना भी श्रम तथा व्यय होगा उसकी तुलना में इसकी उपयोगिता कम होगी।

केरल में मत्स्य उत्पादन

†२६५. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मछुवाहों द्वारा प्रयुक्त ७ से १० मील की तटीय सीमा में प्रति एकड़ वार्षिक मत्स्य उत्पादन कितना है;

(ख) करल की इस समुद्रीय मत्स्य उपज की मद्रास, आंध्र, बम्बई, सौराष्ट्र और पश्चिम बंगाल क तटीय क्षत्रों की तुलना में क्या स्थिति है; और

(ग) क्या यह सच है कि केरल के मछुवाहे पुरातन मत्स्य नौकाओं, डोर और कांटे की सहायता से काम में लाये गये क्षेत्र में ब्रिटेन और नार्वे जैसे आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग करने वाले देशों से प्रति एकड़ अधिक मछलियां पकड़ते हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). समुद्र से प्रति एकड़ मछली के उत्पादन से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है और न इस आधार पर जानकारी उपलब्ध ही की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

समुद्र स पकड़ी गई मछलियों का अनुमान भूमि पर लाई गई सम्पूर्ण मछलियां, अथवा एक बार के प्रयत्नस्वरूप पकड़ी गई या नावों के टन भार के अनुसार लगाया जाता है ।

इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े आदि उपलब्ध नहीं कि केरल का मत्स्य उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में कैसा है ।

मछलियों का संग्रह

†२६६. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५६ को भारत में मछलियों का संग्रह करने के लिये कितने चालू शीत-गार थे; और

(ख) इस प्रकार के शीतगारों में संग्रहीत मछलियों का औसत दैनिक वजन टनों में कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

मछवाहों की आमदनी

†२६७. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अनुमान लगाया गया है कि क्या ऐस सामान्य समुद्रीय मछवाहे की जोकि सहकारी संस्था का सदस्य भी है, वार्षिक आय में प्रथम योजना और दूसरी योजना के प्रथम वर्ष में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : अभी तक कोई परिगणना नहीं की गई है ।

केरल राज्य में मछवाहों की सहकारी संस्था

†२६८. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९५६ को केरल में चल रही मछवाहा संस्थाओं की संख्या क्या थी;

(ख) इन संस्थाओं द्वारा १९५५-५६ में बेची गई मछलियों की वार्षिक बिक्री का कुल मूल्य क्या था;

(ग) इन संस्थाओं द्वारा मछवाहों को दिये गये अग्रिम ऋण का कुल मूल्य क्या था; और

(घ) इन संस्थाओं द्वारा मछवाहों को दिये गये उपकरणों का कुल मूल्य क्या था; और

(ङ) क्या मछवाहों की सहकारी संस्थाओं के लिये कोई केन्द्रीय संस्था है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय योजना में पोषक तत्व

†२६९. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री विविध भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति के लिये उपलब्ध भोजन के सम्बन्ध में निम्न बातों का ब्योरा बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(१) औसत व्यक्ति के एक दिन के भोजन में कुल कितनी उष्मीय मात्रा है;

(२) अनाज और/अथवा दालों की मात्रा तथा उनका उष्मीय गुण;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(३) मांस, अण्डे और मछली की मात्रा तथा उनके गुण;

(४) दूध तथा दूध से उत्पन्न वस्तुओं की मात्रा और उनके गुण; और

(५) जीवनोपयोगी भोजन की मात्रा और यदि उनमें कुछ गुण हैं तो वह कितने हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: विभिन्न वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने, व्यापार के भांडारों के खुलने और बन्द होने आदि से सम्बन्धित सांख्यकी आदि के अभाव में विविध भोजनों की यथार्थ उपलब्ध सम्भरण की राज्य-वार परिगणना सम्भव नहीं है।

सारे भारत के लिये १९५४-५५ की जानकारी बताने वाला विवरण साथ में रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४]**

मत्स्य उत्पादन

†२७०. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत मुख्य नदी घाटी योजनाओं में मछलियों का प्राक्कलित दैनिक उत्पादन बताने की कृपा करेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

वन महोत्सव

†२७१. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 'वनमहोत्सव' के अन्तर्गत सबसे अधिक पौधे लगाने के लिये नियत पुरस्कार के लिये १९५५ में कितने व्यक्ति अथवा संस्थायें प्रतियोगिता में सम्मिलित हुई थीं; और

(ख) क्या उसके पश्चात् कोई पुरस्कार दिये गये हैं;

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) राज्य सरकार से जानकारी संग्रहीत की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, नहीं।

केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन

†२७२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के कर्मचारियों की जुलाई, १९५६ में आयोजित वार्षिक साधारण सभा में पारित संकल्प प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों पर कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या अगस्त, १९५६ के पश्चात् कोई छंटनी की गई है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). संकल्पों के तथ्य इस प्रकार हैं :

(१) केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के कर्मचारी स्थायी घोषित किये जायें।

(२) छंटनी किये गये केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के कर्मचारियों को पुनः काम में लगाने का प्रबन्ध करने के लिये एक विशिष्ट पदाधिकारी की नियुक्ति की जाये।

(३) केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन में व्याप्त विभागीय अवकाश पद्धति समाप्त कर दी जाये।

†मूल अंग्रेजी में।

इन तीनों बातों के विषय में निर्णय कर लिये गये हैं। केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के कर्मचारी स्थायी घोषित नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि स्वयं विभाग अस्थायी है। केंद्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा जिन कर्मचारियों की छंटनी की गई है उनके लिये वैकल्पिक कार्य ढूंढने के लिये विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्ति की मांग के विषय में यह कहा जा सकता है कि इन कर्मचारियों की संख्या इतनी वृहद् नहीं है कि इस कार्य के लिये एक पूरे समय का पदाधिकारी नियुक्त किया जाये। केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन प्रशासन अपने यहां से छंटनी किये गये व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक काम ढूंढने के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रयत्न कर रहा है और यह प्रयत्न काफी सफल भी हुए हैं। अगस्त, १९५६ के पश्चात् केवल १९ व्यक्तियों की छंटनी की गई है तथा उनमें से १७ व्यक्ति पुनः विभिन्न सरकारी विभागों में ले लिये गये हैं।

विभागीय अवकाश पद्धति की समाप्ति के विषय में यह कहा जा सकता है कि देश के कुछ भागों म केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कतिपय वर्गों के कर्मचारी पूरी तरह काम में नियोजित नहीं रहते थे। लोकहित में भारत सरकार इनमें रियायतें देने के लिये तत्पर रही है। उदाहरणार्थ, नई दिल्ली में बेस वर्कशाप के लिये और आसाम में जंगल साफ करने वाली यूनिट के लिये विभागीय अवकाश पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि विभागीय अवकाश पद्धति की पूर्ण समाप्ति के लिये कोई आधार नहीं है।

कृषि सम्बन्धी प्रतिनिधिमण्डल

†२७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५६ में इस समय तक विदेशों को कितने कृषि सम्बन्धी प्रतिनिधिमंडल भेजे गए हैं; और

(ख) इन प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा देखे गये देशों के नाम क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) १ जनवरी, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक २९ प्रतिनिधिमण्डल विदेशों में भेजे गये।

(ख) यह प्रतिनिधिमण्डल जिन-जिन देशों में गये हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :–

१. बैंकाक (थाइलैंड)
२. जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड)
३. कोलम्बो (श्रीलंका)
४. रोम (इटली)
५. रोम (इटली)
६. श्रीलंका
७. मड्रिड
८. न्यूयार्क
९. जद्दा (सऊदी अरब)
१०. रोम (इटली)
११. रोम (इटली)
१२. मास्को (सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ)
१३. रोम (इटली)
१४. चीन

†मूल अंग्रेजी में।

१५. आक्सफर्ड (ब्रिटेन)

१६. तेहरान (ईरान)

१७. बैंकाक (थाइलैण्ड)

१८. टोकियो (जापान)

१९. रोम (इटली)

२०. टोकियो (जापान)

२१. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ

२२. रोम (इटली)

२३. पेनांग (मलाया)

२४. जेनेवा (स्विटज़रलैण्ड)

२५. टोकियो (जापान)

२६. बांडुंग (इन्डोनेशिया)

२७. रोम (इटली)

२८. रोम (इटली)

२९. रोम (इटली)

उत्तर-पूर्व रेल पर रेलवे के पुल

२७४. श्री रा० न० सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५६ में उत्तर-पूर्व रेलवे की बनारस-छपरा ब्रांच लाइन के किन-किन पुलों को 'खतरे से खाली नहीं' समझा गया था;

(ख) उपरोक्त पुल कब बनाये गये थे और उस समय इंजीनियरों ने इन पुलों का जीवन-काल कितना आंका था; और

(ग) किन-किन वर्षों में और कितनी बार सरकार ने इंजीनियरों द्वारा इन पुलों का परीक्षण करवाया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सितम्बर १९५६ में गाज़ीपुर घाट और शाहवाजकुली स्टेशनों के बीच बेसो नदी पर पुल नम्बर ३ 'खतरे से खाली नहीं' समझा गया था।

(ख) यह पुल १९०३ में बनाया गया था। यह सूचना नहीं मिल रही है कि १९०३ में जिन इंजीनियरों ने इस पुल को बनाया था उन्होंने इसे किस समय तक गाड़ियों के आने-जाने के लिये ठीक बताया था;

(ग) साल में एक बार इस पुल की पूरी तरह जांच की जाती है और साल क अन्दर इंजीनियर अपने सामान्य निरीक्षण के दौरान में इसकी कई बार जांच करते हैं।

रेलवे लाइनों का टूट जाना

२७५. श्री रा० न० सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व तथा पूर्व रेलव पर कितने स्थानों पर रेलव लाइनों को नुकसान पहुंचा है;

(ख) इस प्रकार नुकसान पहुंचने से कितनी हानि हुई और उसका मुख्य कारण क्या है;

(ग) रेलवे लाइनों के टूट जाने से किन-किन स्थानों पर यातायात में रुकावट पड़ी;

(घ) कितने स्थानों पर और कितने दिनों तक यातायात रुका रहा और रेलवे डाक सेवा के डिब्बे अपने गन्तव्य स्थानों पर नहीं पहुंच सके;

(ङ) बनारस और गाजीपुर रेलवे स्टेशनों पर रेलवे डाक सेवा के डिब्बे कितने दिनों तक रुके पड़े रहे; और

(च) उन डिब्बों में पत्रों और समाचारपत्रों, आदि के कितने थैले थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पूर्व रेलवे के २५ और पूर्वोत्तर रेलवे के ३२ सेक्शनों में नुकसान हुआ। जिन जगहों पर नुकसान हुआ है उनका ब्योरा इकट्ठा किया जा रहा है और यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(ख) बाढ़ से लगभग २२·१७ लाख रुपये का नुकसान हुआ;

(ग) और (घ). एक बयान साथ नत्थी है;

(ङ) बनारस और गाज़ीपुर स्टेशनों पर आर० एम० एस० का कोई डिब्बा पूरे दिनों नहीं रुका रहा। उनकी डाक या तो दूसरे डिब्बों में लाद कर भेज दी गई या उन डिब्बों को दूसरे रास्तों से भेज दिया गया;

(च) सवाल नहीं उठता।

भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड

†२७६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड की १ जुलाई, १९५६ और ३१ अक्तूबर, १९५६ के बीच हुई बैठकों की संख्या; और

(ख) प्रत्येक बैठक में किये जाने वाले निर्णयों का स्वरूप क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) इस अवधि में दो बैठकें हुई थीं।

(ख) एक टिप्पण, जिसमें मुख्य रूप से प्राविधिक और वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में किये निश्चय दिये गये हैं, सन्निहित है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]**

स्टेशन परामर्श समिति

†२७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति की सिफारिश के अनुसरणार्थ स्टेशन परामर्श समितियां बनाई जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे के फीरोजपुर जिले में कितने तथा किन-किन स्टेशनों के लिये समितियां बनाई जायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) २१ समितियां बनाई जा चुकी हैं तथा यह निम्नलिखित स्टेशनों पर कार्य कर रही हैं :

(१) अमृतसर
(२) लुधियाना
(३) जलंधर शहर
(४) पठानकोट
(५) बटाला
(६) अबोहर
(७) जैतू
(८) फाजिल्का
(९) कोटकपूर
(१०) फगवाड़ा
(११) संगरूर
(१२) सुनाम
(१३) अटारी
(१४) कपूरथला
(१५) मोगा तहसील
(१६) जगरांव
(१७) नवां शहर दोआबा
(१८) तरनतारन
(१९) भगतांवाला
(२०) फीरोजपुर छावनी
(२१) होशियारपुर

चूंकि सभी महत्वपूर्ण स्टेशन इसमें सम्मिलित हैं अतः वर्तमान में इस डिवीजन में इस प्रकार की और समितियां स्थापित करने का विचार नहीं है ।

रेलवे के धन का गबन

†**२७८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों में रेलवे मंत्रालय के पदाधिकारियों द्वारा किये गये गबन तथा धोखे के कारण हुई हानि का कोई अनुमान अब तक लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार कितनी रकम का गबन हुआ; और

(ग) उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलवे मंत्रालय में गबन इत्यादि के कारण हानि होने का कोई मामला नहीं हुआ किन्तु रेलवे में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों द्वारा धोखा किये जाने के मामले हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख)	१९५१-५२	४,००,७७३ रुपये
	१९५२-५३	१,०९,०३९ ,,
	१९५३-५४	३,५४,८०० ,,
	१९५४-५५	३,८७,१७९ ,,
	१९५५-५६	३,३६,६९९ ,,

इन आंकड़ों में दक्षिण-पूर्व रेलवे में हुई हानि की राशि सम्मिलित नहीं है । उसके आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और उचित समय पर सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे;

(ग) जहां उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सकता है, वहां सम्बद्ध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से हानि की रकम वसूल करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाता है । यदि कोई धोखा अथवा गबन अधीक्षण की कमी के कारण होता है, तो ऐसी हानि की पर्याप्त मात्रा अपराधी व्यक्तियों से प्रत्यक्षतया अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, अर्थात् वेतन को कम करके या तरक्की रोक कर वसूल कर ली जाती है ।

कोसी परियोजना

†२७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कोसी परियोजना पर कितनी रकम खर्च हुई है; और

(ख) इस परियोजना पर भविष्य में कितना रुपया खर्च किये जाने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) सितम्बर, १९५६ तक लगभग ४·९७ करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है ।

(ख) परियोजना प्राक्कलन के अनुसार, सितम्बर, १९५६ के बाद लगभग ३९·६३ करोड़ रुपया और व्यय किया जायेगा ।

शटल गाड़ी

†२८०. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री २० अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी रेलवे के खंडवा-अजमेर विभाग में एक नई गाड़ी चलाने के बाद उदयपुर और चित्तौड़ के बीच भी एक शटल गाड़ी चलाने की प्रस्थापना पर विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह प्रस्थापना यदि इसका आय दृष्टि से परीक्षण किया जाये—बदली हुई परिस्थितियों में लाभदायक होगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं । हाल के वर्षों में अजमेर खण्डवा विभाग पर नई गाडियां नहीं चलाई गई हैं ।

(ख) उदयपुर-चित्तौड़गढ़ विभाग पर विद्यमान गाड़ियां यातायात की मात्रा को देखते हुए पर्याप्त हैं । किन्तु विचार है कि विभिन्न विभागों में भीड़ का ध्यान रखते हुए गाड़ी संख्या ४४५ तथा ४४६ पर एक तिहाई तीसरी श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध होते ही और बढ़ा दिये जायें ।

स्थाई मार्ग निरीक्षक

†२८१. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(क) क्या यह सच है कि त्रिथी डिवीजन (दक्षिण रेलवे) के कुछ सहायक स्थाई मार्ग निरीक्षक जिन्हें काम करते हुए आठ वर्ष हो गये हैं अभी तक स्थायी नहीं बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, उनकी संख्या कितनी है और उनके स्थायी न बनाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनसे कम सेवा वाले पदाधिकारी उनकी वरिष्टता एवं दावों का उल्लंघन करके स्थायी बना दिये गये हैं; और

(घ) स्थायी बनाने के मामले में क्या नीति अपनाई जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). केवल एक ही कर्मचारी को स्थायी नहीं बनाया गया है जिसके आचरण की जांच की जा रही है ।

(ग) उस कर्मचारी से नीचे के लगभग ५० कर्मचारी उनकी बारी आने 'पर स्थायी कर दिये गये हैं ।

(घ) अस्थायी कर्मचारी, एक वर्ष की सेवा के बाद अपनी-अपनी बरिष्टता के अनुसार तथा जितने स्थायो स्थान रिक्त होते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए–स्थायी बना दिये जाते हैं ।

रेलवे लखा-परीक्षा

†२८२. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे की रेलवे लेखा-परीक्षा परिशिष्ट ३-क में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या अन्य रेलों के मुकाबले में तथा पहली परीक्षाओं के आंकड़ों की तुलना में बहुत ही कम है; और

(ख) क्या यह सच है कि एफ० ए० तथा सी० ए० ओज़. को पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि या कमी करने का अधिकार है चाहे परीक्षा में किसी के कितने ही नम्बर क्यों न आये हों ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं ।

प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र, गोरखपुर

†२८३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र, गोरखपुर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारियों की भान्ति समझा गया है तथा क्या उन्हें वही वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलता है जैसा कि अन्य रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है;

(ख) क्या उन्हें पास तथा रियायती टिकट मिलेंगे;

(ग) यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस मामले को अन्तिम रूप से कब तक निश्चित किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खा)** : (क) वे रेलवे कर्मचारी हैं, किन्तु ठीक समय पर उनके वेतन आदि निर्धारित करने में देरी हुई थी । आदेश दे दिये गये हैं कि उनके वेतनों को अन्तिम रूप से निर्धारण होने तक, वेतन वर्ग के न्यूनतम वर्ग में रखा जाये ।

(ख) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) मामला एक महीने में निश्चित कर दिया जायेगा ।

रेलवे के इंजन, डिब्बे आदि

२८४. **{पंडित द्वा० न० तिवारी / श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे इंजन मालगाड़ी के डिब्बे और सवारी गाड़ी के डिब्बे, जिनके लिये विदेशों को १९५६ में आर्डर दिये गये थे, प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन देशों से कितने मूल्य के कौन-कौन से सामान अब तक नहीं प्राप्त हुए ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक बयान साथ नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]**

शाहदरा म्युनिसिपल चुनाव

२८५. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) शाहदरा म्यूनिसिपल चुनाव में कितना व्यय किया गया; और

(ख) उन सदस्यों का कार्य-काल कितना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) शाहदरा म्युनिसिपल चुनाव में शाहदरा म्युनिसिपल कमेटी द्वारा कुल खर्च १७,८३७ रुपये १० आने और ९ पाई किया गया ।

(ख) तीन साल ।

गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड

२८७. **श्री खु० चं० सोधिया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड का संगठन प्रारम्भ में कब किया गया था;

(ख) इस समय इस बोर्ड के कितने सदस्य हैं और उनके क्या नाम हैं । इसकी बैठकें किस तारीख से होनी शुरू हुई थीं और अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं;

(ग) इस बोर्ड को कौन-कौन से काम सौंपे गये हैं और उसका वर्तमान कार्यक्रम क्या है; और

(घ) क्या बोर्ड ने अभी तक अपने कामों के बारे में कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ८ मार्च, १९५२ ।

(ख) बोर्ड का संगठन साथ में लगे हुए विवरण में दिया गया है । बोर्ड की पहली बैठक २५ जुलाई, १९५२ को हुई थी और अब तक नौ बैठकें हो चुकी हैं ।

(ग) बोर्ड के कामों को परिवहन मंत्रालय के तारीख ८ मार्च, १९५२ के प्रस्ताव नं० ६-एम (८)/५१ में बताया गया है जिसकी एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८]** बोर्ड ने इस समय इन नीचे दी गई योजनाओं को हाथ में ले लिया है ।

(१) गंगा के ऊपरी भाग में कम गहरे पानी में चलने योग्य नौका योजना ।

(२) आसाम की सहायक नदियों के लिये इसी प्रकार की एक छोटे जहाज चलाने की योजना।

(३) ब्रह्मपुत्र नदी में गाड़ियों और मुसाफिरों को ले जाने के लिये डीज़ल से चलने वाली नौका।

(४) नदी का नियन्त्रण और पालन।

(५) ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पर रेडियो टेलीफोन से बातचीत का शुरू करना।

(६) पांडु, गौहाटी, डुबरी, करीमगंज, पटना मनिहारी और बनारस के अन्तर्देशीय-बन्दरगाह में सुविधाओं का विकास।

(७) नदियों का लगातार सर्वेक्षण करना और चालकों के लिये नौचालन सम्बन्धी नक्शों को देना।

(८) नहीं। परिवहन मंत्रालय की प्रशासन रिपोर्ट में बोर्ड के कामों का ब्योरा दिया गया है।

वन महोत्सव

†२८८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक वन महोत्सव योजना के अन्तर्गत देश में कुल कितने वृक्ष लगाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५० से १९५३ तक लगाये गये वृक्षों की संख्या नीचे दी जाती है :

वर्ष	लगाये गये वृक्षों की संख्या
१९५०	४४,३१५,०००
१९५१	३५,८२१,०००
१९५२	४२,२४३,०००
१९५३	२३,८५२,०००
कुल	१४६,२३१,०००

वर्ष १९५४, १९५५ तथा १९५६ में लगाये गये वृक्षों की संख्या की जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है।

चीनी की मिलें

२८९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १० मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २११९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले मौसम में बन्द रहने वाली मिलों में से १९५६-५७ के गन्ना पेरने के मौसम में कितनी मिलों के चलने की आशा है;

(ख) क्या सरकार कोई योजना बना रही है ताकि अगले मौसम में सभी मिलें चालू हों; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) एक, भत्नी, जिला देउरिया, उत्तर प्रदेश।

(ख) और (ग). समस्त बन्द पड़ी मिलों को गन्ना पेरने के लिये चालू करना सम्भव अथवा किफायती नहीं समझा जाता है। ऐसी १६ मिलें में से १३ मिलों की मशीनें छोटी और बिना किफायत

†मूल अंग्रेजी में।

वाली हैं। दूसरी दो लिक्विडेशन (दिवालिया) में गई हैं। बाकी एक सांझियों में झगड़े के कारण बन्द पड़ी है और इसको चालू करने के विचार से इसे इन्ड्रस्ट्रीज एक्ट के आधीन रजिस्टर करवाने का कदम उठाया जा रहा है।

लखनऊ-कानपुर सवारी गाड़ी

२९०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ-कानपुर सवारी गाड़ी जो लखनऊ से ही बन कर १०–५ म० पू० पर रवाना होती है पिछले पांच महीनों में लखनऊ से ही कितनी बार देर से छूटी;

(ख) क्या यात्रियों ने इस सम्बन्ध में शिकायतें की हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क)

महीना	दस बजकर ५ मिनट पर छूटने वाली ३ एल सी सवारी गाड़ी कितनी बार देर से रवाना हुई
जून, १९५६	७
जुलाई, १९५६	९
अगस्त, १९५६	५
सितम्बर, १९५६	८
अक्तूबर, १९५६	१७

(ख) जी, हां।

(ग) बेजा देर के लिये जिम्मेवार कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। इस गाड़ी पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और इस ठीक समय पर चलाने की पूरी कोशिश की जायेगी।

रेलवे कमचारियों के लिये "सुझाव दो, धन लो" योजना

†२९१. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से "सुझाव दो, धन लो" योजना रेलवे कर्मचारियों में मूल रचनात्मक विचार प्रोत्साहित करने के लिये लागू की गई है तब से रेलवे में सुधारों के बारे में विभिन्न विषयों पर कितने सुझाव आये हैं;

(ख) कितने पारितोषिक दिये गये हैं; और

(ग) किन-किन विषयों पर सुझाव आये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १,१३०।

(ख) २२।

(ग) यह सुझाव विभिन्न रेलवे कार्यों तथा पहलुओं से सम्बन्धित हैं जैसे मौसम के टिकटों के दुरुपयोग को रोकना, लाइन में सुधार करना, रेलवे डिब्बों में सुरक्षा के साधन और रेलवे वर्कशापों में उत्पादन क तरीकों म सुधार आदि।

†मूल अंग्रेजी में।

रेलवे में वृत्ति-शिशिक्षु

†२९२. **श्री धुसिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे में इस वर्ष अब तक किन-किन स्थानों में वृत्ति शिशिक्षु भर्ती किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक स्थान पर ऐसे कितने शिशिक्षु भर्ती किये गये हैं और उन्हें किस तरीके से चुना जाता है; और

(ग) उन स्थानों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भर्ती किये गये लोगों की संख्या कितनी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९]**

यात्री सुविधायें

†२९३. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे के पंडू डिवीजन में चलने वाली गाड़ियों में पंखों तथा रोशनी का प्रबन्ध ठीक नहीं है और अन्य यात्री सुविधाओं के बारे में कुछ शिकायतें भी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन असुविधाओं को दूर करने के लिये कोई प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां, ऐसे कई मामले हुए हैं ।

(ख) जी, हां । जेनरेटरों वाले डिब्बों की संख्या बढ़ाई जा रही है । महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बैट्री चार्ज करने के अधिक सैटों की व्यवस्था की जा रही है । चोरी आदि रोकने के लिये सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत किया जा रहा है । अन्य सुविधाओं में सुधार करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ।

गोदावरी स्टेशन पर ऊपरी पुल

†२९४. { **श्री मोहन राव** :
श्री ब० स० मूर्ति :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी रेलवे स्टेशन पर पक्का ऊपरी पुल बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलव तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

समालकोट स्टेशन पर ऊपरी पुल

†२९५. **श्री मोहन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समालकोट रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार के परामर्श से इस प्रस्थापना की जांच की जा रही है । जब राज्य सरकार लागत के अपने हिस्से को स्वीकार करने की सूचना दे देगी उस समय निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३३-५३

तारांकित
प्रश्न संख्या — विषय

३३१ तिन्नवेली में रेलवे डिवीजन ३३३
३३२ दिल्ली में मेडीकल कालेज ३३३–३५
३३३ सैलम-बंगलौर रेलवे लाइन ३३५–३६
३३४ पाकिस्तान से सिंधी गायों का आयात ... ३३६
३३५ नौवहन ३३६–३८
३३६ दर तथा लागत समिति ३३८–३९
३३७ रेलवे प्रतिकर दावे ३३९–४०
३४० मलेरिया ३४०–४१
३४१ दूसरे देशों को खाद्यान्नों का सम्भरण ३४१–४२
३४२ राज्य परिवहन विभाग ३४२–४३
३४४ भारत-पाकिस्तान रेल यातायात ... ३४३–४४
३४७ रेल डिब्बों में विद्युत् प्रकाश करने के लिये उपकरण ... ३४४–४५
३५१ खाद्य तथा कृषि संगठन ... ३४५
३५२ दिल्ली अस्पताल ३४५–४६
३५३ सामुदायिक विकास के लिये ज़िला मंत्रणा समितियां ३४६–४९
३५५ रेलों में खतरे की जंजीरों का दुरुपयोग ३४९–५०
३५७ रेलवे कर्मचारी ३५०–५२
३५८ खाद्यान्न का उत्पादन ३५२–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३५३-८४

तारांकित
प्रश्न संख्या

३३८ बिना टिकट यात्रा ३५३
३३९ अमेरिका से गेहूं ३५३
३४३ नागार्जुन सागर बांध ... ३५४
३४५ योजना आयोग के पदाधिकारियों का चीन का दौरा ... ३५४
३४८ देशीय चिकित्सा पद्धतियों सम्बन्धी सम्मेलन ३५४–५५
३४९ फल और शाक विकास बोर्ड ३५५
३५० होम्योपैथी ३५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३५४	कुलू घाटी विकास	३५५
३५६	सहकारी बैंक	३५५–५६
३५९	बम्बई पत्तन न्यास की नौका का डूब जाना	३५६
३६०	भारतीय चिकित्सा स्नातक ...	३५६
३६१	कृषि सम्बन्धी उपकरण ...	३५६–५७
३६२	अन्तर्देशीय जल परिवहन के जलमार्ग	३५७
३६३	प्रथम पंचवर्षीय योजना	३५७
३६४	आन्ध्र प्रदेश में रेलगाड़ियां	३५८
३६५	नाविकों के लिये समाज सुरक्षा योजना ...	३५८
३६६	अन्तर्देशीय जल परिवहन ...	३५८
३६७	केरल राज्य में ज़िला बोर्ड	३५९
३६८	लालागुड्डा रेलवे वर्कशाप	३५९
३६९	दन्त-चिकित्सा शल्यक	३५९–६०
३७०	पर्यटक केन्द्र ...	३६०
३७१	चितरंजन रेलवे कर्मशाला	३६०
३७२	दिल्ली परिवहन सेवा	३६०
३७३	शूगर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर	३६०
३७४	दामोदर घाटी परियोजना ...	३६१
३७५	रेलवे वर्कशाप टेक्नीकल स्कूल	३६१
३७६	ताला पुल	३६१–६२
३७७	उड़ीसा में चावल के गोदाम	३६२
३७८	पठानकोट से जम्मू तक रेलवे लाइन	३६२
३७९	ज़िलों में स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	३६२
३८०	टैल्को रेल-इंजिन	३६२–६३
३८१	धान रोग	३६३
३८२	पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण	३६३
३८३	रेलवे खेपों की निकासी	३६३–६४
३८४	परादीप पत्तन	३६४

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४२	मछली पकड़न की नावें	३६५
२४३	छोटी तथा मध्यम आकार की परियोजनायें	३६५
२४४	पंजाब तथा राजस्थान में रलव लाइनें	३६५
२४५	दिल्ली परिवहन सेवा ...	३६६
२४६	उत्तर रेलवे पर मिली-जुली गाड़ियां	३६६–६७
२४७	पुराने माल डिब्बे	३६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२४८	रेलगाड़ियों का समय पर चलना ...	३६७
२४९	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	३६७
२५०	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	३६७–६८
२५१	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	३६८
२५२	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	३६८
२५३	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	३६८
२५४	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	३६८–६९
२५५	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	३६९
२५६	चिलका झील से मछली की प्राप्ति	३६९
२५७	मछली का मूल्य ...	३६९
२५८	बर्फ और शीत कोठार संयंत्र	३६९–७०
२५९	केरल राज्य में मछली बन्दरगाहें	३७०
२६०	कोचीन में परीक्षात्मक मत्स्य-ग्रहण केन्द्र	३७०–७१
२६१	मीन-क्षेत्र	३७१
२६२	मत्स्य-ग्रहण तट के सम्बन्ध में चार्ट और नक्शे बनाना	३७१
२६३	गहन समुद्र मत्स्य-ग्रहण	३७१–७२
२६४	मछवाहों की आमदनी	३७२
२६५	केरल में मत्स्य उत्पादन	३७२–७३
२६६	मछलियों का संग्रह	३७३
२६७	मछवाहों की आमदनी ...	३७३
२६८	केरल राज्य में मछवाहों की सहकारी संस्था	३७३
२६९	भारतीय भोजन में पोषक तत्व	३७३–७४
२७०	मत्स्य उत्पादन	३७४
२७१	वन महोत्सव	३७४
२७२	केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन	३७४–७५
२७३	कृषि सम्बन्धी प्रतिनिधिमण्डल	३७५–७६
२७४	उत्तर-पूर्व रेल पर रेलवे के पुल	३७६
२७५	रेलवे लाइनों का टूट जाना	३७६–७७
२७६	भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड	३७७
२७७	स्टेशन परामर्श समिति	३७७–७८
२७८	रेलवे के धन का गबन	३७८–७९
२७९	कोसी परियोजना	३७९
२८०	शटल गाड़ी ...	३७९
२८१	स्थाई मार्ग निरीक्षक	३७९–८०
२८२	रेलवे लखा-परीक्षा ...	३८०
२८३	प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र, गोरखपुर	३८०–८१
२८४	रेलवे के इंजन, डिब्बे आदि ...	३८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२८५	शाहदरा म्युनिसिपल चुनाव	३८१
२८७	गंगा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड	३८१–८२
२८८	वन महोत्सव	३८२
२८९	चीनी की मिलें ...	३८२–८३
२९०	लखनऊ-कानपुर सवारी गाड़ी	३८३
२९१	रेलवे कर्मचारियों के लिये "सुझाव दो, धन लो" योजना	३८३
२९२	रेलवे में वृत्ति-शिशिक्षु	३८४
२९३	यात्री सुविधायें	३८४
२९४	गोदावरी स्टेशन पर ऊपरी पुल	३८४
२९५	समालकोट स्टेशन पर ऊपरी पुल	३८४

M8LSD—190—1-2-58—GIPF

खण्ड ९ — अंक ८
२३ नवम्बर, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में)

दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४१

राज्य-सभा से संदेश ३४१–४२

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३४२

कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ३४२

सभा का कार्य ३४२

विदेशियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक—
विधेयक पुरःस्थापित किया गया ३४३

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—
विधेयक पुरःस्थापित किया गया ३४३

कर्मचारी भविष्य निधि संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३

भारतीय सांख्यकी संस्था विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३–४४

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक ३४४–५६
विचार करने का प्रस्ताव ३४४
श्री वल्लाथरास ... ३४४–४८
श्री ले० जोगेश्वर सिंह ३४८
श्री पुन्नूस ... ३४८–४९
श्री न० रा० मुनिस्वामी ३४९
श्री अच्युतन ३४९–५०
श्री जोकिम आल्वा ३५०–५१
श्री बर्मन ३५१
डा० काटजू ... ३५१–५३
खण्ड २ से ५ और खण्ड १ ... ३५३–५५
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव ३५६
डा० काटजू ३५६
श्री दी० चं० शर्मा ३५६

फरीदाबाद विकास निगम विधेयक ३५६–६४
विचार करने का प्रस्ताव ३५६
श्री ज० कृ० भोंसले ३५६–५८
लाला अचिन्त राम ३५८–६०
पंडित ठाकुर दास भार्गव ३६०–६४

विषय-सूची

[भाग २, वाद-विवाद, खण्ड ६—अंक १ से १५—१४ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १६५६]

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १६५६ — **पृष्ठ**

श्री भवानी सिंह का देहावसान — १

स्थगन प्रस्ताव—

हंगरी क बारे में पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार का दृष्टिकोण — १–२

उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता न दिये जाने का आरोप ... ... — २

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल — ३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... — ४–७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — ७

सदस्यों का त्यागपत्र ... — ७

विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
के बारे में अधिसूचना

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना — ८

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव — ८–२८
खण्ड १ से १६ ... ... — २६–२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — २८

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — २८–४४
खण्ड १ से ५८ और अनुसूची ... — ३६–४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ४४

दैनिक संक्षेपिका — ४५–४८

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १६५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र — ४६

कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ... ... — ४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... — ४६

दो सदस्यों का नामनिर्देशन ... — ४६

भाग "ग" राज्य (विधि) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — ५०–५५
खण्ड २ से ४ और खण्ड १ ... — ५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ५५

पृष्ठ

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ५५–८०
खण्ड २ और १ ... ... ८०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८०
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ८१–९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन ९६
दैनिक संक्षेपिका ९७

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता का निधन ९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ९९–१०१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में वक्तव्य ... १०१–०५
जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप के बारे में प्रश्न १०५
कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन १०६
प्रवर समितियों द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि—
(१) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक १०६
(२) बाल विधेयक १०६
(३) स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १०६
अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... १०७
राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १०७
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक १०७–१७
खण्ड २ से ७ और १ १०७–१०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ११०
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ११८–२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन १२१
नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों के बारे में संकल्प १२१–३४
सभा का कार्य १११, ११७–१८, १३४–३५
दैनिक संक्षेपिका १४४–४६

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	१४७–४८
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत—	
साक्ष्य सभा-पटल पर रख दिये गये ...	१४९
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका ...	१४९
सभा का कार्य ... — — ... ... —	१४९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव	१५०–८५
दैनिक संक्षेपिका	१८६–८७

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८९–९०
बाट तथा माप मान विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९०
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९१
संयुक्त समिति के समक्ष दी गयी साक्षी	१९१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ...	... १९१–२२९
दैनिक संक्षेपिका	२३१–३२

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	... २३३, २५५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन	२३३
स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२३३
रेलवे समय-सारिणियों तथा गाइडों सम्बन्धी याचिका	२३४
केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	२३४
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३५
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव ...	२३६–५१
खण्ड २ से ९, अनुसूची तथा खण्ड १	२४८–५०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५०

पृष्ठ

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५१–५८
खण्ड २ तथा १ ... ... २५५–५७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २५७

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५८–८३
खण्ड २ से ४६, अनुसूची तथा खण्ड १ ... २७२–८२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २८२

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८३–८५

दैनिक संक्षेपिका २८६–८७

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८९–३२२
खण्ड २ और १ ... ३२२
पारित करने का प्रस्ताव ३२२

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३२३–३६
खण्ड २ से ७ और १ ... ३३५–३६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३६

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक— ,
विचार के लिये प्रस्ताव ३३७–३८

दैनिक संक्षेपिका ३३९

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४१
राज्य-सभा से सन्देश ३४१–४२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३४२

कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ३४२
सभा का कार्य ३४२
विदेशियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३

पृष्ठ

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३
भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३–४४
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३४४–५६
खण्ड २ से ५ और खण्ड १ ... ३५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३५६–६४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–
तिरेसठवां प्रतिवेदन ३६४
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०७ का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ३६५
भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक (धारा ३ आदि का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ... ३६५
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—
(धारा ६ का संशोधन)—पुरःस्थापित किया गया ३६६
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६६–८९
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३८९–९०
दैनिक संक्षेपिका ३९१–९२

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना ... ३९३–९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३९९–४००
राज्य-सभा से सन्देश ... ४००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ४००
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४०१–१५
खण्ड २ से ३५, अनुसूची तथा खण्ड १ ... ४१४–१५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१५
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४१५–४४
दैनिक संक्षेपिका ४४५–४६

पृष्ठ

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४७–४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मनीपुर से एक सदस्य का राज्य-सभा के लिये निर्वाचन ४४८–४९

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक ४४९–६१

खण्ड २ से १६ और १ ... ... ४४९–६१

पारित करने का प्रस्ताव ... ४६१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४६१–७९

खण्ड २ से ८ और १ ... ... ४७५–७९

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४७९

मद्रास-तूतीकोरिन रेल दुर्घटना पर चर्चा ४७९–९६

दैनिक संक्षेपिका ... ४९७–९८

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रिवेन्द्रम् में केरल उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना के बारे में आन्दोलन ४९९–५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ... ५०१

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५०१–३७

दैनिक संक्षेपिका ५३८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६

भारतीय डाक तथा तार अधिनियम और नियमों के बारे में याचिका ५३९

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५३९–५७

खण्ड २ से १०२ और खण्ड १ ... ५४६–५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५५७

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५५८–८३

दैनिक संक्षेपिका ५८४

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ५८५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८६

पृष्ठ

लोक-लेखा समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५८६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

बाल विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६
प्रवर समिति के सामने दिया गया साक्ष्य ५८६–८७

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५८७

सभा का कार्य ५८७–८८

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ५८८–६१२
खण्ड २ से २५ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ६०२–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौसठवां प्रतिवेदन ६१२–१३

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६१३–२८

राजनैतिक पीड़ितों के बालकों के लिये छात्रवृत्तियों के बारे में संकल्प ६२८–२९

आर्थिक स्थिति और कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें ६२९–३६

वित्त (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित ६३६–३७

वित्त (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित ६३७

दैनिक संक्षेपिका ६३८–३९

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
रामलीला मैदान में पटाखे का विस्फोट ६४१–४२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६४२–४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ६४३
राज्य-सभा से सन्देश ६४३

हिन्दू दत्तकग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

पृष्ठ

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन ६४३–४४

सभा का कार्यक्रम ६४४

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ६४४

राष्ट्रपति की केरल सम्बन्धी उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ६४४–८०

दैनिक संक्षेपिका ... ६८१–८२

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६८३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठाहरवां प्रतिवेदन ६८३–८८

समिति के लिये चुनाव—
भारतीय टैक्नोलाजीकल संस्था, खड़गपुर ६८८

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ६८९–७१७

कार्य मंत्रणा समिति—
चवालीसवां प्रतिवेदन ७१७

केरल के खनिज संसाधन सम्बन्धी आध घंटे की चर्चा ७१७–२२

दैनिक संक्षेपिका ७२३

M44LSD—190—26-3-58—GIPF.

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजासिंह (गुरदासपुर)
अग्रवाल, श्री मुकुन्दलाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व)
अग्रवाल, श्री होतीलाल (जिला जालौन व जिला इटावा—पश्चिम व जिला झांसी—उत्तर)
अचल सिंह, सेठ (जिला आगरा—पश्चिम)
अचलू, श्री सुकम (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अचिन्त राम, लाला (हिसार)
अच्युतन, श्री क० त० (क्रेंगन्नूर)
अजित सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अजित सिंह जी, जनरल (सिरोही–पाली)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (दरभंगा—पूर्व)
अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)
अब्दुल्ला भाई, मुंल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)
अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)
अमजद अली, श्री (ग्वालपाड़ा–गारो पहाड़ियां)
अमृत कौर, राजकुमारी (मंडी–महासू)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (तिरुपति)
अय्युण्णि, श्री क० रा० (त्रिचूर)
अलगेशन, श्री (चिंगलपट)
अस्थाना, श्री सीता राम (जिला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर व जिला बरेली—पश्चिम)
आज़ाद, श्री भागवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)
आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)
आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इक़बाल सिंह, सरदार (फाज़िलका–सिरसा)
इब्राहीम, श्री अ० (रांची उत्तर-पूर्व)
इलयापेरुमल, श्री ल० (कड्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया उत्तर-पूर्व)
ईयाचरण, श्री इयानी (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला-जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित आदिम-जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ़—पूर्व)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
एबनजिर, डा० सु० अ० (विकाराबाद)

क

कंदस्वामी, श्री स० कु० बेबी (तिरुचेंगौड़)
कक्कन, श्री पु० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कथम, श्री वीरेंद्र नाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित आदिम-जातियां)
कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)
क्याल, श्री पारेशनाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह जी, हिज हाइनेस महाराजा श्री बहादुर बीकानेर (बीकानेर–चूरू)
कासलीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा—झालावाड़)
काचिरायर, श्री न० दो० गोविन्द स्वामी (कडलूर)
काजमी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (जिला सुल्तानपुर—उत्तर व जिला फैजाबाद दक्षिण-पश्चिम)
काजरोल्कर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
काटजू, डा० कैलास नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव पाथ्रीकर (नान्देड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री बैजनाथ (जिला प्रतापगढ़ पश्चिम व जिला रायबरेली पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री तालिब प्यारेलाल (जिला बांदा व जिला फतहपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (भागलपुर व पूर्निया)
कृष्ण, श्री म० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र. श्री (जिला मथुरा–पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशव अय्यंगार, श्री न० (बंगलौर—उत्तर)
केसकर, डा० ब० वि० (जिला सुल्तानपुर—दक्षिण)

क–(क्रमशः)

कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौट्टकपल्ली, श्री जार्ज थामस (मीनाचिल)

ख

खरे, डा० ना० भा० (ग्वालियर)
खर्डेकर, श्री बा० ह० (कोल्हापुर व सतारा)
खां, श्री शाहनवाज़ (जिला मेरठ––उत्तर-पूर्व)
खां, श्री सादत अली (इब्राहीमपटनम्)
खुदा बख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेड़कर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडान-अकोला)
खोंगमेंन, श्रीमती बो० (स्वायत्त ज़िले––रक्षित––अनुसूचित आदिम-जातियां)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (जिला जौनपुर––पूर्व––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज़ (जिला प्रतापगढ़––पश्चिम व जिला रायबरेली––पूर्व)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंचमहल व बड़ोदा–पूर्व)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर––उत्तर)
गाडगील, श्री नरहरी विष्णु (पूना––मध्य)
गाडिलिंगन गौड, श्री (कुरनूल)
गाम मल्लूदोरा, श्री (विशाखापटनम्––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
गिडवानी, श्री चौइथराम परताबराय (थाना)
गिरि, श्री व० वे० (पातपटनम्)
गुप्त, श्री बादशाह (जिला मैनपुरी––पूर्व)
गुप्त, श्री साधन चन्द्र (कलकत्ता––दक्षिण-पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री म० शि० (मैसूर)
गुलाम कादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (शांतिपुर)
गोपालन, श्री अ० क० (कन्ननूर)
गोपीराम, श्री (मंडी–महासू––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर––दक्षिण)
गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित––आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोतम, श्री (बालाघाट)
गोंडर, श्री क० पैरियास्वामी (इरोड)
गोंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेल (पेरियाकुलम)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चटर्जी, श्री नि० चं० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (जिला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (तिरुबल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चांडक, श्री भी० ल० (बेतूल)
चाड़क, ठा० लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चालिहा, श्री विमला प्रसाद (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
चावदा, श्री अकबर (बनस्कंठा)
चेट्टियार, श्री ति० सु० ओबिनाशीलिंगम् (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चौधरी, श्री गणेशी लाल (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी पूर्व—रक्षित) अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री निकुंजबिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री च० रा० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री राम राज (संथाल परगना व हजारीबाग)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरामन, श्री (टिंडीवनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री रायजी, श्रीमती (बम्बई–उपनगर)
जयसूर्य, डा० न० म० (मेदक)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटववीर, डा० माणिक चन्द (भरतपुर–सवाई-माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेनवार (पालामऊ व हजारीबाग व रांची—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेंकनाल—पश्चिम कटक—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर क्योंझर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैदी, कर्नल ब० हु० (जिला हरदोई—उत्तर पश्चिम व जिला फरुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण)
जैन, श्री अजित प्रसाद (जिला सहारनपुर—पश्चिम व जिला मुजफरनगर—उत्तर)
जैन, श्री नेमी शरन (जिला बिजनौर—दक्षिण)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (जिला बहराइच—पश्चिम)

ज—(क्रमशः)

जोशी. श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल-सीधी)
जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)
जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)
जोशी, श्री नन्द लाल (इन्दौर)
जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नगिरि—दक्षिण)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर-राजगढ़)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)
ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर—मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (जिला इलाहाबाद—पश्चिम)
टेकचन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डाभी, श्री फूलसिंहजी भ० (कैरा—उत्तर)
डामर, श्री अमर सिंह सावजी (झबुआ–रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन—दक्षिण)
तिवारी, पंडित ब० ला० (नीमाड़)
तिवारी, सरदार राज भानू सिंह (रीवा)
तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया टीकमगढ़)
तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (जिला कानपुर—उत्तर व जिला फर्रुखाबाद—दक्षिण)
तुलसीदास किलाचन्द, श्री (मेहसाना पश्चिम)
तेलकीकर, श्री शंकर राव (नन्देड़)
त्यागी, श्री महावीर (जिला देहरादून व जिला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व जिला सहारनपुर—पश्चिम)
त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरांग)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (जिला उन्नाव व जिला राय बरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिण-पूर्व)
त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (जिला मुजफ्फरनगर—दक्षिण)
त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

थ

थिरानी, श्री (बारगढ़)
थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थामस, श्री अ० व० (श्रीबैकुंठम्)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण—पश्चिम)
दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा—पूर्व)
दामोदरन, श्री नेत्तूर प० (तेलिचेरी)
दामोदरन, श्री गो० रं० (पोल्लाची)
दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांव—उत्तर)
दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, श्री ब० (जाजपुर-क्योंझर)
दास, श्री बेली राम (बारपेटा)
दास, डा० मन मोहन (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री राम धनी (गया—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम—दक्षिण)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दास, श्री श्रीनारायण (दरभंगा—मध्य)
दिगम्बर सिंह, श्री (जिला एटा—पश्चिम व जिला मैनपुरी—पश्चिम व जिला मथुरा—पूर्व)
दीवान, श्री राघवेंद्रराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
दुबे, श्री उदय शंकर (जिला बस्ती—उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर)
दुबे, श्री राजाराम गिरधरलाल (बीजापुर—उत्तर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबसा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक—मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती—पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अरावती—पूर्व)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
देसाई, श्री खंडूभाई कासनजी (हालर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (जिला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री र० वि० (जिला झांसी—दक्षिण)
धुसिया, श्री सोहन लाल (जिला बस्ती—मध्य-पूर्व व जिला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ—पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नटराजन, श्री श० श० (श्रीविल्लीपुत्तूर)

न—(क्रमशः)

नटवाडकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
नथवानी, श्री नरेन्द्र (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री क० आनन्द (मयूरम्)
नरसिंहम, श्री च० रा० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री श० व० ल० (गुंटूर)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री मंगलगिरि (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री नाला रेड्डी (राजहमुंद्री)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वें० प० (चिरयिन्कील)
नायर, श्री च० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)
नेवटिया, श्री रा० प्र० (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी पूर्व)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़—दक्षिण)
नेसामनी, श्री अ० (नागरकोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद—पूर्व व जिला जौनपुर—पश्चिम)
नेहरू, श्रीमती शिवराजवती (जिला लखनऊ—मध्य)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर—उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित—आदिम जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा—दक्षिण)
पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा)
पन्नालाल, श्री (जिला फैजाबाद—उत्तर-पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंचमहल व बड़ौदा—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परांजपे, श्री (भीर)
परागी लाल, चौधरी (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)
पाण्डे, श्री च० द० (जिला नैनीताल व जिला अल्मोड़ा—दक्षिण-पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर)
पाण्डे, श्री बद्रीदत्त (जिला अल्मोड़ा—उत्तर-पूर्व)
पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री सा० का० (बम्बई नगर—दक्षिण)
पाटिल, श्री पं० रा० कानावडे (अहमदाबाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड वीरनगौड़ (बेलगाम—दक्षिण)
पारिख, डा० जयंती लाल नरभेरम (झालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधारीलाल (मेहसाना—पूर्व)

प--(क्रमशः)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (आल्लप्पि)
पोकर साहेब, श्री (मलप्पुरम)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पंडित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर-रिवाड़ी)
बंसीलाल, श्री (जयपुर)
बदन सिंह, चौधरी (जिला बदायूं--पश्चिम)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बरूआ, श्री देवकान्त (नौगांव)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बसु, श्री अ० क० (उत्तर बंगाल)
बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड-हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फीरोजपुर-लुधियाना--रक्षित अनुसूचित जातियां)
बागड़ी, श्री मगन लाल (महासमुंद)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा रायगढ़--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझनू--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री स० चि० (इरोड--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बालसुब्रह्मण्यम, श्री स० (मदुरै)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (जिला बुलंदशहर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तमकुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर--दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (जिला जौनपुर--पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा--पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम)
बूवराघस्वामी, श्री वे० (पैरम्बलूर)
बैनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)
बैरो, श्री ए० अ० था० (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)
बोगावत, श्री उ० रा० (अहमदनगर--दक्षिण)
बोरकर, श्रीमती अनुसूयाबाई (भंडारा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बोस, श्री (मानभूम--उत्तर)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया--पूर्व)
ब्रह्मचौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

भ

भक्त दर्शन, श्री (जिला गढ़वाल--पूर्व व जिला मुरादाबाद--उत्तर पूर्व)
भगत, श्री बा० रा० (पटना व शाहाबाद)

भ—(क्रमशः)

भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी, श्री खीमजी (कच्छ—पश्चिम)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भार्गव, पंडित मुक्ट बिहारीलाल (अजमेर—दक्षिण)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवतमाल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा-डुंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
भौंसले, श्री जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नगिरि—उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बाकुंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मथुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (दक्षिण कन्नड़—उत्तर)
मसुरिया दीन, श्री (जिला इलाहाबाद—पूर्व व जिला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मुहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)
महता, श्री भजहरि (मानभूम—दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभम दक्षिण व धालभूम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मातन, श्री (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा अ० (पूना—दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (जिला गोंडा—पूर्व व जिला बस्ती—पश्चिम)
मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित चतुरनारायण (रायसेन)
माबलंकर, श्रीमती सुशीला (अहमदाबाद)
मिनीमाता, श्रीमती (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर—रक्षित—अनुसचित जातियां)
मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर उत्तर-पश्चिम)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (जिला बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)
मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)
मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)
मिश्र, श्री विज्ञेश्वर (गया—उत्तर)

म–(क्रमशः)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा––उत्तर)
मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (जिला देवरिया––दक्षिण)
मिश्र, पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर––उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्रनाथ (कलकत्ता––उत्तर-पूर्व)
मुक्णे, श्री य० मा० (थाना––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
मत्तुकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मुदलियार, श्री चि० रामस्वामी (कुम्बकोणम)
मुनिस्वामी, श्री (टिंडीवनम्)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वान्दिवाश)
मुरली मनोहर, श्री (जिला बलिया––पूर्व)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर––झुंझनू)
मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मुसाफिर, श्री गुरुमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, सूफी (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद शफी, चौधरी (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)
मूर्त्ति, श्री ब० स० (एलुरु)
मेनन, श्री दामोदर (कोजिकोडे)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री जसवन्तराव (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवंतराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मैत्र, श्री मोहिल कुमार (कलकत्ता––उत्तर-पश्चिम)
मैथ्यू, श्री (कोट्टयम्)
मैस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम्)
मोरे, श्री कृ० ल० (कोल्हापुर व सतारा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

र

रघुरामैय्या, श्री कोत्ता (तेनालि)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला बनारस––मध्य)
रघुवीर सहाय, श्री (जिला एटा––उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं––पूर्व)
रघुवीर सिंह, चौधरी (जिला आगरा––पूर्व)
रजमी, श्री सयदुल्ला खां (सिहोर)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रनदमन सिंह, श्री (शाहडोल-सीधी––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफ्जुर (जिला मुरादाबाद––मध्य)
राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

र--(क्रमशः)

राघवाचारी, श्री (पेनुकोंडा)
राघवैया, श्री पिसुपति वेंकट (ओंगोल)
राचय्या, श्री न० (मैसूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राजबहादुर, श्री (जयपुर-सवाई माधोपुर)
राजभोज, श्री पा० ना० (शोलापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राधा रमण, श्री (दिल्ली नगर)
राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)
रामकृष्ण, श्री (महेन्द्रगढ़)
रामचन्द्र, डा० दो० (वेल्लोर)
राम दास, श्री (होशियारपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रामनारायण सिंह, बाबू (हजारी बाग--पश्चिम)
रामशंकर लाल, श्री (जिला बस्ती--मध्य-पर्व व जिला गोरखपुर--पश्चिम)
राम शरण, श्री (जिला मुरादाबाद--पश्चिम)
रामशेषय्या, श्री न० (पार्वतीपुरम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहाबाद--दक्षिण)
रामस्वामी, श्री म० दो० (अरु पुक्कोटायी)
रामस्वामी, श्री सै० वें० (सेलम)
रामस्वामी, श्री मु० (महबूबनगर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (जिला उन्नाव व जिला रायबरेली--पश्चिम व जिला हरदोई--दक्षिण-पूर्व--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राव, श्री विश्व नाथ (जिला देवरिया--पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलुबेरिया)
राव, श्री कामयाला गोपाल (गुडिवाडा)
राव, श्री कनेटी मोहन (राजहमुंद्री--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राव, श्री कोंदू सुब्बा (एलरू--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राव, श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम)
राव, श्री पो० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री पेंड्याल राघव (बारगंल)
राव, श्री बो० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री वें० शिवा (दक्षिण कन्नड़--दक्षिण)
राव, श्री रायासम शेषगिरि (नन्दयाल)
राव, डा० चे० वें० रामा (काकिनाडा)
रिचर्डसन, विशप जान (नामनिर्देशित--अन्दमान तथा निकोबार द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मनीपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस--पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रे, श्री बीरकिशोर (कटक)
रेड्डी, श्री जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (चितूर)

र—(क्रमशः)

रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री बे० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री ईश्वर (कड़पा)
रेड्डी, श्री माधव (आदिलाबाद)

ल

लंका सुन्दरम, डा० (विशाखापटनम्)
लक्ष्मय्या, श्री पेडी (अनन्तपुर)
लल्लनजी, श्री (जिला फैजाबाद—उत्तर-पश्चिम)
लाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर—लुधियाना)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लिंगम, श्री न० मा० (कोयम्बटूर)
लोटन राम, श्री (जिला, जालौन व जिला इटावा—पश्चिम व जिला झांसी—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बूलाकी राम (जिला हरदोई-उत्तर—पश्चिम व जिला फरुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री वि० बि० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (टोंक)
वर्मा, श्री रामजी (जिला देवरिया—पूर्व)
वल्लाथरास, श्री क० मु० (पुदुकोटै)
बाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जालंधर)
विल्सन, श्री ज० न० (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वो० (म्यूरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटरामन्, श्री र० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री र० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मुलदास, भूधर दास (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री कू० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरपाडियन, श्री भा० (शंकर-नायिनारकोविल)
शकुन्तला नायर, श्रीमती (जिला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्णचन्द्र (जिला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, श्री खुशी राम (जिला मरठ—पश्चिम)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, श्री नन्दलाल (सीकर)

श—(क्रमशः)

शर्मा, पंडित बाल कृष्ण (जिला कानपुर—दक्षिण व जिला इटावा—पूर्व)
शर्मा, श्री राधा चरण (मुरैना-भिंड)
शास्त्री, पंडित अलगू राय (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम)
शास्त्री, श्री राजा राम (जिला कानपुर—मध्य)
शाह, श्रीमती कमलेन्दुमति (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सोरठ)
शाह, श्री रायचन्द भाई न० (छिंदवाड़ा)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शुक्ल, पंडित भगवतीचरण (दुर्गबस्तर)
शोभाराम, श्री (अलवर)
श्रीमन्नारायण, श्री (वर्धा)

स

संगण्णा, श्री (रायगढ़ फूलबनी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सक्सेना, श्री मोहनलाल (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (जिला गोरखपुर—उत्तर)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (जिला बरेली—दक्षिण)
सर्मा, श्री देवेन्द्र नाथ (गौहाटी)
सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनन्दन (मुजफ्फरपुर—मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
साहू, श्री भागवत (बालासौर)
साहू, श्री रामश्वेर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा—रक्षित अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (जिला अलीगढ़)
सिंह, श्री गिरिराज शरण (भरतपुर—सवाई माधोपुर)
सिंह, श्री चंडिकेश्वर शरणसिंहजू (सरगुजा-रायगढ़)
सिंह, श्री झूलन (सारन—उत्तर)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (जिला बनारस—पूर्व)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर—उत्तर-पूर्व)
सिंह, श्री निदेश प्रताप (जिला बहराइच—पूर्व)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर—सदर व जमुई)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन—मध्य)
सिंह, ठाकुर युगल किशोर (मुजफ्फरनगर—उत्तर-पश्चिम)
सिंह, श्री राम नगीना (जिला गाजीपुर पूर्व व जिला बलिया—दक्षिण-पश्चिम)
सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आंतरिक मनीपुर)
सिंह, डा० सत्यनारायण (सारन—पूर्व)

स—(क्रमशः)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसाद (जिला गाजीपुर—पश्चिम)
सिंहासन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा, श्री ह० (हसन चिकमगलूर)
सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुजफ्फरपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सा० (पाटलिपुत्र)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (पटना—मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हजारी बाग व रांची)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना—पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हजारी बाग—पूर्व)
सुन्दरलाल, श्री (जिला सहारनपुर—पश्चिम व जिला मुजफ्फरनगर—उत्तर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
सुब्रह्मण्यम्, श्री चेट्टियार (धर्मपुरी)
सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडला (विजय नगरम्)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश्चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना—भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री फनीगोपाल (पूर्णिया—मध्य)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल, श्री अ० रा० (चम्बा-सिरमौर)
सय्यद महमूद, डा० (चम्पारन—पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री न० (कुर्ग)
सोमानी, श्री ग० घ० (नागौर-पाली)
स्नातक, श्री नरदेव (जिला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री शिवमूर्त्ति (कुष्टगो)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिंडीगल)

ह

हंरादा, श्री बेंजमिन (पूर्निया व संथाल परगना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हासदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (संथाल परगना, व हजारी बाग—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (जिला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति-तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री राघवाचारी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री अ० म० थामस
श्री नरहरि विष्णु गाडगील
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री देव कान्त बरुआ
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुवीर सहाय
श्री अशोक मेहता
श्री रामचन्द्र रेड्डी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री जयपाल सिंह

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्री सत्य नारायण सिन्हा
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री देव कान्त बरुआ
श्री वेंकटरामन्
श्री टकूर सुब्रह्मण्यम्
श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल
श्री अ० क० गोपालन
श्री कृपालानी
श्री शं० शां० मोरे
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री नेमी शरण जैन
श्री राम सहाय तिवारी
श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर (सभापति)
श्री गणेशी लाल चौधरी
श्री राम शंकर लाल
श्री चांडक
श्री पैडी लक्ष्मैया
श्री महेन्द्र नाथ सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री फूलसिंहजी भ० डाभी
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री राम दास
श्री उ० मू० त्रिवेदी
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह
श्री च० रा० चौधरी
श्री वल्लाथरास
श्री विज्ञेश्वर मिश्र

आश्वासन समिति

श्री राघवाचारी (सभापति)
श्री जसवन्तराज मेहता
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री दामोदर मेनन
श्री बैरो
श्री अनिरुद्ध सिंह

आश्वासन समिति—(क्रमश:)

श्री राधा चरण शर्मा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री मात्तन
सरदार इक़बाल सिंह
श्री बसन्त कुमार दास
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्री वेंकटरामन्
पंडित लिंगराज मिश्र

याचिका समिति

श्री कोत्ता रघुरामैया
श्री शिव दत्त उपाध्याय
श्री अच्युतन
श्री मोहन लाल धुमिया
श्री मु० चं० देव
श्री लीलाधर जोशी
श्री बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जाशा
श्री रामराज जजवाडे
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री पां० ना० राजभोज
श्री पा० मुव्वा राव
श्री आनन्द चन्द
डा० रामा राव
श्री राम जी वर्मा

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामीराजा सहदेव भारती
श्री नरेन्द्र प्रा० नथवानी
श्री राधेश्याम राम कुमार मुरारका
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री न० राचय्या
श्री रामचन्द्र रेड्डी
श्री जयपाल सिंह
श्री त० ब० विट्ठल राव

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--(क्रमशः)

श्री माधव रेड्डी
श्री नी० श्रीकान्तन नायर
श्री रायसम शेषगिरि राव

अधीनस्थ विधान समिति

श्री नि० चं० चटर्जी (सभापति)
श्री से० वें० रामस्वामी
श्री न० मा० लिंगम्
श्री अ० इब्राहीम
श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव
श्री टेक चन्द
श्री गणपति राम
श्री नन्द लाल जोशी
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री हेम राज
श्री सिद्धनंजप्पा
डा० कृष्णास्वामी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

प्राक्कलन समिति

श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता (सभापति)
श्री ब० स० मूर्त्ति
श्रीमती खोंगमेन
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री चांडक
श्री अमर नाथ विद्यालंकार
श्री वेंकटेश नारायण तिवारी
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
श्री राघवेन्द्रराव श्रीनिवासराव दीवान
श्री म० रं० कृष्ण
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री पो० सुब्बा राव
श्री पां० ना० राजभोज
श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
पंडित द्वारका नाथ तिवारी
श्री चं० रा० नरसिंहन्
श्री रघुवीर सहाय
पंडित अलगू राय शास्त्री
श्री अब्दुस्सत्तार

प्राक्कलन समिति--(क्रमशः)

श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क
श्री न० राचय्या
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्री मंगलगिरि नानादास
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री गाडिलिंगन गौड़
श्री जसवन्तराय मेहता
श्री बेरो
श्री चौइथराम परताबराय गिडवानी

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन
श्री राघवाचारी
श्री ब० गो० मेहता
श्री व० बा० गांधी
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री कोत्ता रघुरामय्या
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री अ० क० गोपालन
श्री तुलसीदास किलाचन्द
आचार्य कृपालानी
श्री उ० च० पटनायक
डा० कृष्णास्वामी

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या (सभापति)
श्री बीरबल सिंह
श्री रा० चं० शर्मा
श्री कौट्टुकपल्ली
श्री दि० नां० सिंह
श्री कृष्णाचार्य जोशी
श्री न० सोमना

आवास समिति--(क्रमशः)

श्री भू० ना० मिश्र
श्री काचिरोयर
श्री राज चन्द्र सेन
श्री क० आनन्द नम्बियार
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह (सभापति)
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री जगन्नाथ कोले
श्री गो० ह० देशपांडे
श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री पुन्नूस
श्री अशोक मेहता

राज्य-सभा

श्री हि० च० दासप्पा
श्री नारायण
श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह
श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल
श्री व्यं० कृ० ढगे

पुस्तकालय समिति

लोक-सभा

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री वें० ना० तिवारी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री उ० च० पटनायक
श्री मो० दि० जोशी
श्री ही० ना० मुकर्जी

राज्य-सभा

श्री रामधारी सिंह दिनकर
श्री थियोडोर बोदरा
श्रीमती लीलावती मुन्शी

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री व० बा० गांधी (सभापति)
श्री कृ० गु० देशमुख
श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री च० द० पांडे
श्री कमल कुमार बसु
श्री बूवराघस्वामी
श्री जयपाल सिंह
श्री निवारण चन्द्र लश्कर
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री राधेलाल व्यास
श्री मात्तन
श्री कृपालानी
श्रीमती शकुन्तला नायर

राज्य-सभा

श्री ग० रंगा
श्री र० म० देशमुख
श्रीमती पुष्पलता दास
श्री श्याम धर मिश्रा
श्री प्रे० थो० लेडवा
श्री विमल घोष
श्री ज० वी० क० वल्लभराव

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री केशवैय्यंगार
श्री शिवराम रंगो राने
श्री घमण्डी लाल बंसल
श्री खुशी राम शर्मा
श्री कोत्ता रघुरामय्या
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
डा० जयसूर्य
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री कमल कुमार बसु
श्री राघवाचारी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री और अणु शक्ति विभाग के भी भार साधक—श्री जवाहर-लाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
गृह-कार्य मंत्री—पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त
भारी उद्योग तथा वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री—श्री मुरारजी देसाई
संचार मंत्री—श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर
योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा
प्रतिरक्षा मंत्री—डा० कैलाश नाथ काटजू
वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री विश्वास
रेलवे तथा परिवहन मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह
उत्पादन मंत्री—श्री क० च० रड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन
श्रम मंत्री—श्री खंडूभाई देसाई
बिना विभाग के मंत्री—श्री कृष्ण मेनन

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्री (किन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं)

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
प्रतिरक्षा संगठन मंत्री—श्री महावीर त्यागी
सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० केसकर
व्यापार मंत्री—श्री करमरकर
कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में मंत्री—डा० सय्यद महमूद
विधि-कार्य मंत्री—श्री हरि विनायक पाटस्कर
प्राकृतिक संसाधन मंत्री—श्री के० दे० मालवीय
राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—श्री म० च० शाह
राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री—श्री अरुण चन्द्र गह
पुनर्वास मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना
उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
संचार मंत्रालय में मंत्री—श्री राज बहादुर
गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री—श्री दातार
भारी उद्योग मंत्री—श्री म० म० शाह
सामदायिक विकास मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार ड

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री––सरदार मजीठिया
श्रम उपमंत्री––श्री आबिद अली
पुनर्वास उपमंत्री––श्री ज० कृ० भोंसले
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री––श्री अलगेशन
स्वास्थ्य उपमंत्री––श्रीमती चन्द्रशेखर
वैदेशिक-कार्य उपमंत्री––श्री अनिल कुमार चन्दा
खाद्य उपमंत्री ––श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री––श्री जयसुखलाल हाथी
उत्पादन उपमंत्री––श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री––श्री श्याम नन्दन मिश्र
शिक्षा उपमंत्री––डा० का० ला० श्रीमाली
वित्त उपमंत्री––श्री बली राम भगत
शिक्षा उपमंत्री––डा० म० मो० दास
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री––श्री शाहनवाज़ खां

सभासचिवों की सूची

वैदेशिक-कार्य मंत्री की सभासचिव––श्रीमती लक्ष्मी मेनन
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव––श्री जोगेन्द्र नाथ हजारिका
उत्पादन मंत्री के सभासचिव––श्री राजाराम गिरिधरलाल दुबे
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव––श्री सादत अली खां
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव––श्री राजगोपालन
निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव––श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर

लोक-सभा

शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२·०१ म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाएं) नियमों के संशोधन

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाएं) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली १६ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७१९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०–४८७/५६]**

†**श्री क० कु० बसु** (डायमन्ड हार्बर) : क्या माननीय मंत्री पिछली बार की भांति हमें नियमों की एक प्रति देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतियां सूचना कार्यालय में रखी जायेंगी तथा जो भी सदस्य प्रति प्राप्त करना चाहें वह सूचना कार्यालय से प्रति प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिये।

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश प्राप्त हुआ है :

(१) "राज्य-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा २१ नवम्बर, १९५६

†मूल अंग्रेजी में।

[सचिव]

को हुई अपनी बैठक में व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५६ से, जो लोक-सभा ने १४ नवम्बर, १९५६ को हुई अपनी बैठक में पारित किया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।"

(२) "राज्य-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ९७ के उपबन्धों के अनुसार मैं पुस्तक-प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक, १९५६ की एक प्रति संलग्न करता हूं जो राज्य-सभा ने १९ नवम्बर, १९५६ को हुई अपनी बैठक में पारित किया है ।"

(३) "राज्य-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १६२ के उप-नियम (६) के उपबन्धों के अनुसार मैं भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५६ को, जो लोक-सभा ने १९ नवम्बर, १९५६ को हुई अपनी बैठक में पारित किया था तथा राज्य-सभा को शिफारिश करने को भेजा था, लौटाता हूं तथा सूचित करता हूं कि उक्त विधेयक के सम्बन्ध में यह सभा लोक-सभा से कोई शिफारिश नहीं करती ।"

पुस्तक-प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं पुस्तक-प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक को, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला–भटिंडा) : मैं कार्य-मन्त्रणा समिति का तैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, मैं इस सभा के लिये २६ नवम्बर, १९५६ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य के क्रम की घोषणा करता हूं ।

आज की कार्य-सूची से छटे हुए कार्य को पहले निबटाया जायेगा सिवाय इसके कि लोक-प्रतिनिधित्व (चौथा संशोधन) विधेयक सप्ताह में बाद में लिया जा सकता है ।

तदुपरान्त कार्यवाही की अन्य मदें निम्नानुसार होंगी :

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

केरल राज्य के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के अनुमोदन सम्बन्धी सरकारी संकल्प ।

केन्द्रीय बिक्रीकर विधेयक ।

मेरे द्वारा बताये गये सारे विधेयक विचारार्थ तथा पारित किये जाने के लिये हैं ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक से पहिले लिया जायेगा, क्योंकि यह कार्य का आनुषंगिक विषय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विदेशियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक*

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : पंडित गो० ब० पन्त की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम, १९४६ तथा विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम, १९४६ तथा विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक*

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक*

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री आबिद अली** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक*

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय सांख्यिकी संस्था के रूप में विख्यात कलकत्ता स्थित संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत का सूचना-पत्र असाधारण भाग २—उप-भाग २, तारीख २३-११-१९५६, पृष्ठ.... में प्रकाशित ।

[श्री अ० चं० गुह]

वाले तथा तत्सम्बन्धी कुछ बातों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय सांख्यिकी संस्था के रूप में विख्यात कलकत्ता स्थित संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने वाले तथा तत्सम्बन्धी कुछ बातों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं विधेयक* पुरःस्थापित करता हूं ।

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—समाप्त

†**अध्यक्ष महोदय** : अब २२ नवम्बर, १९३६ को डा० काटजू द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार किया जायेगा ।

"प्रादेशिक सेना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

कल श्री वल्लाथरास भाषण दे रहे थे । वे अपना भाषण जारी रखेंगे ।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : अध्यक्ष महोदय, प्रादेशिक सेना का मामला वर्तमान परिस्थितियों में अत्यन्त महत्वपूर्ण है । देश में प्रादेशिक सेना का स्तर या उपयोगिता बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिये और इस विषय में पूर्ण रूप से छानबीन की जानी चाहिये । १९२० के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम प्रादेशिक सेना की देश में स्थापना की गई थी और २८ वर्ष बाद १९४८ में यह नया अधिनियम पारित किया गया था । इसका एक कारण यह था कि पुराना अधिनियम प्रादेशिक सेना के सदस्यों को ब्रिटिश सेना अधिनियम के अनुशासन के अधीन रखता था और इसीलिये इसे बदलना आवश्यक था । असैनिक प्रतिरक्षा के लिये तथा नियमित सेना की दूसरी पंक्ति के रूप में सेवाओं के लिये कार्य करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है । १९४८ में जब इस अधिनियम को पारित किया गया था तब इसकी विभिन्न सदस्यों ने आलोचना की थी और डा० कुंजरू ने कहा था कि अधिनियम में कोई जान नहीं है । हमारे वर्तमान प्रतिरक्षा संगठन मंत्री, श्री त्यागी ने कहा था कि नवयुवकों के मन में उत्साह और प्ररुचि की भावना फूंकनी चाहिये । परन्तु अस्पष्ट प्रत्याशाओं को छोड़ कर १९२० के या १९४८ के अधिनियम में ऐसी कोई ठोस बात नहीं है जिसकी चर्चा की जा सके । देश के स्वतन्त्र होने के बाद १९४८ में हमने देखा कि संसार की बदली हुई परिस्थितियों के साथ युद्ध-क्रम और असैनिक रक्षा का समस्त चित्र ही बदल गया है ।

इसलिये मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि प्रादेशिक सेना को, नियमित सेना का एक अनुपूरक और सहायक बल समझने के अतिरिक्त क्या इसे किसी अन्य प्रतिरक्षा, बचाव और असैनिक प्रतिरक्षा के कार्यों को भी सौंपा गया है ?

वर्तमान विधेयक ५ मई, १९५४ को पुरःस्थापित किया गया था । ढाई वर्ष तक इसकी किसी ने परवाह नहीं की । संभवतः इससे, असैनिक प्रतिरक्षा के मामलों के सम्बन्ध में, सरकार की अभिरुचि और उत्तरदायित्व के अभाव का संकेत मिलता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित हुआ ।

यह याद रखना चाहिये कि न केवल ये दो वर्ष, बल्कि पिछले छः या सात वर्ष, देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिये महान् संकट के वर्ष रहे हैं। पाकिस्तान अपने आपको स्थायी शत्रु मानता है और भारत पर झपटने के लिये सदैव तैयार है। गोआ का मामला भी है। राज्य पुनर्गठन योजनाओं के कारण कई आन्दोलन हुए हैं। इन बातों को देखते हुए बगदाद संधि और इस देश के इर्द-गिर्द युद्ध का अन्तर-राष्ट्रीय अड्डे स्थापित करने की पश्चिमी राष्ट्रों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए चौकन्ने रहना आवश्यक है।

प्रादेशिक सेना, असैनिक प्रतिरक्षा और हमारे नगरों, औद्योगिक संस्थापनाओं, सिंचाई सम्बन्धी संस्थापनाओं और नगरीय जनसंख्या के बचाव के लिये होनी चाहिये। समस्त समस्या के प्रति सरकार को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये। नियमित सेना, हमारे देश की प्रतिरक्षा के लिये है। निःसन्देह हमारी नीति स्पष्ट है। हम किसी भी युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। हम शान्ति से रहना चाहते हैं। इसीलिय हमारी वायु सेना की शक्ति अत्यन्त कमजोर है। हमें अपनी नियमित सेना की शक्ति तथा कार्यदक्षता का कुछ ज्ञान नहीं है। नागा क्षेत्र में एक वर्ष से अधिक समय में जो सैनिक कार्यवाही का परिणाम है वह अधिक आशाजनक नहीं है।

१९२० से १९४८ तक प्रादेशिक सेना का इतिहास भी सराहनीय नहीं है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि प्रादेशिक सेना का स्तर ऊंचा उठाने और उसकी शक्ति तथा कार्यदक्षता में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं? इसे नियमित सेना के बराबर लाने के लिये क्या किया गया है? आपात के समय देश के भीतर आत्म रक्षा सम्बन्धी अपनी कार्यवाहियों के नियन्त्रण के लिये प्रादेशिक सेना को कौन-सा उपकरण दिया गया है? कम से कम १९४८ और १९५६ में की गई कार्यवाहियां हमें बताई जानी चाहिये। ढाई वर्ष पहिले जब अमेरिका द्वारा सैनिक सहायता अनुदान रूप में पाकिस्तान को ३,००० डैकोटा हवाई जहाज दिये गये थे तब इस समाचार से इस सारे देश में जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे सब जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारी वायु सेना की शक्ति अधिक नहीं है। परन्तु हमें, युद्ध की विचारधारा अपनाने वाले संसार के इन लोगों के बीच रहते हुए और यह देखते हुए कि मध्यपूर्व और एशियाई देशों को युद्ध का लक्ष्य बनाया जा रहा है, अपने लोगों को विनाश से बचाना होगा।

हम जानते हैं कि हवाई आक्रमणों का किसी देश पर क्या प्रभाव होता है। औद्योगिक और आर्थिक महत्व की संस्थापनाओं पर और नगरों को निशाना बनाया जाता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इनके कुछ स्थायी बचाव या कम से कम अस्थायी बचाव के लिये इन आठ वर्षों में क्या किया है। सिवाय इसके कि प्रादेशिक सेना समय-समय पर लोगों को, नियमित सेना को सहायता देने के लिये प्रशिक्षित करती रही ह, इस सारे देश में औद्योगिक संस्थापनाओं और बड़े नगरों के बचाव के लिये कुछ नहीं किया गया है।

वर्तमान संशोधक विधेयक का उद्देश्य यह है कि सरकारी कर्मचारियों और जनोपयोगी सेवाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में सम्मिलित होने के लिये बाध्य किया जा सके। अभी मैंने १७ नवम्बर, १९५६ को प्रादेशिक सेना की सातवीं वर्षगांठ के सम्बन्ध में एक दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित एक समाचार पढ़ा था कि प्रादेशिक सेना में सरकारी विभागों में काम कर रहे असैनिक कर्मचारी और बड़ी-बड़ी गैर-सरकारी वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्थाओं के कर्मचारी हैं। कुछ संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में शामिल होने के लिये विशेष रियायतें दी हैं। विशिष्ट छट्टी और बोनस आदि दिया है। सरकार ने प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को निर्योग्यता निवृत्ति वेतन तथा परिवार-निवृत्ति वेतन और उपदान उदार रूप से देना भी स्वीकार किया है। यदि यह सच है और व्यापारी वर्ग और नियोजकों ने अपने कर्मचारियों के लिये ऐसा किया है तो फिर इस

[श्री वल्लाथरास]

प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता क्या है ? यदि सरकारी कर्मचारी भी प्रादेशिक सेना में शामिल होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो फिर मैं इस अधिनियम को पुर:स्थापित करने का कोई विशेष कारण नहीं समझता हूं ।

यह बात भी समझ में आती है कि सरकार निवृत्ति वेतन तथा अन्य प्रोत्साहन देने में अब तक सफल हुई है परन्तु ३६ करोड़ से अधिक जनसंख्या और देश की विशालता को देखते हुए १,३०,००० का प्राक्कलन बिल्कुल ही अपर्याप्त है ।

आपात के समय प्रादेशिक सेना का समन्वय केवल तभी सम्भव हो सकता है जब प्रत्येक नगर क्षेत्र में, प्रत्येक नगर में इसकी इकाइयां हों । १९४८ में अधिनियम को पारित करते समय उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि वह ग्राम्य भर्ती और नगरीय भर्ती में विभेद को दूर करना चाहते हैं । अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नागरीय इकाइयों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि हवाई आक्रमणों के समय नगरों को ही पहिले निशाना बनाया जाता है और इस स्थिति में आपात के समय उन्हें अन्य इकाइयों की आ कर सहायता करने की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी ।

इसलिये नगरीय इकाइयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये और उन्हें आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित करना चाहिये । इस प्रकार वे न केवल असैनिक जनता का बल्कि विभिन्न संस्थापनाओं की भली-भांति सुरक्षा कर सकेंगी ।

१९३८ में इंग्लैंड के युद्ध मंत्री ने वहां की प्रादेशिक सेना को सभी आधुनिक शस्त्र देने की घोषणा की थी । क्या हमारी सरकार ने भी प्रादेशिक सेना को इस प्रकार की अनुमति दी है ।

नियमित सेना की दूसरी पंक्ति के रूप में प्रादेशिक सेना की कृत्यकारी के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हाल में बम्बई और अहमदाबाद में जब दंगे हुए थे तब नियमित सेना और सशस्त्र पुलिस को बुलाया गया था । प्रादेशिक सेना को स्थिति को संभालने के लिये क्यों नहीं कहा गया। मद्रास में भी सशस्त्र पुलिस ने ही जाकर गोली चलाई थी । इसलिये सरकार द्वारा उचित परिस्थितियों में उन से काम न लिये जाने के कारण प्रादेशिक सेना अकर्मण्य हो गई ।

सभी सदस्य जानते हैं कि हवाई आक्रमण का परिणाम क्या होगा । क्या हम चाहेंगे कि चंगेजखां के पौत्र ने जो तबाही की थी या हीरोशीमा और नागासाकी में जो कुछ हुआ था वैसी ही तबाही हो ? जापान के नगरों की बमबारी से हजारों व्यक्ति मर गये थे और हजारों ऐसे भी बचे थे जो सख्त घायल हुए थे । चंगेजखां के पौत्र ने एक नगर के डेढ़ लाख व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था । ऐतिहासिकों का कहना है कि उसने एक कुत्ता या बिल्ली भी जीवित नहीं छोड़ी थी । एक महान् लेखक जिसने द्वितीय महायुद्ध का इतिहास लिखा था यह प्रश्न पूछा था : "आप बमबारी के बाद के प्रभावों को पसन्द करेंगे या चंगेजखां के पौत्र जैसी पूरी तबाही को ? और उसने लिखा था कि दु:ख और पीड़ा का जीवन व्यतीत करने से मर जाना अच्छा है ।

आक्रमण की स्थिति में प्रादेशिक सेना, नियमित सेना की सहायता करेगी परन्तु यदि हवाई आक्रमण हो तब परिस्थिति क्या होगी ? आपने इस अधिनियम के अधीन प्रादेशिक सेना के आधार पर क्या किया है ? मैं अणु बम और उद्जन बम की बात इसलिये नहीं कर रहा हूं कि उस स्थिति में तो सभी कुछ तबाह हो जायेगा ।

चार प्रकार की सेवा की जा सकती है । ये हैं, निवारक सेवा, नियन्त्रक सेवा, नीरोगकारी सेवा और पुनरुद्धार सेवा । इन सभी सेवाओं के लिये प्रादेशिक सेना को तैयार होना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रादेशिक सेना को किस प्रकार सुसज्जित किया है । प्रादेशिक

सेना का, नियमित सेना का एक सहायक अंग होना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आपात के समय और हवाई आक्रमण के समय, असैनिक प्रतिरक्षा के भारसाधक के रूप में, लोगों के अनुशासित समूह के रूप में, उनके स्वतन्त्र अस्तित्व की बात महत्वपूर्ण है। अन्यथा उसका कोई महत्व न होगा।

द्वितीय महायुद्ध और जापान पर उसके प्रभाव से हमें एक और बात भी सीखनी चाहिये। जापान के बहुत से नगरों पर बमबारी की गई थी परन्तु जापानी जनता के नैतिक स्तर में कोई कमी नहीं हुई थी। परन्तु एक बात ने उन्हें बेहौसला कर दिया था और वह थी अन्न की कमी। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपात के समय के मामलों में जनता को अनाज देते रहने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

फरवरी, १९५६ से अब तक अन्न के दामों में वृद्धि होती रही है। यदि कोई आपात की स्थिति हुई तो क्या सरकार या देश की असैनिक प्रतिरक्षा लोगों को आवश्यक खाद्य पदार्थ दे सकेगी ? इसलिये असैनिक प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा संगठन का यह उत्तरदायित्व है कि वह खाद्य मंत्रालय से मिल कर अन्न सम्भरण की एक पर्याप्त मात्रा सदैव तैयार रखें ताकि उस समय जनता को अन्न दे सकें और खाद्य मंत्रालय पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता न हो। बल्कि दूसरी ओर देश का असैनिक प्रतिरक्षा संगठन लोगों को अन्न देने की स्थिति में हो ताकि लोगों का सदैव हौसला बना रह सके।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इन परिस्थितियों में मेरा यही निवेदन है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर अच्छी प्रकार से सोच विचार करने की आवश्यकता है, परन्तु खेद है कि इस प्रयोजन के लिये कोई भी समिति नियुक्त नहीं की गयी है। मैं समझता हूं कि इस अवसर पर सरकारी पदाधिकरियों की एक समिति स्थापित की जाये जो प्रादेशिक सेना से सम्बन्धित इस प्रश्न पर विचार करे तथा अपना प्रतिवेदन संसद् के सम्मुख प्रस्तुत करे।

मैंने अभी जो उद्धरण पढ़ा है, उसमें यह बताया गया है कि प्रादेशिक सेना ने गत आठ वर्षों में काफी प्रगति की है, परन्तु वास्तव में यह कथन सत्य नहीं है। यह संशोधन विधेयक स्पष्टतया बताता है कि गत ८ वर्षों में जनता ने प्रादेशिक सेना की ओर कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है, इसलिये १,३०,००० लोग भी भरती नहीं हुए। होना तो यह चाहिये था कि ३६ करोड़ की जनसंख्या में से कम से कम एक करोड़ लोग भरती हो गये होते। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है।

१९४८ में और उसके बाद भी बहुत से सदस्यों ने इसी बात पर बल दिया था कि देश की सुरक्षा के लिये एक अत्यन्त सुन्दर तथा समन्वित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा योजना बनाई जाये, परन्तु दुःख है कि उस योजना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

मैं इस बात की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रादेशिक सेना में स्त्रियों को भी भरती किया जावे। १९४८ में एक महिला सदस्या ने इस बात पर जोर दिया था। और बाद में डा० कुंजरू ने यह कहा था कि स्त्रियों के लिये राष्ट्रीय छात्र सेना के अतिरिक्त कोई अन्य सैनिक संघटन भी होना चाहिये। परन्तु खेद है कि इन दोनों सुझावों में से किसी की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री का यह कहना था कि स्त्रियों ने देश के इतिहास में काफी श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय सेवा की है वहां उन्होंने यह भी बताया है कि सेना अधिनियम में स्त्रियों की सेवाओं का कोई उपबन्ध नहीं है और क्योंकि प्रादेशिक सेना अधिनियम भी उसी अधिनियम पर आधारित है, इसलिये इसमें भी स्त्रियों के लिये कोई स्थान नहीं। परन्तु अब तो संविधान के अनुसार स्त्री और पुरुष का भेदभाव दूर हो गया है; इसलिये उन्हें प्रादेशिक सेना में भाग लेने से न रोका जाये। वे भी देश की सेवा

[श्री वल्लाथरास]

करने में किसी से पीछे रहने वाली नहीं हैं। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि वे अपने देश की सुरक्षा के लिये अपना सर्वस्व बलिदान कर सकती हैं। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि इस अधिनियम में कोई ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे प्रादेशिक सेना में स्त्रियां भी भाग ले सकें।

समाचारपत्रों से प्रतीत होता है कि देश के अधिकांश कर्मचारी तथा उनके स्वामी दोनों ही प्रादेशिक सेना से प्रशिक्षण लेने के सम्बन्ध में पर्याप्त उत्सुकता दिखा रहे हैं। कमी तो केवल सरकार की ओर से उत्साह देने की है।

आवश्यकता इस बात की है कि सरकार देश के नवयुवकों को सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये उत्साहित करे। मैं चाहता हूं कि यह सेना केवल १,३०,००० व्यक्तियों तक ही सीमित न रहे, अपितु इसमें देश का प्रत्येक नवयुवक और नवयुवती भाग ले सके।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं .....

†**श्री कासलीवाल** (कोटा–झालावाड़) : मेरा सुझाव है कि इसकी चर्चा के लिये आधा घण्टा और बढ़ा दिया जाये क्योंकि ढाई बजे से हमने गैर-सरकारी सदस्य संकल्पों पर विचार करना है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जी हां, वैसा हो सकता है।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : प्रादेशिक सेना में भरती करने योग्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में मुझे पहली यही बात कहनी है कि एक विशेष वर्ग की स्त्रियों को ही उसमें भरती किया जाये।

दूसरी बात यह है कि उसमें लोक निर्माण सेवा के कर्मचारियों को अधिक संख्या में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाये। कारण यह है कि विदेशी आक्रमण के समय ये कर्मचारी सैनिक प्रशिक्षण के अभाव में अपनी रक्षा नहीं कर सकते, और वे वहां से भाग जाते हैं। यदि उन्हें सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा तो वे अच्छी प्रकार से आत्मरक्षा कर सकेंगे और वहां से भागेंगे नहीं।

मेरा यह भी सुझाव है कि इस सेना में सरकारी ठेकेदारों, विशेष कर सड़क तथा भवन निर्माण करने वालों को भी सैनिक प्रशिक्षण दिया जाये। उन्हें अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दिया जाय। इसी प्रकार से विद्युत् तथा जल सम्भरण विभाग के कर्मचारियों को भी सैनिक प्रशिक्षण दिया जाये ताकि आपात के समय नगर को छोड़ कर भाग न जायें।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रादेशिक सेना में केवल चुस्त विवाहित स्त्रियों को ही भरती किया जाये।

†**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पि) : मैं प्रादेशिक सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के विचार का समर्थन करता हूं। जनता को इस बात के लिये तैयार रहना चाहिये कि सामान्य परिस्थिति में यदि कोई हमला हो तो वह उसका सामना कर सके। किन्तु एक या दो लाख की प्रादेशिक सेना भारत जैसे विशाल देश के लिये कुछ भी नहीं। यह दसियों लाख में होनी चाहिये। भूतकाल में सरकार ने प्रादेशिक सेना के टेक्नीकल पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। जनता को प्रादेशिक सेना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कराने का भी प्रयत्न नहीं किया गया है। अब जनता की इसमें रुचि उत्पन्न करने के बजाय एक संशोधन द्वारा लोगों की, विशेष कर उपयोगी सेवाओं के कर्मचारियों की, अनिवार्य भरती का उपबन्ध किया जा रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। प्रादेशिक सेना में भरती का आधार देश प्रेम होना चाहिये, उसमें अनिवार्यता का पुट बिलकुल नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त अब जो कदम उठाया जा रहा है उसकी एक कमजोरी है। उपयोगी सेवाओं के कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के लागू होने से वंचित हैं और उन्हें हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। अतएव उनके सम्बन्ध में सरकार को अब जो

†मूल अंग्रजी में।

अनिवार्य भरती का अधिकार दिया जा रहा है उसके प्रति उनमें कोई सहानुभूति की भावना नहीं हो सकती तथा कोई उत्साह नहीं हो सकता जो कि वास्तव में बहुत आवश्यक है। किन्तु यदि उनको तथा अन्य लोगों को प्रादेशिक सेना के लाभ से अवगत कराया जाये और उसमें प्रविष्ट होने के लिये प्रोत्साहित किया जाये तो अनिवार्य भरती के प्रति जो डर है वह दूर हो जायेगा।

सबसे पहले तो इसके सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर सूचना का प्रबन्ध होना चाहिये। वास्तव में मैं तो यह सोच रहा था कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव करूं जिससे कि जनता इस पर चर्चा कर सके और इसके विषय में जान सके। सरकार को तत्काल ही लोगों को इससे अवगत कराने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिये।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वांदीवाश) : मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के विरुद्ध हूं। इसमें जो अनिवार्यता का पहलू है, वह हटा देना चाहिये। अन्यथा हमें चाहिये कि आपत-काल में उनकी सेवा प्राप्त करने के लिये आकर्षक शर्तें रखें।

विधेयक का एक मुख्य ध्येय यह है कि सरकारी सेवा में युक्त लोगों को अथवा निर्धारित जन उपयोगी उद्योगों के कर्मचारियों को आपतकाल के समय बुलाया जा सकता है। जिन दशाओं में उनको बुलाया जा सकता है उनके निर्धारण करने का कार्य एक प्राधिकार पर छोड़ दिया गया है। किन्तु यह अधिकार किसी प्राधिकार पर न छोड़ा जाकर स्वयं इस विधेयक में सम्मिलित किया जाना चाहिये। अन्यथा सदस्यों को उक्त प्राधिकार द्वारा तैयार किये गये नियमों आदि पर चर्चा करने का मौका नहीं मिलेगा और उनमें आवश्यक संशोधन और परिवर्तन नहीं हो सकेंगे।

व्याख्या के भाग (ङ) में जिन चार मदों के अन्तर्गत लोगों को मुक्त रखा गया है, उन मदों के विधेयक में रखे जाने की आवश्यता नहीं है क्योंकि इनके न रहने से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खण्ड ४ में कहा गया है कि शर्तों का पालन न करने पर व्यक्ति को तीन मास तक का कारावास या सौ रुपये जुर्माना अथवा दोनों किये जा सकते हैं। यह दण्ड मेरे विचार में बहुत कठोर है क्योंकि इसमें न केवल अपने बारे में विभिन्न प्रकार की सूचना देना शामिल है अपितु ऐसी चीजें भी शामिल हैं जैसे कि शारीरिक योग्यता की परीक्षा के लिये चिकित्सक बोर्ड के सम्मुख उपस्थित न होना। मेरा विचार है कि व्यक्ति सम्बन्धी सूचना प्रदान करने का कार्य विभाग का होना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि उस पर मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के ही सामने होना चाहिये, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के सामने नहीं।

मेरा भी यह मत है कि प्रादेशिक सेना के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया है। इसमें लोगों को आकर्षित करने के लिये वृहत् प्रचार होना चाहिये और इसकी संख्या कम से कम पचास लाख होनी चाहिये।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : मैंने प्रतिरक्षा मंत्री के भाषण को सुना, किन्तु इस विधेयक को सदन के सम्मुख इस समय प्रस्तुत करने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। मंत्री जी ने कहा कि गत मास जब कि प्रादेशिक सेना का वार्षिकोत्सव मनाया गया था तब से देश भर में इसके प्रति उत्साह प्रदर्शित हुआ है। इसलिये मैं सरकारी कर्मचारियों अथवा जनोपयोगी सेवाओं के कर्मचारियों की अनिवार्य भरती सम्बन्धी इस विधेयक के लाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझता।

दूसरे मेरी यह समझ में नहीं आता कि इस कार्य के लिये लोगों के वर्ग विशेष को ही क्यों निर्दिष्ट किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर हमें राष्ट्र की रक्षा के लिये देश भर से सभी वर्गों के लोगों को प्रादेशिक

†मूल अंग्रजी में।

[श्री अच्युतन]

सेना में लेना चाहिये। यह बहुत गलत चीज होगी कि आपतकाल में केवल इस बात से संतुष्ट हो जाया जाए कि प्रादेशिक सेना में कुछ सरकारी कर्मचारियों को बुला लिया जायेगा। इससे काम नहीं चल सकता। आपको देश भर से लोगों को लेना होगा।

इस सम्बन्ध में मैं यह और कहना चाहता हूं कि इस लाइन में हमारे युवकों को शिक्षा न दी जाये क्योंकि साम्यवादी दल हमारे राज्य में ऐसे शिक्षित युवकों की सहायता से जिनके पास कोई रोजगार नहीं था काफी शरारत कर चुका है और सरकार को गोलियों का सहारा लेना पड़ा था। मैं इसकी अविलम्बनीयता से संतुष्ट नहीं हूं। मेरे विचार में इसे जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहिये।

†**श्री जोकिम आल्वा** (कनारा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इससे सरकारी कर्मचारियों तथा जनोपयोगी सेवाओं के कर्मचारियों में अनुशासन पैदा होगा और वे अच्छे नागरिक बनना सीखेंगे।

प्रादेशिक सेना को हमें जनता में उसी प्रकार लोकप्रिय बनाना चाहिये जिस प्रकार कि राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय को कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में लोकप्रिय बनाया गया है।

प्रथम और द्वितीय महायुद्धों में ब्रिटेन की प्रादेशिक सेना ने वहां के लिये बड़ा भारी कार्य किया था। वह वहां की आधार शिला सिद्ध हुई। हमें भी अपनी प्रादेशिक सेना को अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं की आधार शिला बनाना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय आपतकाल में हमें अपनी प्रादेशिक सेनाओं के आदमियों को देश से बाहर भी भेजना चाहिये। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ की मिस्र जाने वाली सेना में हम जो अपनी सेना भेज रहे हैं उसका एक हिस्सा हमारी प्रादेशिक सेना का होना चाहिये। वे देश के नागरिक जीवन से अधिक परिचित हैं तथा हमारे यहां की जनता और उस देश की जनता के मध्य, जहां हमारी सेना जाये, सच्चे दूत का काम कर सकते हैं।

प्रादेशिक सेना में वेतन तथा भत्ते वही हैं जो सामान्य सेना में हैं। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि वहां पदोन्नति क्या दी जाती है। प्रादेशिक सेना के लोगों को नियमित सेना में शीघ्र निकालने के लिये क्या अवसर प्राप्त हैं ? हमें प्रादेशिक सेना के लोगों को नेतृत्व का अवसर देना चाहिये। बड़े देशों का इतिहास हमें बताता है कि आपतकाल में सामान्य नागरिकों ने ही नेतृत्व ग्रहण किया है।

मैं श्री वल्लाथरास की इस बात से सहमत नहीं हूं कि नागरिक झगड़ों के समय प्रादेशिक सेना की सहायता ली जाये। नागरिक आपतकाल के समय हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं को नहीं बुलाना चाहते। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं का उपयोग नागरिक क्षेत्र में तभी करना चाहिये जब कि परिस्थिति बहुत ही बेकाबू हो जाये।

मैं अपने प्रतिरक्षा मंत्रालय का ध्यान एक अंग्रेजी पत्रकार द्वारा एक लेख में लिखी गयी इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि चीनी सेना बहुत अनुशासनशील है तथा ग्रामीण क्षेत्र में लोकप्रिय है और उसे सख्त हिदायत है कि स्त्रियों से दूर रहे। मैं चाहता हूं कि ये बातें हमारी सेना में भी हों।

यह कहा जा रहा है कि जून, १९५७ तक पाकिस्तान की हवाई सेना एशिया में सब से बड़ी और अच्छी हो जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि हम अपनी रक्षा के लिये क्या कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

हमें अपनी नौसेना के जहाजों की रक्षा के लिये भी पर्याप्त कदम उठाने चाहिये । गोतेखोरों (फ्रॉगमेन) का प्रशिक्षण हमें अपनी नौसेना में प्रारम्भ करना चाहिये । युद्ध में इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है । गत युद्ध में इटली के गोताखोरों ने अंग्रेजी जहाजों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था । हम भी इटालियनों की मदद अपने गोतेखोरों को प्रशिक्षित करने के लिये ले सकते है । हमारी नौसेना में तेलवाहक जहाजों की भी बहुत कमी है—अभी तक केवल एक तेलवाहक जहाज है । हमारी नौसेना में कम से कम आधी दर्जन तेलवाहक जहाज और एक दर्जन गोतेखोर होने चाहिये ।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं इस विधेयक के सरल उपबन्धों का हार्दिक स्वागत करता हूं ।

श्री वल्लाथरास के इस विचार से मैं सहमत हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के पास प्रस्तुत विधेयक दो वर्ष तक नहीं रहना चाहिये था । यह विधेयक १३ मई, १९५४ को छपा था किन्तु सभा में अभी कुछ दिनों के भीतर ही प्रस्तुत किया गया है ।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक सेना पहले से ही है किन्तु इस सेना के नगरीय पार्श्व में भरती अभी इतनी संतोषजनक नहीं है । यदि अनिवार्य पंजीकरण का उपबन्ध पारित कर दिया गया तो प्रादेशिक सेना के विस्तार में सुविधा होगी । इस व्यवस्था में क्या हानि है ? यह व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरियों अथवा प्राइवेट व्यवसाय में लगे हुए हैं । सरकार के लिये इस आशय की जानकारी आवश्यक है कि सेना की कमी को पूरा करने के लिये किन-किन साधनों का आश्रय लिया जाये । अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था के अभाव में सेना की प्राविधिक दिशा अभी अपर्याप्त है : यह उपबन्ध स्तुत्य है । इससे सेवा में नियत व्यक्ति शारीरिक सुदृढ़ता और नैतिक उत्थान के पथ पर अग्रसर होंगे । कर्तव्यपरायणता की भावना उत्पन्न करने में यह विधेयक अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा । हमारी कामना है कि समग्र राष्ट्र अनुशासनबद्ध हो ।

विधेयक पारित करने के पश्चात प्रतिरक्षा मंत्रालय का यह कर्त्तव्य होगा कि वह लोगों को समय-समय पर ट्रेनिंग दें । यद्यपि यह ट्रेनिंग वर्ष में थोड़े समय के लिये ही होगी किन्तु इसका प्रभाव पूरे वर्ष भर रहेगा । जब तक हम नागरिकों को सैनिक ट्रेनिंग नहीं देंगे तो आपातकाल में यथार्थ सेवा के लिये उनका आह्वान नहीं किया जा सकेगा । किन्तु यदि उन्हें प्राथमिकता प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है तो संकट के समय बड़ी सहूलियत रहेगी । इस व्यवस्था से किसी की हानि नहीं होगी । निरंकुशता की भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होगी । इस व्यवस्था को पारित करने में एक मिनट भी नहीं खोना चाहिये ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : शिकायत की गयी हैं कि यह विधेयक लम्बे समय से पड़ा हुआ था । यह मेरी त्रुटि नहीं है, मंत्रालय की भी नहीं है । आप सब को ज्ञात है कि लोक-सभा में कार्य भार इतना अधिक था कि बहुत अधिक प्रयत्न करने पर भी हम इसे शीघ्र पुरःस्थापित करने में सफल नहीं हो सके ।

यह भी बताया गया है कि प्रादेशिक सेना का समुचित प्रज्ञापन नहीं किया गया है । मैं इससे पूर्णतया असहमत हूं । हम इस संगठन तथा प्रादेशिक सेना योजना को लोकप्रिय बनाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है कि प्रतिक्रिया नगण्य है । जनता की रुचि प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है । १९५४ में पुरःस्थापित विधेयक पर आज इतना बल क्यों दिया जा रहा है इसका कारण प्रादेशिक सेना की कमी नहीं अपितु लोकोपयोगी सेवाओं की रक्षा के लिये प्राविधिकों के अभाव की अनुभूति है । जैसा माननीय मित्र ने अभी कहा है भारत के नागरिकों का आह्वान करने के लिये सरकार को अधिकार प्रदान करने वाला ऐसा उपबन्ध संविधि पुस्तक में होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[डा० काटजू]

कुछ और बातें भी कही गयी हैं जिनका वस्तुतः विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ श्री आल्वा ने नौसेना और वायु सेना , फ्रागमेन, (गोतेखोर) तथा इसी प्रकार की और बातें कहीं। यह सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किन्तु मुझे आश्चर्य है कि प्रादेशिक सेना विधेयक--लोगों को सेना में भरती कर उनसे काम लेने की शक्ति हो अथवा नहीं--से यह सब विषय क्यों कर उत्पन्न होते हैं। औत्सुक्य दूर करने की दृष्टि से मैं माननीय मित्र तथा सभा के सब सदस्यों को यह आश्वासन दे दूं कि जहां तक संभव है नौसेना मुख्यालय, सैन्य एवं विमान बल मुख्यालय और दूसरे विविध मुख्यालयों से सहायता प्राप्त करता हुआ प्रतिरक्षा मंत्रालय देश की सुरक्षा के मूल कर्त्तव्य की भलीभांति पूर्ति कर रहा है।

नौसेना अभी शैशवास्था में है। विमान बल नित्य प्रति सुदृढ़ होता जा रहा है। परन्तु यह कहना हास्यास्पद होगा कि भारतीय विमान बल की तुलना बड़ी शक्तियों के विमान बल से की जा सकती है। हमारी वित्तीय सीमा रेखा के भीतर तथा साधनों की सीमित परिधि में हम विमान बल के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों को उपलब्ध कर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इस ओर आकर्षित कर उसे सशक्त बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री वल्लाथरास ने घोर निराशाजनक चित्र प्रस्तुत किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ जापानी नगरों की ओर निर्देश करते हुए उन्होंने मुझ से पूछा है कि मैं अमुक कार्य क्यों कर रहा हूं। सच तो यह है कि नियमित सेना के सम्बन्ध में उनकी टीका सुनकर मुझे आघात पहुंचा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जहां तक नियमित सेना का सम्बन्ध है हमें उस पर गर्व है। यह विश्व की उत्कृष्ट सेना है तथा वीरता, शौर्य एवं शिष्टता में भारतीय सैनिक ने बड़ी से बड़ी प्रशंसायें प्राप्त की हैं। जहां कहीं भी भारतीय सैनिक गया है उसे सर्वाधिक सम्मान मिला है। यह असंदग्धि है कि भारतीय सैनिक सदैव वीरता का प्रदर्शन करेगा। किसी अन्य व्यक्ति की भूमिं अथवा भू-प्रदेश पर अधिकार करने की हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। हम विशाल भारत में ही रह कर उसी की सुरक्षा में आबद्ध हैं। मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता किन्तु देशवासियों को इस विषय में निश्चिन्त रहना चाहिये।

हमारी कुछ कमियां भी हैं। सभी उनसे पूर्ण परिचित हैं। हमें विदेशों से तोपें आदि मंगानी पड़ती हैं, विशेष रूप से उन चीजों का आयात करना पड़ता है जो यहां नहीं बनती हैं। हम आत्मनिर्भर होने का समीचीन प्रयत्न कर रहे हैं। आयुध फैक्टरियां पूरे सामर्थ्य के अनुसार उपकरण एवं शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। हम शीघ्रता कर रहे हैं। इतना ही कहा जा सकता है।

प्रादेशिक सेना के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें कहीं गई कि मानों प्रादेशिक सेना और नियमित सेना के बीच उपकरण के सम्बन्ध में कोई मतभेद है। मैं सभा को आश्वस्त कर दूं कि प्रादेशिक सेना को सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है तथा उन्हे अस्त्र-शस्त्र दिये जाते हैं ताकि वह अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर सकें। वह रक्षा की द्वितीय पंक्ति है। उदाहरण के लिये विधान विरोधी प्रतिरक्षा समस्या है, तटीय प्रतिरक्षा समस्या है, असैनिक शक्ति की सहायता स्वरूप आन्तरिक प्रतिरक्षा उनके कर्त्तव्य का भलीभांति निर्वाह करने की दृष्टि से हम उन्हें आवश्यक शस्त्र तथा उपकरण देते हैं। इस दिशा में कोई कठिनाई नहीं है।

अब जहां तक उनके स्थान का सम्बन्ध है, वे अंशकालीन सैनिक हैं। जैसा मैंने कहा था सम्पूर्ण प्रोदेशिक सेना युद्ध स्तर पर स्थित नहीं है किन्तु उसका आधार युद्ध है और अवकाश के घंटों में वह सप्ताह में दो अथवा तीन बार काम कर सकते हैं। पदाधिकारी भी अपना कार्य करेंगे।

महिलाओं के बारे में कुछ गलतफहमी है। महिलाओं को प्रादेशिक सेना में भरती होने से निषिद्ध नहीं किया गया है। वस्तुतः मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सिग्नल यूनिट में ३०० महिलायें काम कर रही ह। संशोधनकारी विधेयक के अनुसार महिलाओं को अनिवार्य रूप में भरती नहीं किया जा सकता किन्तु किसी महिला नागरिक को सेना में भरती होने से रोकने वाली कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रादेशिक सेना के पदाधिकारी वर्तमान में बटालियन के प्रभारी हैं, वह लेफ्टीनेंट, मेजर और कैप्टेन के पदों पर काम कर रहे हैं तथा उनकी पदोन्नति के लिये नियम प्रथक् रूप से निर्धारित किये गये हैं ।

इनके अतिरिक्त मेरे विचार में और कोई बातें नहीं कही गई हैं । अधिकांश बातें विधेयक के विषय से असम्बद्ध हैं । नागरिक प्रतिरक्षा का प्रश्न सदा ही हमारे विचार का विषय रहा है । विमान आक्रमण के समय नागरिक प्रतिरक्षा का प्रश्न बड़ा टेढ़ा होता है । इसे याद रखना है । अधिकांश इस बात पर निर्भर है कि जनता क्या करती है इस बात पर नहीं कि क्या-क्या कर सकती है । हवाई आक्रमण के समय अपनी रक्षा करते हुए शान्त, धीर बने रहना और उत्तेजित अथवा भयांकित न होना जनता का कर्त्तव्य है । इन सब बातों पर सदैव ध्यान रखा जाता है । मैं यह भी कह दूं कि देश वासियों को सैन्य पदाधिकारियों और सैन्य बल पर यह विश्वास रखना चाहिये कि वह अपने कार्य का उत्तम ढंग से निर्वाह करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रादेशिक सेना अधिनियम, १९४८ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—धारा २ आदि का संशोधन ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(नई धारा ६ का रखा जाना आदि)

डा० काटजू : खण्ड ३ के सम्बन्ध में एक संशोधन है । संशोधन का उद्देश्य यह है । विधेयक में हम केवल उन व्यक्तियों से ही जानकारी चाहते थे जो सेवा के योग्य हैं । अब यह विचार किया गया है कि स्वयं नियोजकों से जानकारी प्राप्त करना अभीष्ट है । पैराग्राफ (५) में यही उपबन्ध है । खण्ड ३ में केवल यही उपबन्ध है ।

संशोधन किया गया कि पृष्ठ २ में पंक्ति १७ से २१ तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

(i) "(4) Every person liable to perform service under sub-section (1) shall, if so required by the prescribed authority, be bound to fill up such forms as may be prescribed and sign and lodge them with the prescribed authority within such time as may be specified in the requisition.

(5) The prescribed authority may require any person incharge of the management of a public utility service to furnish within such time as may be specified in the requisition such particulars as may be prescribed with respect to persons employed under him, who may be libale to perform service under sub-section (1)."

[डा० काटजू]

(१) "[(४) उपधारा (१) के अन्तर्गत सेवा के योग्य प्रत्येक व्यक्ति, निर्धारित अधिकारी द्वारा मांगने पर, अधिग्रहण में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्धारित प्रपत्रों को भरने और हस्ताक्षर कर निर्धारित पदाधिकारी को सौंप देने के लिये बाध्य होगा।

(५) निर्धारित पदाधिकारी लोकोपयोगी सेवा के प्रभारी से अपने अधीन काम करने वाले उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो उपधारा (१) के अर्न्तगत सेवा के योग्य हैं, अधिग्रहण में निर्दिष्ट समय के भीतर, निर्धारित ब्योरा मांग सकता है।"]

(२) पंक्ति २२ में

"(5)" "[५]" के स्थान पर "(6)" "[६]" रखा जाये।

—[डा० काटजू]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४ – (नई धारा १०-क का रखा जाना आदि)

संशोधन किया गया— पृष्ठ ३, पंक्ति ७ से ९ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(a) to comply with any requisition under sub-section (4) or sub-section (5) of section 6A, or"

["(क) धारा ६ क, की उप-धारा (४) अथवा उप-धारा (५) के अन्तर्गत किसी अधिग्रहण की पूर्ति, अथवा"]

—[डा० काटजू]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५—(धारा १४ आदि का संशोधन)।

†**डा० काटजू** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ३ में—

पंक्ति १९ से २२ तक के स्थान पर निम्न रखा जाय :

"5. **Amendment of Section 14, Act LVI of 1948**— In sub-section (2) of section 14 of the principal Act—(a) clause (a) shall be re-lettered as clause (aaa) and in that clause as so re-lettered the words 'or may be required to perform compulsory service in the Territorial Army'; shall be added at the end, and (b) before that clause as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:—

["५. **१९४८ क अधिनियम ५६ की धारा १४ का संशोधन**—मुख्य अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (२) में—(क) खण्ड (क) को खण्ड (ककक) के रूप में पुन:

†मूल अंग्रजी में।

अक्षरांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित किये गये खण्ड के अन्त में, 'या प्रादेशिक सेना में अनिवार्य रूप से सेवा करनी पड़े' ये शब्द जोड़ दिये जायेंगे, और (ख) इस प्रकार पुनः अक्षरांकित किये गये खण्ड से पहले, निम्न खण्ड जोड़ दिये जायेंगे, अर्थात् –"]

— [डा० काटजू]

इस संशोधन का उद्देश्य यह है। मूल अधिनियम उन व्यक्तियों के बारे में था, जिन्होंने प्रादेशिक सेना में भर्ती होने का विकल्प दिया था। अब इस विधेयक में सरकारी कर्मचारियों के लिये कुछ अनिवार्यता रख दी गई है। इसलिये यह संशोधन आवश्यक हो गया है, ताकि जहां तक नियमों और आदेशों का सम्बन्ध है, उन्हें भी उन व्यक्तियों के आधार पर रख दिया जाये, जिनके लिये सेवा अनिवार्य है। वाद-विवाद में कुछ सदस्यों ने कहा है कि इन दो के बीच कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। हमारा यही उद्देश्य है। उस व्यक्ति में जिसकी सेवाएं अनिवार्य रूप से प्राप्त की गई हैं और उस व्यक्ति ने जिसने अपनी इच्छा से सेवा करने का प्रस्ताव किया है, अब कोई अन्तर नहीं।

प्रस्ताव उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि "खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १–(संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया : पृष्ठ १, पंक्ति ४ में––

"1954" [१९५४] के स्थान पर "1956" [१९५६] रखा जाये

––[डा० काटजू]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि "खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया : पृष्ठ १, पंक्ति १ में–

"fifth year" [पांचवें वर्ष] के स्थान पर "seventh year" [सातवां वर्ष] रख दिया जाये।

—[डा० काटजू]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० काटजू** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने हमें प्रादेशिक सेना के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी । मेरे विचार में इस संशोधक विधेयक की चर्चा के समय उन्हें इसके सम्बन्ध में एक श्वेत पत्र देना चाहिये था । विधेयक के कारण भी पर्याप्त नहीं हैं जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, यदि प्रादेशिक सेना प्रतिरक्षा की दूसरी सेना है, तो इसकी संख्या पर्याप्त नहीं है । अनिवार्यता की शर्त का मैं स्वागत करता हूं किन्तु मेरा निवेदन है कि जहाँ तक टेक्नीकल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हमें ये पर्याप्त संख्या में नहीं मिल सकते । इसके सामान, शस्त्रों या प्रशिक्षण के बारे में भी स्थिति संतोष-जनक नहीं है । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करें, जिससे ये सब आवश्यकतायें पूरी हो सकें ।

†**डा० काटजू** : प्रादेशिक सेना के प्रशिक्षण या किसी अन्य मामले में कोई त्रुटि नहीं है । उसके सैनिक प्रशिक्षण-प्राप्त हैं और उन्हें कोई शिकायत नहीं है । मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य किस प्रकार के विधेयक की आशा करते हैं ।

जहां तक प्रचार का सम्बन्ध है, इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है और संख्या बढ़ती जा रही है । देखना यह है कि आवश्यकता कितनी है और माननीय सदस्यों को वित्तीय सीमाओं का ज्ञान है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

फरीदाबाद विकास निगम विधेयक

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : मैं* प्रस्ताव करता हूं कि :

"फरीदाबाद नगर में व्यापार और उद्योग को चलाने तथा उसको बढ़ाने के प्रयोजन से वहां बसे हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता करने के लिये एक व्यवसाय निगम की स्थापना और विनियमन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

१९४८ में फरीदाबाद में, जो दिल्ली से १७ मील दक्षिण की ओर है, उत्तर-पश्चिम सीमान्त के विस्थापित व्यक्तियों को अस्थायी आश्रय देने के लिये एक सहायता कैम्प स्थापित किया गया था । फरवरी, १९४९ में इसे एक नगर में परिवर्तित करने का निर्णय किया गया था, ताकि इसमें डेरागाजीखां और उत्तर पश्चिमी सीमान्त के विस्थापित व्यक्ति बसाये जा सकें । मई, १९४९ में मंत्रिमंडल की पुनर्वास समिति ने यह निर्णय किया कि सहायता कैम्प और नये नगर दोनों को एक स्वायत बोर्ड के नियन्त्रण के अधीन रख दिया जाये, जो पुनर्वास मंत्रालय के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के अधीन हो । डा० राजेन्द्र प्रसाद इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे और इसमें पुनर्वास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पंजाब सरकार और .....का एक-एक प्रतिनिधि लिया गया था । इस निकाय से स्थापित होने के तुरन्त बाद पंजाब सरकार ने अपना प्रतिनिधि वापस ले लिया था और १९५० में डा० राजेन्द्र प्रसाद के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, उनका स्थान डा० कुंजरू ने ले लिया था । १९५३

---

†मूल अंग्रजी में ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

में इसका काम इतना अच्छा नहीं था और पुनर्वास मंत्रालय ने नगर का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। तथापि १९५६ में एक नया बोर्ड स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष पुनर्वास मंत्रालय के सचिव थे और सदस्य ये थे : पुनर्वास मंत्रालय का एक उपसचिव, वित्त मंत्रालय का एक उपसचिव, प्रशासक, फरीदाबाद विकास बोर्ड, श्रीमती सुचेता कृपालानी और श्रीमती आर्यनायकम्। यह एक तदर्थ निकाय रहा है। इसका कोई कानूनी दर्जा नहीं था। इस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था और न यह मुकदमा चला सकता था। यह किसी बाहरी निकाय से कोई समझौता नहीं कर सकता था। इसके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं कहा जा सकता था। इसलिये एक स्वायत्त बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया गया। चूंकि फरीदाबाद पंजाब के क्षेत्राधिकार में आता था, इसलिये निर्णय किया था कि वह राज्य विधान बनाये। विधि मंत्रालय ने एक अध्यादेश तैयार करके राज्य सरकार को भेज दिया। इसका अभिप्राय: यह था कि नये बोर्ड के नगरपालिका विकास और पुनर्वास सम्बन्धी कृत्य हों। इसके ७ सदस्य बनाये जाने थे--६ भारत सरकार द्वारा मनोनीत और एक पंजाब सरकार द्वारा। इसके क्षेत्राधिकार में फरीदाबाद और आसपास के २० ग्राम होने थे। इसे १९५० में पंजाब सरकार के पास भेजा गया था किन्तु उसने कोई कार्यवाही न की और फरवरी, १९५२ में उसने एक विधेयक भेज दिया, जिसे राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में अधिनियमित कराया जाना था।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

गृह-कार्य मंत्रालय, विधि मंत्रालय और पुनर्वास मंत्रालय ने इसकी सावधानी से जांच की और इसे बहुत लम्बा समझा गया। उनका विचार था कि एक अधिक सरल विधेयक अधिक अच्छा होगा। उस समय पंजाब विधान सभा बन गई थी और यह बेहतर समझा गया था कि यह विधेयक राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में अधिनियमित किये जाने के बदले पंजाब विधान मंडल द्वारा पारित किया जाये। अत: यह उसे वापस भेज दिया गया। १९५३ तक उसने कोई कार्यवाही न की। उस समय तक बहुत परिवर्तन हो चुके थे और वे २० ग्राम सामुदायिक परियोजनाओं के अधीन हो गये थे तब यह आवश्यक समझा गया कि एक नया विधेयक तैयार किया जाये, जिसके अन्तर्गत फरीदाबाद के नगरीय भाग पर नियन्त्रण और क्षेत्राधिकार किया जा सके। तदनुसार विधि मंत्रालय ने एक और विधेयक तैयार किया और इसे पंजाब सरकार को भेज दिया गया उस समय तक भारत सरकार लगभग ४ करोड़ रुपये लगा चुकी थी और इस नगरी की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिये अधिक रुपया लगाने की आवश्यकता थी। अत: वह इस बोर्ड के प्रबन्ध पर पूरा नियन्त्रण करना चाहती थी, किन्तु पंजाब सरकार का विचार यह था कि चूंकि बोर्ड के नगरपालिका कृत्य भी होंगे, इसलिये इस का नियन्त्रण भारत सरकार के हाथ में देना संभव नहीं होगा और यदि कोई ऐसा अधिनियम पारित किया गया, तो यह संविधान के शक्ति परस्तात् होगा। उस समय भारत सरकार का ख्याल था कि अभी नगरी को पंजाब सरकार क हाथ में देने का समय नहीं आया। भारत सरकार उसकी अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहती थी इसलिये यह उत्तरदायित्व पंजाब सरकार को सौंपना संभव नहीं समझा गया था। अत: केन्द्रीय विधान के द्वारा व्यापार, विकास और पुनर्वास सम्बन्धी कृत्यों वाला एक निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया।

मैं इस नगरी का संक्षिप्त इतिहास भी देना चाहता हूं। १९४८ में मंत्रिमंडल के पुनर्वास मंत्रालय ने यह निर्णय किया था कि इस नगरी में ४० हजार विस्थापित व्यक्तियों को बसाया जाय। लगभग २१,००० व्यक्ति अस्थायी रूप से भेजे गये थे और बाद में ५,००० और वृद्ध और असमर्थ व्यक्ति भेजे गये थे। परन्तु नि:शुल्क सहायता बन्द हो जाने के कारण, उनमें से कुछ लोग छोड़ कर चले गये थे और अब वहां २३,००० व्यक्ति हैं। नगरी को पांच क्षेत्रों या आबादियों में बांटा गया है।

[श्री ज० कृ० भौंसले]

बोर्ड ने ५,१५८ मकान, १३८ दुकाने और १५० निस्सन झौंपड़ियां बनाई हैं। ये झौंपड़ियां प्रशासनीय कर्मचारियों, कार्यालयों और कुछ उद्योगपतियों के काम में लाई जाती हैं इसका एक अस्पताल है जिसमें १५० रोगियों को रखने के लिये जगह है और एक क्षयरोग शाखा भी बना दी गई है। पानी नल कूपों से आता है और ६,००० किलोवाट का बिजली घर भी है।

जहां तक नियोजन के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस में कुछ कठिनाई है क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली से काफी दूर है। यह मामला पिछले ८ वर्षों से भारत सरकार के विचाराधीन है। शुरू में विस्थापित व्यक्तियों को उन निर्माण कार्यों में काम दिया गया था जो स्वयं फरीदाबाद में हो रहे थे। साथ ही हमने एक टेक्नीकल संस्था चला दी थी, जिसके बहुत भाग थे जैसा कि डीज़ल इंजन कारखाना, प्रैस धात कर्मशाला, बटन का कारखाना, कपड़े का कारखाना, बढ़ई विभाग आदि। भारतीय सहकारी संघ ने भी सहकारी संस्थाएं स्थापित करने में सहायता दी थी और संस्था को २४ लाख रुपये का ऋण दिया गया था। चूंकि अधिकांश विस्थापित व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं थे, इसलिये टेक्नीकल संस्था और सहकारी संस्थायें सफल नहीं सिद्ध हुईं।

इसलिये भारत सरकार के लिये नगरी के विस्थापित व्यक्तियों के लिये काम का प्रबन्ध करना आवश्यक था। हमने १,५०० व्यक्तियों को दिल्ली के निर्माण कार्यों में काम देने का प्रबन्ध किया। चूंकि दिल्ली के आसपास बहुत निर्माण कार्य हो रहा था। इसलिये ठेकेदारों आदि को बोर्ड के द्वारा दिल्ली में और दिल्ली के आसपास इमारतों के ठेके दिये गये। भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया कि इन १,५०० व्यक्तियों को फरीदाबाद से दिल्ली लाने के लिये, उन्हें एक अनुसहाय्य दिया जाये, जो लगभग ५-१/२ लाख रुपये प्रति वर्ष है।

इन के अतिरिक्त कुछ उद्योग भी स्थापित किये गये हैं, आज तक लगभग ७० लाख रुपये की लागत की २३ योजनाओं की मंजूरी दी गई है, जिनके अन्तर्गत २,३०० विस्थापित व्यक्तियों को काम मिलेगा। उन १० उद्योगों में जो अब चल रहे हैं, लगभग १,१०० विस्थापित व्यक्तियों को काम मिल रहा है।

वित्त के सम्बन्ध में, फरीदाबाद विकास बोर्ड को १९४९ में ६० लाख रुपये का तदर्थ अनुदान दिया गया था। यह राशि बोर्ड के काम के लिये पर्याप्त नहीं समझी गई थी और १९५१ में २५४·९ लाख रुपये दिये गये थे। १९५३ में परियोजना की पूंजी बढ़ा कर ३४५·९ लाख कर दी गई थी। आशा थी कि ७०/८० लाख रुपये के अतिरिक्त व्यवस्था से जिससे नगरी के विस्थापित व्यक्तियों को काम दिया जायेगा, यह परियोजना अगले तीन या चार वर्षों में पूरी हो जायेगी।

मैं विधेयक की सिफारिश करता हूं।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

लाला अचिंत राम (हिसार) : सभापति महोदय मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। स्वागत इस वास्ते करता हूं कि जो हमारी लगातार आवाज उठती रही कि वेस्ट पाकिस्तान से जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (विस्थापित व्यक्ति) आए हैं, उन का रिहैबिलीटेशन (पुनर्वास) मुकम्मिल नहीं हुआ, वह आवाज बहुत देर तक तो नहीं सुनी गई, लेकिन मुझे खुशी है कि इस वक्त जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने उसको सुना और कभी ऐसा कहने की गलती नहीं की कि रिहैबिलीटेशन मुकम्मिल हो गया। यह जो बिल आया, है, वह एक किस्म का सबूत है कि वाकई अभी रिहैबिलिटेशन मुकम्मिल नहीं हुआ और उसको मुकम्मिल करने की कोशिश की जा रही है। और यह कारपोरेशन की तजवीज सामने आई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जैसा कहा गया इस जगह की आबादी करीब २३,००० के.है, यानी करीब ४,००० फैमिलीज़ (परिवार) हैं। आप देखेंगे कि कितने ही आदमी लाखों की तादाद में वैस्ट पाकिस्तान से आये हुए हैं जिनकी प्राबलेम (समस्या) अभी बड़ी गहरी है। कितना रुपया उनके ऊपर अभी तक खर्च किया गया है, और उनके लिये कितनी मेहनत की गई, डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे दिमाग वाले, श्री कुंजरू जैसे दिमाग वाले आदमियों ने कोशिश की, यहां कमेटियां बनीं, लेकिन प्राबलेम हल नहीं हुई। आखिरकार, एक कमेटी बदली, दूसरी बदली, तीसरी बदली, लेकिन प्राबलेम वैसी की वैसी ही रही। आज हालत यह है कि वहां पर, पठान लोग टोकरियां उठाते हैं। काम करना कोई शर्म की बात नहीं है, टोकरियां उठाना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी हालत बेहतर नहीं हो रही है। नौ वर्ष हो गये और उनकी प्राबलेम वहीं की वहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो कुछ हो रहा है, यह खुशी की बात है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस तरीके से अब इरादा करके कारपोरेशन की तरफ कदम उठाया गया है उसमें सोच समझ कर रुपया खर्च किया जाये, जो बाकी रुपया है वह फरीदाबाद में ही खत्म न हो जाये अभी मैं देखता हूं कि यह तो कुल २३,००० की पापुलेशन है, लाजपतनगर में ६०-६१ हजार की पापुलेशन है। मुझे पता नहीं है कि उसका कारपोरेशन वगैरह आप बनायेंगे या नहीं। यहां आप कदम उठा रहे हैं तो आप उसको बना ही लेंगे, और यह खुशी की बात होगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट का कदम इस तरफ और तेजी से बढ़े। आज गवर्नमेंट खुद तसलीम करती है कि प्राबलेम अभी साल्व (हल) नहीं हुई। मैं नहीं कह सकता कि जो साढ़े तीन करोड़ रुपया दिया गया, और २८ लाख रुपया जो पिछले चार पांच वर्षों से दिया जाता रहा, उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इस की रिपोर्ट कोई तसल्लीबख्श नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्या बात हुई कि इतनी बुरी हालत रही। जब यहां पर उतना खर्च हुआ जितना और जगहों पर नहीं हुआ, तो फिर ऐसी हालत क्यों रही, इस बात का पता चले तो अच्छा है।

दूसरी बात यह कही गई कि यह बिल जो है वह इंडस्ट्री (उद्योग) और बिजिनेस (कारोबार) को बढ़ावा देने के लिये है। यह खुशी की बात है कि यह चीज़ बिजिनेस और इंडस्ट्री के और काम करने के लिये है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ख्याल यह हुआ कि जरा और एहतियात करके इस रुपये को ढंग से खर्च किया जाये। ऐसा न हो कि कई वर्ष लगा कर ठेकेदारों और दूसरे आदमियों पर ही सारा रुपया खर्च कर दिया जाये। अगर आप सब्सिडी (अर्थ सहायता) देते हैं तो उसके अन्दर आप गवर्नमेंट के और रिफ्यूजीज़ के फर्दर एक्स्प्लायटेशन का सिलसिला न बनाइये। यह बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट बदनाम जरूर हो जाती है, और हो रही है कि इस तरह के कामों में आज उसका लाखों करोड़ों रुपया जहां जाना चाहिये वहां नहीं जाता है। और जगह चला जाता है। इस वास्ते जब आप उनका काम शुरू करने लगे हैं तो एहतियात कीजिये कि बाहर से कैपिटलिस्ट्स (पूंजीपतियों) का इम्पोर्टेशन (आयात) न किया जाये।

मैं यह भी कहूंगा कि बाहर से रिफ्यूजीज़ को इम्पोर्ट करके यहां पर न लाया जाये और खास तौर से ऐसे रिफ्यूजीज़ को न लाया जाये जो कैपिटलिस्टस हों। मैं यह भी चाहता हूं कि यहां पर जो रुपया खर्च किया जाये वह इस तरह से खर्च किया जाये कि गरीबों के मुंह में जाये और ऐसे लोगों के मुंह में जाये जिनका मसला अभी हल नहीं हुआ है। जब ऐसे लोगों के मुंह में रुपया जायेगा तभी इस सारी स्कीम से कुछ फायदा होगा।

इस बिल में यह देख कर मुझे खुशी हुई कि मकान इत्यादि बनाने के लिये भी प्राविज़न (उपबन्ध) रखा गया है। इसमें कहा गया है कि या तो गवर्नमट मकान बनवा कर देगी और अगर रिफ्यूजी चाहेंगे तो उनको मकान बनाने के लिये रुपया उधार भी दिया जा सकेगा। यह बहुत अच्छी चीज़ है जो आप करने जा रहे हैं। आज जहां पर लोगों को रोटी नहीं मिल रही है वहां उनको रहने के लिये मकान भी

[लाला अचिंत राम]

नहीं मिल रहे हैं। तो मकान तो आप बना देंगे ही और उनके बनवाने पर ५ हजार या ७ हजार या १० हजार रुपया भी खर्च कर देंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात का ध्यान रखें। आप उनको यह न कहें कि यह सारा रुपया तीन इंस्टालमेंट्स (किस्तों) में पे (अदा) कर दें। अगर आपने ऐसा किया तो आप उनको रिहैबिलिटेट करने के साथ ही डिरिहैबिलिटेट भी कर देंगे। इस चीज़ का जल्दी ही फैसला हो जाना चाहिये कि उनको यह रुपया कितनी इंस्टालमेंट्स में वापिस करना होगा नहीं तो यह तलवार हमेशा उनके गले पर लटकती रहेगी। अगर आपने उनसे कहा कि वे तीन इंस्टालमेंट में रुपया वापस करें तो यह एक नामुम्किन बात होगी। ऐसा करके आप नेकी करने के साथ-साथ उनकी बरबादी का कारण भी बनेंगे और उस नेकी को खत्म करने का कारण बनेंगे। यह किस तरह से मुम्किन है कि वे इतना ज्यादा रुपया तीन इंस्टालमेंटस में पे कर दें। दूसरी जगहों पर तो आप कहते हैं कि जो कोई रुपया मकान बनाने के लिये उधार लेगा उसको उसे २५ या ३० वर्ष में वापिस करना होगा लेकिन अगर आप यहां पर यह कहेंगे कि तीन बरस में ही वापिस कर दो तो यह कहां तक मुनासिब होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। जल्दी रुपया वापिस लेने के हक़ में आप दलील यह देंगे कि हमारे पास रुपये की कमी है और इस वक्त हमारे पास रुपया नहीं है। आप और जगहों पर तो लाखों और करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं लेकिन जब डिसप्लेस्ड परसंस की बात होती है तो आप यही कहते हैं कि हमारे पास इतना रुपया नहीं है। क्या आपके पास इस काम के लिये ४० या ५० करोड़ रुपया भी नहीं है? आप इस रुपये को उन्हें दान नहीं दे रहे हैं। यह रुपया आपके पास वापिस आ जायेगा। क्या आप इस अर्से को एक्सटेंड (बढ़ाना) नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां के मिनिस्टर हों या डिप्टी मिनिस्टर या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हों या मिनिस्टर, इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से किसी एक रिफ्यूजी के लिये यह मुम्किन हो सकता है कि वह तीन इंस्टालमेंट्स में रुपया वापिस करे। एक बार उनको पिंजरे में डाल कर, जाल में डाल कर, अगर आपने उनको उखाड़ा तो यह उनकी मौत का ही बायस (कारण) होगा। इस बिल के अन्दर यह तो नहीं लिखा हुआ है कि कितनी इंस्टालमेंट्स में रुपया वापिस लिया जायेगा लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्राविज़न का नाजायज़ फायदा न उठाया जाये। इस वास्ते आप इस रुपये को इतनी इंस्टालमेंट में वसूल करें जिनमें कि वे उसे आसानी से अदा कर सकें। एक हाथ से नेकी करके आप दूसरे हाथ से बदी न करें। जब वे लोग इस तरह की कोई मांग करते हैं तो जो पापुलर वायस (जनता की आवाज) होती है वह उनके साथ होती है। आपकी तरफ से यह कहा जाता है कि हमारी मजबूरियां हैं। पब्लिक आपकी मजबूरियों को नहीं समझ सकती है। आप अरबों की स्कीमें बनाते हैं, कई फाइव इयर प्लान बनाते हैं और उन पर अरबों रुपया खर्च करते हैं तो क्या यह मुम्किन नहीं है कि आप थोड़ा-सा रुपया इन लोगों पर भी खर्च करें जो कि आपको वापिस मिल जाना है। आपनी मांगों को पूरा करवाने के लिये लोग भूख हड़ताल करते हैं जिसे मैं बिल्कुल फिजूल समझता हूं। लेकिन आपको भी वही करना चाहिये जो जायज़ हो। अब जब हाउसिंग का प्राविज़न इस बिल में किया जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप देखें कि उन पर किसी किस्म की ऐसी मुसीबत न आयें जैसी कि दूसरों पर आ रही है।

मुझे इतना ही कहना था। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि एक तो आप जो रुपया इंडस्ट्रीज़ खोलने पर खर्च करें वह ठीक तरह से खर्च करें, दूसरे बाहर से रिफ्यूजीज़ को इम्पोर्ट न करें और खास तौर से कैपिटलिस्ट रिफ्यूजीज़ को, तीसरे ऐसा इंतिज़ाम करें जिससे कि यह रुपया गरीबों के मुंह में जाये, चौथे जो इंस्टालमेंट्स हैं, जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया है, उनको कृपा करके आप कई सालों तक फैलायें।

मैं समझता हूं कि यह बहुत ही मुफीद बिल है और इसे पास हो जाना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बिल को लाने के लिये मुबारकबाद देता हूं। असल बात यह है कि जिस वक्त फरीदाबाद टाउनशिप

बनाने का फैसला किया गया तो बहुत से जो एन० ड्ब्ल्यू एफ० पी० से आये और जिनको वहां बसाने का ख्याल किया गया था, तो वहां पर बसने वालों ने भी और दूसरे लोगों ने भी उसको काफी पसन्द किया। लेकिन थोड़े ही अर्से बाद जब वहां पर काम शुरू होने लगा तो यह महसूस किया गया कि जहां पहले से ही शहर मौजूद हैं उन के पास रिफ्यूजी बस्तियां बनाना और वहां पर इन लोगों को काम देना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि नये सिरे से आप नई बस्तियां बनाना शुरू कर दें और वहां पर पहले लोगों को बसायें और फिर काम देने की कोशिश करें। यह जो एक्स्पेरिमेंट (प्रयोग) था यह एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था और हमें पता नहीं था कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि करनाल के पास एक जगह है जिसको नीलोखेड़ी कहते हैं। वहां पर एक और तजुर्बा किया गया है। वहां पर एक नई बस्ती बसाने की कोशिश की गई और वहां पर भी बेशुमार रुपया खर्च किया गया। मैं समझता हूं करीब-करीब एक करोड़ रुपया से भी अधिक खर्च किया गया था। वहां पर जो नताइज (परिणाम) निकले वे ऐसे नहीं थे जिन के बारे में यह कहा जा सके कि जितना रुपया खर्च किया गया है उसका बैस्ट इनवैस्टमैंट (उत्तम विनियोजन) हुआ है। दरअसल जब यह मसला पैदा हुआ और जब यहां रिफ्यूजी आये तो जैसे कि बाकी दुनिया इस बारे में नातजुर्बेकार है वैसे ही हमारी गवर्नमेंट भी नातजुर्बेकार थी और जैसे-जैसे मुसीबत आती गई वैसे-वैसे जो इलाज सूझता गया उसको अम्ल में लाती गई। जब कोई नया काम किया जाता है तो यह कुदरती बात है कि उसके नताइज हर सूरत में तसल्लीबख्श नहीं हो सकते। मुझे याद है वह दिन जब हम फरीदाबाद यह देखने के लिये गये थे कि किस तरह से वहां पर काम शुरू किया जाये। उस वक्त वहां मकान बनने शुरू नहीं हुए थे और जब मकान बनने शुरू हुए तो इस काम को वहां के जो रिफ्यूजी थे उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया और बड़ी ईमानदारी, बड़ी मेहनत और बड़ी दिलचस्पी के साथ इसको किया। सच तो यह है कि उन बहादुर लोगों को ईमानदारी और पैट्रियोटिज़्म (देशभक्ति) के जज़्बे (भावना) से प्रोत्साहित होकर काम करते देखकर हर एक आदमी को खुशी हासिल हुई होगी। लोगों ने हज़ारों की तादाद में मकान बना डाले और इसको ऐसा शहर बना डाला कि एक आदमी जो मथुरा से दिल्ली आता है सड़क के पास इन सफेद-सफेद मकानों को देखकर ऐसा महसूस करने लग जाता है कि वह कोई एजेलिक ड्रीम (दिव्य स्वप्न) देख रहा है। यह एक बहुत ही अच्छी बात थी कि इन मकानों को उन्हीं लोगों के हाथ से बनवाया गया और उन्हीं को इनके बनाने की मजदूरी दी गई।

इसके फौरन बाद यह सवाल पैदा हुआ कि अब जब मकान बन चुके हैं तो इन लोगों को रोज़ी कहां से मिलेगी। उस वक्त मिनिस्टर साहब ने एक हाई पावर्ड (उच्च शक्तिसम्पन्न) कमिटी बनाई जिसका मैम्बर मैं भी था और जिसके प्रेजिडेंट श्री गोपालस्वामी साहब थे। उस कमिटी के अन्दर जब रोज़ी देने का सवाल उठा तो मैंने कहा कि नीलोखड़ी के अन्दर आपने हर एक फैमिली पर कोई ५,००० रुपया खर्च किया है तो क्या आप इतना रुपया इन लोगों पर भी खर्च करने के लिये तैयार हैं और इस तरह से इन को काम देने के लिय तैयार हैं? इसके बाद बहुत सी तजवीज़ें पेश की गई हैं और एक सब्ज़बाग दिखलाया गया और कहा गया कि यहां पर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, बाटा भी यहां अपनी फैक्ट्री लगायेगा और जमीन की इतनी मांग है कि यह पूरी नहीं हो सकती। खैर बाटा ने तो वहां काम शुरू कर दिया है। तो कहा यह गया कि इतना काम होगा कि लोगों में जो अनएम्पलायमेंट हैं वह खत्म हो जायेगी। इसके थोड़ी ही देर बाद जब मकान बन चुके तो यह साफ हो गया कि वे लोग बड़ी तादाद में अनएम्लायड (बेरोजगार) हैं। उस वक्त वे लोग बड़ दुःखी हुए। पहले वे बहुत खुश थे कि हमारे मकान बने हैं। हम भी इस पर बड़े खुश थे। लेकिन बाद में हालत बिल्कुल बदल गई। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं इस हाउस में उस इलाके का इलैक्टिड (चुना हुआ) मेम्बर हूं। उन्होंने मेरे घर पर आकर धरना दे दिया और भूख हड़ताल कर दी। मेरी जान को मुसीबत आ गई।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : भूख-हड़ताल उन्होंने की ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी, हां । मैंने नहीं की । जो लोग अन-एम्पलायड थे, जिनको काम नहीं मिलता था, उन्होंने मजबूर होकर भूख-हड़ताल की । सबसे पहले वे मिनिस्टर साहब के पास पहुंचे । मैंने उनको वहां जाने को डायरेक्ट कर दिया था कि वहां पर जा कर भूख-हड़ताल करो ।

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : पुराने मिनिस्टर ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां, पुराने मिनिस्टर, आप नहीं । आपको तो मैंने मुबारकबाद दी है कि आपने यह बिल यहां पर पेश किया है । आखिर कोई रिलीविंग फ़ीचर (सहायता पहुंचाने वाली बात) तो होना चाहिये ।

मैंने उनको कहा कि आप पंडित कुंजरू के पास जाइये, जो कि डेवेलपमेंट बोर्ड के प्रेजीडेंट हैं या श्री अजीत प्रसाद जैन के पास जाइये और वहां उनके मकान पर भूख-हड़ताल कीजिये ।

श्री दी० चं० शर्मा (होशियारपुर) : क्या आपने कहा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस के अलावा मेरे पास और क्या चारा था ? मैं उनके लिये क्या कर सकता था ? मैंने कुंजरू साहब और श्री अजीत प्रसाद जैन से इस सिलसिले में बीसियों दफ़ा कहा ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : क्या मेम्बर्ज़ भी इस तरह भूख-हड़ताल करवाते हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हां, भूख-हड़ताल करने के कई तरीके हैं । कई दफ़ा मिनिस्टर साहब खुद लोगों को बुला लेते हैं कि मेरे मकान पर भूख-हड़ताल करो । कई लोग खुद वहां पर भूख-हड़ताल करने चले जाते हैं और कई बार मेम्बर्ज लोगों को भेज देते हैं ।

शिमला से फरीदाबाद एक प्रिंटिंग प्रैस लाने की स्कीम थी । वह तो खैर अब पूरी हो गई । इसके अलावा एक भैंसों की स्कीम थी । यहां पर एक कान्फ्रैंस करके यह स्कीम बनाई गई थी । हम ने बैस्ट आदमी वहां भेजे । आप ने को-आपरेटिव की जिस स्कीम का जिक्र किया है, मुझे यह कहने में अफ़सोस होता है कि उस पर लगाया गया सब रुपया बरबाद हो गया और वह स्कीम नाकामयाब हो गई । उस रुपये के बरबाद होने का फिक्र या अफसोस नहीं है । मुझे इस बात का फिक्र है कि अगर इस देश में को-आपरेशन (सहकारिता) की मूवमेंट (आन्दोलन) नाकाम हो गई, तो फिर यहां पर कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती है, जो हम को उम्मीद दिला सके । मैंने अभी लाला अचिंत राम की तकरीर सुनी है । वह कहते हैं कि किसी बहुत बड़े मालदार आदमी को बुला कर उसके हाथ में सारी इंडस्ट्री देकर उन लोगों को महज़ मजदूर न बना दिया जाये—कहीं ऐसा न हो कि उनको तो कुछ हासिल न हो और क्रीम कोई और ले जाये, सारा फायदा कोई दूसरा उठा जाये । जब तक कोई कैपिटलिस्ट अपना मुनाफा न देखेगा, वह यहां आयेगा नहीं । यह जाहिर है कि आपको टैम्पटिंग टर्म्ज़ (आकर्षक शर्तें) पेश करनी होंगी। इस सिलसिले में मेरी तजवीज़ यह है कि—और वह सारे देश में एक मुसलमा (मानी हुई) तजवीज़ है—आपको को-आपरेटिव बेसिस पर इंडस्ट्रीज शुरू करनी चाहिये । अगर आप ऐसा करेंगे, तो उन लोगों का भी फायदा होगा, जिनका कि आप फायदा करना चाहते हैं और आपका काम भी बड़ा आसान हो जायेगा । वह एक निहायत बेहतर काम होगा ।

जब को-आपरेटिव स्कीम भी फेल हो गई, तो कई तरह की कोशिशें हुई । मैं गवर्नमेंट को मुबारक-बाद देना चाहता हूं । आखिर गवर्नमेंट के पास कोई "खुल समसम" नहीं है—उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वह हुक्म दे और कोई फौरन उस काम को कर दे । गवर्नमेंट को बड़े काम करने पड़ते हैं । उसके पास जितने रिसोर्सिज़ (साधन) हों, उन्हीं के मुताबिक उसको काम करना पड़ता है । गवर्नमेंट की लारियां वहां से चलती थीं और उन भाइयों को यहां लाती थीं और वे यहां पर मजदूरी करते थे ।

दिल्ली वाले कहते थे कि ये लोग हमारा हक छीन रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि जब गवर्नमेंट ने कोई कम्युनिटी बनाई, कोई डेवेलपमेंट बोर्ड बनाया, तो उसके काम की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर होती है, उसकी देख-भाल करना गवर्नमेंट का फ़र्ज हो जाता है। अगर कोई मेरी राय पूछता, तो मैं कभी भी यह न मानता कि कोई ऐसी स्कीम बनाई जाये, जिससे इतना खर्चा करना पड़े। साढ़े तीन करोड़ रुपये कैपिटल रखा गया और अठाइस लाख रुपये कई साल तक देने होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वह भी काफी नहीं होगा। जिन आदमियों को आपने बसाया है, जब तक उनको काम नहीं मिलेगा, तब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी। मैं उन लोगों को बखूबी जानता हूं। वे अव्वल दर्जे के हासपिटेबल (मेहमाननवाज़) और पेट्रियाटिक आदमी हैं। वे खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम लेते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं और उनके लिये मरने को तैयार हैं। वहां जाकर आदमी ऊंचा हो जाता है। वे बड़े बहादुर, बड़े अच्छे लोग हैं। उनक लिये आप जितना भी रुपया खर्च कर सकें, वह आप को करना चाहिये। लेकिन लाला अचित राम की आर्ग्युमेंट (तर्क) का जवाब क्या है ? आप इन तेइस हज़ार आदमियों पर साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च करते हैं और एक करोड़ सैंतीस लाख रुपये अभी और खर्च करेंगे। मुझे यकीन है कि वह काफी नहीं होगा। आप ने यह ठीक कहा कि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का फ़र्ज है और वह और खर्च करेगी। यह उम्मीद आपने हमको दिलाई है और यह बात फरीदाबाद तक भी पहुंच जायेगी। मगर मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप कांस्टीच्यूशन की दफा १४ की रू से हर एक आदमी पर इसी हिसाब से रुपया खर्च करें, तो अगर आपके पास खरबों रुपये भी होंगे, तो भी वे काफी नहीं होंगे। आप इतना रुपया खर्च नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त यह सवाल नहीं है कि हमने गलती की है या नहीं। फरीदाबाद तो बन गया और आज वह हिन्दुस्तान की शान है। आज वहां पर एन० डब्ल्यू० एफ० पी० के लोगों की एक भारी आबादी है। लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह उन लोगों के साथ इन्साफ नहीं है कि आप उनको रहने के लिये मकान तो बना दें, लेकिन उनको एम्पलायमेंट (रोज़गार) न दें, उनको कोई काम मुहैया न करें। दिल्ली में क्या सूरत थी ? दिल्ली में पंजाब के लोगों को गेनफुल एम्पलायमेंट तो फौरन मिल गई, लेकिन उनको रहने के लिये मकान नहीं मिल पाये। इस वक्त उनका जो झगड़ा चल रहा है और इन्स्टालमेंट्स वगैरह का जो मामला है, इस वक्त मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। उनके मुताल्लिक कुछ अर्ज़ करने के लिये और मौके मिलेंगे। इस वक्त मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आपने क्लेम किया है कि ट्रेडिंग कार्पोरेशन (व्यापार निगम) बनाई जायेगी, जो कि ट्रेडिंग का काम करेगी, लेकिन बेसिक आइडिया (मूल विचार) यह है कि यह रिहैबिलिटेशन कार्पोरेशन है। आपका मेन (मुख्य) काम यह है कि आप उन लोगों को आरामो-आसायश मुहैया करें। जितना रुपया आप गलती से खर्च कर चुके हैं, उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। हम नीलोखेड़ी को वापिस नहीं ला सकते हैं। जो हो गया, सो हो गया। अब हमें आगे की बात देखनी है। अब इस को अच्छे से अच्छा बनाना हमारा फर्ज़ है और वह कैसे बना सकते हैं ? अगर आप महसूस करते हैं कि आपको और रुपया खर्च करने की ज़रूरत है, तो आपके सारे रीसोर्सिज़, प्लैनिंग की सारी मशीनरी, सारे एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञ) इस काम के पीछे लग जायें, तो शायद मुमकिन है कि यह काम हमारे काबू में आये, लेकिन मुझे दिखाई देता है कि जिस तरह से हम ने पहले काम किया है—बगैर सोचे समझे काम करके चौबीस लाख रुपया जाया कर दिया है, मकान बनाने पर इतना लैविशली (मुक्तहस्त से) खर्च कर डाला है—उस तरह से हमारा काम नहीं चल सकता है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

गवर्नमेंट को इस सिलसिले में बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिये। मुझे वह दिन याद है जब कि मिस्टर सुधीर घोष ने हमको नक्शा दिखाया और बड़े-बड़े सब्ज़ बाग दिखाए कि इन लोगों को काम मिलेगा। मैं ने श्री गोपालास्वामी को कहा था कि इनको काम नहीं मिलेगा। इनमें से कम से कम

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पांच हज़ार लोगों को मेसन (राज) बना दिया जाय, तो वे दो-तीन रुपया से पांच रुपया रोज तक कमा लेंगे। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि फरीदाबाद डेवेलपमेंट कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी इस हाउस ने ली है। अगर उसे मन्जूर है, तो वह इसका ख्याल रखे। गवर्नमेंट ने इसके लिये काफी प्राविज़न किया है। गवर्नमेंट आफ इंडिया का उस पर कंट्रोल रहेगा। रिपोर्ट और बजट उसके पास आयेगा। पिछली दफा बावजूद गवर्नमेंट के देखने के इतना रुपया जाया हो गया। मैं इस बात की गारन्टी चाहता हूं कि आईन्दा इस तरह रुपया जाया नहीं होगा और उसकी गारन्टी है गवर्नमेंट आफ इंडिया का वर्ड (वचन)। गवर्नमेंट आफ इंडिया रुपया खर्च कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मेदारी और है। वे लोग डरते हैं। अगर इसको पंजाब गवर्नमेंट के हाथ में दिया होता, तो वह कभी इतना रुपया खर्च न कर सकती। डेवेलपमेंट बोर्ड के मुताल्लिक हमारे पास रोज़ शिकायतें आती थीं। आठ-नौ बरस के पुराने नौकरों को यक-कलम (एक दम) बरखास्त किया जाता था। उनके मुताल्लिक एक मोटी फाइल बन गई थी। उससे मालूम होता था कि हालत क्या है, कितने लोगों के साथ सख्तियां की गई, जो कि गवर्नमेंट सर्विस में कभी नहीं हो सकती थीं। अब आप पर वे सब पाबन्दियां आयद (लागू) होंगी, जो कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पर आयद होती हैं। अब उस तरह की सख्ती नहीं हो सकेगी। अब उनको यक-कलम नहीं हटाया जा सकेगा। हमने देखा है कि दस-दस बरस पुराने नौकर रोते फिरते हैं। इस कार्पोरेशन बनाने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट पर उन सब आदमियों की जिम्मेदारी होगी। वे बारह सौ आदमी आपकी लायबिलिटी (दायिता) हैं। क्योंकि १२०० को ही काम मिला है। वहां पर कारखाने बहुत थोड़े हैं। छोटे-छोटे कारखाने हैं। ये दस इंड्रस्ट्रीज़ भी बहुत छोटी-छोटी हैं, लेकिन वहां के लोग बड़े रिसोर्सफुल (प्रतिभाशाली) हैं। वे तो काम करना चाहते हैं। एक साहब आये हुए हैं--वह फ़ारेनर (विदेशी) हैं--और उन्होंने एक कारखाना बनाया हुआ है। वह रोज़ कहते हैं कि यह काम शुरू किया जाये, मैं अपनी लाइफ (जीवन) इसमें दे दूंगा। मैं आपको उनकी पूरी स्कीम भेज दूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अभी और कितना समय लेंगे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जो कुछ मुझे अर्ज़ करना था वह किसी हद तक तो मैंने अर्ज़ कर दिया है, अगर जनाब की इजाजत हो तो दस पांच मिनट और ले लूं या आयन्दा ले लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर ही सही।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तिरेसठवां प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गर-सरकारी सदस्यों क विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिरेसठवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २१ नवम्बर, १९५६ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

यह प्रतिवेदन ६ विधेयकों के वर्गीकरण तथा उनके लिये समय नियत किये जाने के बारे में है। उन्हें 'ख' वर्ग में रखा गया है। उनके लिये नियत किया गया समय परिशिष्ट २ में दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

अनुच्छेद १०७ का संशोधन

†**श्री रघुनाथ सिंह** (जिला बनारस–मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक**

धारा ३ आदि का संशोधन

†**श्रीमती मायदेव** (पूना–दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, १८६९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, १८६९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्रीमती मायदेव** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं ।

दंड विधि संशोधन विधेयक***

†**श्री पोकर साहिब** (मलप्पुरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, १८६० तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० तथा दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री पोकर साहिब** : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत के असाधारण गजट भाग २—विभाग २, तारीख २३-११-५६ में प्रकाशित ।

**भारत के असाधारण गजट भाग २—विभाग २, तारीख २३-११-५६ में प्रकाशित ।

***भारत के असाधारण गजट भाग २—विभाग २, तारीख २३-११-५६ में प्रकाशित ।

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक*

(धारा ६ का संशोधन)

†**श्री केशव अय्यंगार** (बंगलौर—उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद् के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संसद् के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विदेशी राजदूतावासों में भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति विधेयक**

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** (यादगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी राजदूतावासों में भारतीय कर्मचारियों के नियुक्त किये जाने में सहायता तथा व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी राजदूतावासों में भारतीय कर्मचारियों के नियुक्त किये जाने में सहायता तथा व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : मैं विधयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

दण्ड विधि संशोधन विधेयक—समाप्त

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री मुकुंद लाल अग्रवाल द्वारा २४ अगस्त, १९५६ को प्रस्तुत किये गये दण्ड विधि संशोधन विधेयक के विचार प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरम्भ करेगी । अब इसके लिये निमत समय से १ घंटा १५ मिनट और बचे हैं ।

†**श्री रघुवीर सहाय** (जिला एटा—उत्तर-पूर्व व जिला बुदायूं—पूर्व) : कुछ संशोधन भी हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें उन्हें निबटा देना चाहिये । श्री रघुवीर सहाय का संशोधन देर से आया किन्तु मैं समझता हूं कि सरकार उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : आशा है कि सरकार का विचार बदल गया होगा ।

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : पहले स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है और पहले माननीय मंत्री ने इसका विरोध किया था । मैं उनसे भिन्न रवैया नहीं अपना सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत के असाधारण गजट भाग २—विभाग २, तारीख २३-११-१९५६ में प्रकाशित ।

**भारत के असाधारण गजट भाग २—विभाग २, तारीख २३-११-५६ म प्रकाशित ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : क्या सरकार नहीं चाहती कि सूचना की शर्त इस बार हटा दी जाये ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार को विश्वास है कि यह विधेयक पारित नहीं होगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : प्रस्ताव को तो नियमित समझा जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह निर्णय उसी दिन दिया जाना था—किन्तु हमने उसे रोका । अब इसे कैसे लिया जा सकता है । आधे से ज्यादा समय समाप्त हो ही चुका है । सदस्य अभी संशोधन पर विचार प्रकट नहीं कर सकेंगे ।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : पहले यह प्रथा थी कि जब प्रस्ताव प्रस्तुत होता था—संशोधन भी प्रस्तुत होते थे । मैंने भी इस विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित करने का संशोधन रखा है । मेरे संशोधन की सूचना समय के अन्दर दी गई थी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब माननीय अध्यक्ष ने दो दिन पहले यह कहा था कि वह इस प्रकार भविष्य में आज्ञा न देंगे, मैं कैसे दे सकता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जहां तक समय का सम्बन्ध है—वह बहुत थोड़ा है । अध्यक्ष उसे बढ़ा सकते हैं—विषय महत्वपूर्ण है इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि १ घंटे का समय और बढ़ा दिया जाये ।

दूसरे इस प्रस्ताव की ग्राह्यता का प्रश्न है । यदि अध्यक्ष ने किसी विधेयक विशेष के बारे में ऐसी प्रथा भविष्य के लिये समाप्त करने की बात कही है तो उसका यह अर्थ नहीं कि उपाध्यक्ष महोदय इस विधेयक पर स्वविवेक से काम नहीं ले सकते । मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को गृहीत किया जाये । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करें ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं प्रार्थना करता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव की बात स्वीकार की जाये । यह मामला समाज सुधार का मामला है और अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार का विचार क्या है ?

†**श्री पाटस्कर** : म बताऊंगा कि सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है । पिछले कागजात से पता चलता है कि श्री विश्वास ने इससे असहमत होते हुए कहा था कि :

> "वास्तव में सरकार ने राज्यों की सलाह ली और विभिन्न राज्यों की रायें हमारे पास हैं । उनमें अधिक इसके विरुद्ध हैं । अब सभा को तथा सरकार को यह देखना होगा कि क्या इसे राज्यों को ही नहीं—उन्हें तो भेजा जा चुका है—उच्च-न्यायालयों तथा अन्य निकायों को राय जानने के लिये परिचालित करना ठीक होगा । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विधि आयोग से पूछा गया है .....।"

इन परिस्थितियों में इसका विरोध किया गया है—इसके गुणावगुणों के आधार पर नहीं । कोई व्यक्ति एसा नहीं चाहता कि ऐसा महत्वपूर्ण विषय इस तरीके से हल किया जाये । सभी राज्य सरकारों की सलाह ली गई है । इसलिये इस मामले को विधि आयोग के सामने रखा जाये । वह केवल व्यवहार पर ही नहीं अपितु कई पहलुओं पर विचार करेगा । हमारे लिये वह संभव नहीं होगा । हमने स्वयं इस विषय पर एक संकल्प पारित किया है । फिर इस आयोग के सभापति एक विद्वान विधिज्ञ हैं—मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी इस बात से तो सहमत होंगे । यह मार्ग हमने सुलझाया था—और सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

इसी का अनुसरण करेगी और यही ठीक भी होगा । इसके बाद हम लोगों की राय भी लेंगे--राय न लेने या किसी बात की परवा न करने का कोई प्रश्न नहीं है । हम और सारी दुनिया इस प्रश्न से सम्बद्ध है और मैं समझता हूं कि माननीय मित्र ने एक ठीक सुझाव दिया है । उस दृष्टि से--जब एक बार हमने एक बात कही--अब बदलना ठीक न होगा ।

†**श्री मु० ला० अग्रवाल** (जिला पीलीभीत व जिला बरेली--पूर्व) : जो निर्णय अध्यक्ष महोदय ने उस दिन दिया था वह उसी दिन प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के बारे में था । इस प्रस्ताव की सूचना काफी पहले दी गई थी इसलिये इसे नियमित समझा जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : समय तो बढ़ाया जा सकता है--दूसरी बात प्रस्तावों को लेने की है । यदि सदस्य चाहते हैं उन्हें ले लिया जा सकता है किन्तु सरकार विरोध कर रही है । अब सभा की राय क्या है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : संशोधन ले लिये जायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि संशोधनों को लिया जाये ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : श्रीमान्, मैं इसके लिये आपका बहुत आभारी हूं ।

श्री अग्रवाल ने इस विधेयक को यहां पुरःस्थापित करके सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने का सुनहरी अवसर प्रदान किया है । पहली बात उन्होंने यह कही कि ब्रिटेन तथा अमेरिका में मृत्यु दण्ड समाप्त हो चुका है--दूसरी यह कि इस दण्ड का अपराध रोकने पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता--तीसरी यह है कि भगवान बुद्ध तथा महात्मा गांधी के देश में ऐसा दण्ड जारी रखना बड़े दुःख की बात है ।

†**श्री पाटस्कर** : इसी देश में महात्मा गांधी की हत्या हुई इस बात को भी ध्यान में रखा जाये ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : इसे भी स्पष्ट, करूंगा--उन्होंने चौथी बात यह कही कि, जहां भी मृत्यु दण्ड समाप्त किया गया है वहां अपराध बढ़े नहीं । वैसे तो यह तर्क बड़े अच्छे हैं--किन्तु इनसे यह नहीं कहा जा सकता कि अभी यहां यह दण्ड समाप्त किया जा सकता है । इसके लिये हमें एक देश की उस समय की स्थिति देखनी चाहिये । यहां अभी डकैतों के बड़े-बड़े दल डकैतियां डालते हैं । वह तरह-तरह के अपराध करते हैं । दूसरे कई देश फिर इस दण्ड को लागू कर रहे हैं, जैसे हंगरी का उदाहरण हमारे सामने है ।

माननीय मित्र ने कहा कि इस दण्ड से लोगों को इबरत नहीं मिलती--दूसरे देशों की बात अलग है--किन्तु भारत में तो यदि कोई इबरत दिलाने वाला दण्ड है तो वह मृत्यु दण्ड ही है । वास्तव में यह दण्ड इबरत देने वाला दण्ड है ।

जहां तक अहिंसा की शिक्षा का प्रश्न है उस सम्बन्ध म यह कहना चाहता हूं कि यहां महात्मा जी जैसे महापुरुषों की हत्या हुई है । जिस समय हत्यारे को मृत्यु दण्ड मिला उस समय सारा देश उसका समर्थक था--इससे स्पष्ट होता है कि इसे हटाने के कोई कारण नहीं हैं । माना कि यह दण्ड बड़ा कड़ा है--किन्तु इससे यह बात कैसे कही जा सकती है कि इसे हटा दिया जाये । सरकार को चाहिये कि वह शक्तियां अपने पास रखे किन्तु उनका प्रयोग ठीक ढंग से करे । हमें पता है कि जब किसी अपराधी को मृत्यु दण्ड दिया जाता है--सत्र न्यायाधीश उसे अपील करने को कहता है--उसके बाद उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय विचार करते हैं--केवल कुछ ही गंभीरतम मामलों में यह दण्ड कायम रहता है । इसके बाद दया याचिकायें भी आती हैं । ऐसा ही दूसरे देशों में भी होता है । केवल कड़ी सज़ा के कारण ही इसे नहीं हटाया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

हमें देखना चाहिये कि हमारे समाज की स्थिति कैसी है। आजकल हत्यायें होती हैं--उत्तर प्रदेश में विधान-सभा के दो सदस्यों की हत्या हुई और एक सहायक सत्र-न्यायाधीश पर घातक आक्रमण किया गया। जब समाज की हालत ऐसी हो तो यह दण्ड कैसे हटाया जा सकता है।

मेरे प्रस्ताव का आशय यह है कि इस मामले को समस्त देश के सामने रखा जाये। मैं नहीं समझा कि माननीय मंत्री क्यों इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। इंगलैण्ड में इस विषय पर विचार करने के लिये कई आयोग हैं। हाऊस आफ कामन्स में एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पारित हुआ था किन्तु हाऊस आफ लार्डस ने उसे स्वीकार नहीं किया और वहां सरकार यह दण्ड कायम रखने के लिये एक नया विधेयक पेश कर रही है--वहां पर भी अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया है। इन परिस्थितियों में यहां पर बिना लोगों की राय जाने यह सब काम कैसे किया जा सकता है। आप को स्मरण होगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के समय डा० काटजू ने जनता की राय ली थी और प्रत्येक राज्य की सलाह ली थी। प्रत्येक राज्य सरकार विधि जीवी संघ, विधान सभा सदस्यों, संसद् सदस्यों तथा जनता से इस प्रश्न पर परामर्श लिया गया था। हम प्रवर समिति क सदस्य ही जानते हैं कि हमें उनकी राय से कितना लाभ हुआ था। अतः यह कहना कि जनता की राय लेना व्यर्थ था बेहूदा बात है।

बिहार सरकार ने लिखा था कि मृत्यु दण्ड हटाना ठीक नहीं है। तथा एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जो इस पर विचार करे।

ऐसा कहा गया है कि उत्तर-प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द इस दण्ड को हटाने के पक्ष में हैं मेरा निवेदन है कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है तथा उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी विरोधी थी। हमें सरकार की राय को अधिक मान्यता देनी है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में फौजदारी प्रबन्ध में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है। जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तब हमसे कहा जाता है कि डाकुओं आदि को हत्याओं के लिये पर्याप्त दण्ड नहीं दिया जाता है। मेरा संशोधन संख्या १ है जिसे मैं प्रस्तुत करता हूं। इसमें कहा गया है कि इस विधेयक को जनता की राय जानने को भेजा जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : सभा के सभी पक्षों को श्री अग्रवाल की सराहना करनी चाहिये क्योंकि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया। इसके पक्ष-विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है तथा आप जानते ही हैं कि बहुत से देशों में मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया गया है। जिन देशों में इसको समाप्त किया गया है वे संतुष्ट हैं तथा उनका कहना है कि हत्या के अपराधों में कमी हो गयी है। फिर भी मैं इसको भी मानता हूं कि अमेरिका के राज्यों ने इसको समाप्त करके दुबारा लागू कर दिया है। ऐसे ही न्यूजीलैंड में भी इसको समाप्त करके दुबारा लागू किया गया है। इंग्लैंड में १९४९ में एक आयोग नियुक्त किया गया था। उन्होंने मनोवैज्ञानिकों तथा न्यायाधीशों की गवाहियां भी लीं तथा १९५३ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने उसमें कहा है कि मृत्यु दण्ड इस कारण दुबारा लागू नहीं किया है कि हत्याओं की संख्या बढ़ गई है अपितु यह इस कारण लागू किया गया है क्योंकि जनता की राय इसको लागू करने के पक्ष में थी। मेरा यही विचार है कि भारत में मृत्यु दण्ड समाप्त करने से हत्यायें नहीं बढ़ेंगी।

मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ५ अथवा दस वर्ष के लिये मृत्यु दण्ड समाप्त कर देना चाहिये तथा देखना चाहिये कि इसका क्या प्रभाव होता है। यह संसद् सर्वोच्च है। जब डा० काटजू ने दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, मैंने कहा था कि प्रक्रिया संहिता का संशोधन पर्याप्त ही नहीं

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

है विधि में भी परिवर्तन होना चाहिये। जब मैकोले तथा अन्य अंग्रेज न्यायाधीशों ने भारतीय विधि बनाई थी उस काल तथा इस काल में बड़ा अन्तर है। उस समय पुलिस राज्य होते थे जबकि अब हम कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं। इसीलिये उसी उद्देश्य के कारण हमारे लिये विधियों में भी परिवर्तन करना आवश्यक है। मुझे आशा है कि आप तथा मेरे अन्य मित्र इससे सहमत होंगे कि केवल मृत्यु दण्ड समाप्त करना ही उचित नहीं होगा अपितु जेल प्रशासन में सुधार भी आवश्यक है।

जब मैं दिल्ली जेल में था तो मैंने देखा कि फांसी की सजा पाये कैदियों से कैसा व्यवहार होता था। मैंने डा० काटजू से इस सम्बन्ध में कहा भी था कि इन लोगों की स्थिति बड़ी खराब है और उनसे दुर्व्यवहार होता है। इसलिये इस पद्धति को पूर्णतः परिवर्तित करना चाहिये। आप भी एक न्यायाधीश थे तथा मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि कोई भी अपराधी, अपराध करते समय यह नहीं सोचता कि किस धारा से उसको २० वर्ष की कैद होगी अथवा मृत्यु दण्ड होगा। वह केवल परिस्थितिवश अपराध कर देता है। मेरा विचार है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव मेरे इस कथन से सहमत होंगे।

हम न्यायाधीशों का आदर करते हैं परन्तु फिर भी कभी-कभी मामलों में गलती हो जाती है। २ अक्तूबर, १९२१ को लंदन के इल्फोर्ड हत्याकांड में, हत्यारे तथा मृत व्यक्ति की पत्नी को फांसी दी गई। परन्तु यह कोई नहीं जानता था कि उसकी पत्नी को किस लिये फांसी दी गई जबकि वह इसके लिये उत्तरदायी नहीं थी।

म रघुवीर सहाय के संशोधन का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक जनता की राय जानने के लिये राज्यों में परिचालित करना चाहिये। मेरा विचार है कि प्रयोग के लिये कुछ राज्य इसको समाप्त करें।

इंग्लैंड में लोग मृत्यु दण्ड पाना चाहते हैं क्योंकि इस प्रकार उन्हें न्यायालयों में अपील करने का अवसर मिलता है। पोलैंड में १९५५ में इस प्रश्न पर बड़ी चर्चा हुई थी तथा अन्त में उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। लंका ने भी तीन वर्ष के लिये इसको समाप्त कर दिया है इसलिये हमें भी उचित कदम उठाना चाहिये।

श्री दातार ने बताया कि भारत में प्रति वर्ष ९,००० हत्यायें होती हैं इसलिये हम मृत्यु दण्ड किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं। परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या मृत्यु दण्ड समाप्त करके भी यह संख्या यहीं रहती है। यह कहना एकदम गलत है कि मृत्यु के भय से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं मारेगा।

आप महात्मा गांधी के सम्बन्ध में कहते हैं। उनका सिद्धान्त था 'मानव का देवत्व' जो कि हिन्दू सभ्यता का मुख्य सिद्धान्त है। क्या मृत्यु दंड इस सिद्धान्त के विपरीत नहीं है। जान के लिये जान का सिद्धान्त बड़ा पुराना तथा क्रूर है। इस सिद्धान्त का परित्याग करना चाहिये तथा भारतीय सिद्धान्त अर्थात् हिन्दू सिद्धान्त के अनुसार कार्य करना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस समस्या के सम्बन्ध में कोई अन्तिम बात कहना आसान नहीं है। इसलिये हमें उच्च न्यायालयों, विधि जीवी संघों तथा अन्य संस्थाओं की राय जाननी चाहिये। मैं श्री पाटस्कर से निवेदन करूंगा कि वह एक सुधारक बनें तथा विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : इस विधेयक के प्रस्तावक ने दया भावना से प्रेरित होकर इसे रखा है। परन्तु यह बड़ा ही क्रूर विधेयक है। क्योंकि इससे हत्यारे बच जायेंगे और जीवन, स्वतन्त्रता तथा मान संकट में पड़ जायेंगे। मेरा विचार था कि प्रस्तावक महोदय धारा ३६७ के संशोधन से संतुष्ट हो जायेंगे। संशोधन यह किया गया था कि यदि कोई न्यायाधीश मृत्यु दण्ड न देकर अन्य दण्ड

†मूल अंग्रेजी में।

देता है तो उसको प्राण दण्ड न देने के कारण बताने पड़ेंगे। परन्तु अब यह उपबन्ध नहीं रहा। इसलिये अब हमें सब न्यायाधीश पर छोड़ देना चाहिये कि वह इसका निर्णय करें।

मैं श्री चटर्जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब वे न्यायाधीश थे, क्या उन्होंने अपने कार्य काल में सर्वदा मृत्यु दण्ड को कारावास के दण्ड में बदला है या कि आज जो कुछ वे कह रहे हैं, उन्होंने स्वयं नहीं किया है। उन्होंने बताया है कि बेल्जियम तथा हालैंड में मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया गया है। जब वह यह बता रहे थे तब मैं उनसे पूछना चाहता था कि वहां औसतन कितनी हत्यायें होती हैं।

इंग्लैंड को ले लीजिये। हाउस आफ कामन्स ने यह निश्चित किया कि मृत्यु दण्ड समाप्त हो जाना चाहिये परन्तु हाउस आफ लार्ड्स ने इस निश्चय को ठुकरा दिया। इंग्लैंड में ६ करोड़ की आबादी में केवल १५० हत्यायें होती हैं। मेरे देश में मेरे विचार से १५,००० हत्यायें होती हैं परन्तु मैं पूर्व वक्ता के आंकड़े ९,००० स्वीकार करता हूं और पाता हूं कि हमारे देश में इंग्लैंड से ६० गुनी अधिक हत्यायें होती हैं।

हमारे फीरोजपुर जिले में प्रतिदिन एक व्यक्ति मारा जाता है और यदि इन हत्यारों को फांसी न दी जाये तो यह सरकारी मेहमान बनकर जेलों में रहेंगे और करदाताओं पर भार बनेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि आजीवन कारावास केवल ६, ७ अथवा १० वर्ष का कारावास होता है। यदि मृत्यु दण्ड का यही परिणाम होगा तो लोग हत्या करेंगे तथा ६, ७ वर्ष तक जेलों में विश्राम करेंगे। मेरा तो विचार है कि यदि व्यक्तियों को भयाक्रान्त करना है तो न्याय शास्त्र में इसको रखना आवश्यक है। इसलिये दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित रूप में १० वर्ष तक देखना चाहिये तथा उसका प्रभाव देखना चाहिये।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब किसी ने कहा कि मृत्यु दण्ड से लोगों को डर नहीं लगता। आप आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में क्या होता है इस आधार पर इसकी जांच करें। कोई डाका डालने जाता है तथा यह जानता है कि वह सम्पत्ति लूटने जा रहा है। किन्तु यदि मृत्यु दण्ड का भय न हो, तो इस देश में प्रत्येक डकैती और लूटमार के साथ खून भी होंगे। यदि डाकू लोग केवल माल मत्ता लूटकर रह जाते हैं और हत्यायें नहीं करते तो इसी कारण कि उन्हें यह मालूम रहता है कि उन्हें फांसी के तख्ते पर लटकना पड़ेगा। जैसे कि श्री चटर्जी ने बताया कि अमेरिका में लोगों ने मृत्यु दण्ड समाप्त कर अपनी गलती महसूस की और फिर उसे लागू किया। ऐसी स्थिति में यह कहने से कोई लाभ नहीं कि बुद्ध, महात्मा गांधी, और महाबीर के देश में मृत्यु दण्ड हटा दिया जाना चाहिये। यह याद रखना होगा कि इसी देश में प्रति वर्ष ९ हजार हत्यायें होती हैं और दया तथा शांति के दूत को एक हत्यारे के हाथ ही मरना पड़ा। मैं नहीं जानता कि किन भावनाओं के कारण माननीय सदस्य हत्यारों का पक्ष ले रहे हैं और उनका बचाव कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि वह दया और न्याय नहीं बल्कि उसके विपरीत बात है। मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं श्री मुकन्द लाल अग्रवाल को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे मजमून को इस बिल के अन्दर लाकर हाउस के सामने रखा है जो निहायत जरूरी था और जो डिबेटेबुल (वाद-विवाद के योग्य) भी है। मैंने दो बड़े जोर की तकरीरें सुनीं, एक तो इधर हमारे श्री चटर्जी की और दूसरी श्री टेक चन्द की। जब मैं इन दो तकरीरों को अपने दिमाग में लाता हूं और इनके रीजन्स (तर्कों) को सोचता हूं तो मुझ को डर लगता है कि क्या मैं सही नतीजे पर पहुंच सकूंगा या नहीं। इसी वास्ते मैं कहता हूं कि वकीलों में जो बड़े ओरेटर्स (वक्ता) हैं उनकी बाबत यह समझ लेना चाहिये कि वह जहां इंसाफ पसन्दी से काम लेते हैं और हमको ठीक गाइडिएंस (मार्ग-दर्शन) देते हैं वहां अगर यह किसी खास मजमून के पीछे पड़ जायें तो वे अपने नतीजे हम पर ठूंसने के लिये ऐसे आर्गुमेंट्स (तर्क) देते

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हैं कि वह हमारे जजमेंट का प्रीजुडिस (निर्णय को प्रतिकूल) कर देते हैं। हमको तो वही तरीका अख्तियार करना चाहिये कि न हम इस एक्सट्रीम (सीमा) को देखें और न उस एक्सट्रीम को देखें बल्कि जो हमारा इंडिपेंडेंट जजमेंट (स्वतन्त्र निर्णय) इस बारे में निकले उसको हम मानें। मैं उसी नुक्ते निगाह से जनाब वाला की खिदमत में पहले उन चन्द एक आर्गुमेंट्स का जिक्र करूंगा जो बड़े जोर शोर के साथ उन लोगों ने दिये हैं जो चाहते हैं कि इसका एबौलिशन (समाप्ति) हो जाये और इसमें कमी हो। अब जो लोग इसमें तब्दीली करना चाहते हैं, बर्डन (दायित्व) उन पर है कि हमारे दिलों को वह तबदील करें और उनकी दलील और उनके आर्गुमेंट्स इतने मुकम्मिल हों जिनसे कि हम कनविंस (विश्वास) हो जायें कि वह जो फरमाते हैं वह ठीक है।

(१) पहली तजवीज उनकी यह है कि बहुत से मुल्कों में यह कैप्टिल पनिशमेंट (मृत्युदंड) एबौलिश (समाप्त) हो रहा है। (२) दूसरी चीज वह यह कहते हैं कि उसका एफैक्ट (प्रभाव) डिटरैंट (भयोत्पादक) नहीं होता है, जिसको फांसी देते हैं उस पर डिटरैंट एफैक्ट नहीं होगा, दूसरे लोगों पर डिटरैंट एफैक्ट नहीं होता। बहुत से मुल्कों में जहां यह मौजूद हैं जहां पर यह कैप्टिल पनिशमेंट होता है वहां पर जरायम (अपराध) में कोई कमी नहीं हुई और उन मुल्कों से जो स्टैटिस्टिक्स (आंकड़े) मिलते हैं उनसे साबित नहीं होता कि कैपिटल पनिशमेंट से डिक्रीज इन क्राईम (अपराध में कमी) होती है। जिन जगहों पर इनको बन्द किया गया वहां पर से ऐसे स्टैटिस्टिक्स भी मिले हैं कि जिनसे साबित होता है कि डिक्रीज इन क्राइम हो गई है। (३) एक आर्गुमेंट (तर्क) उनका यह है कि जो शख्स मार दिया जाता है और चूंकि वह मर जाता है और हमारे पास यह चांस (मौका) नहीं है कि जो आज के दिन सही उसूल (सिद्धान्त) समझा जाता है कि जुर्म करने वाला मुजरिम दरअसल इस संसार में नहीं है जिसमें कि हम समझते हैं बल्कि उसका माइंड (दिमाग) डिसीज्ड (दूषित) हो जाता है और उसका ठीक से इलाज करके और अच्छे एनफुलेंसेंज (प्रभाव) कायम करके उसकी आयन्दा जिन्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है, उस चांस से हम महरूम (वंचित) हो जाते हैं। (४) चौथा आर्गुमेंट उनका यह है कि दरअसल हियुमन इंस्टिट्यूशन (मानव) इतना कमजोर है कि बहुत दफा इसमें गलती का इमकान (संभावना) है और कितनी दफा ऐसा हुआ कि एक आदमी को फांसी का हुक्म हो गया और फांसी के हुक्म के बाद एक ऐक्यूज्ड अदालत के सामने आकर पेश हो गया और कहने लगा कि खतावार (अपराधी) मैं हूं और मैंने मारा है और यह चीज साबित हो गयी कि वह शख्स बिलकुल बेगुनाह था जिसको कि पहले फांसी की सजा दी गई .....

†**श्री टेक चन्द** : कितनी बार ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अक्सर। मैं अनेक मामले बता सकता हूं जब कि ऐसा किया गया है और ऐसी बातें जाहिर हुई हैं। हमारे राष्ट्रपति जी ने एक ऐसे शख्स को जिसको फांसी का हुक्म था हमारे रिप्रेजेंटेशन (अभ्यावेदन) पर उसको पार्डन (क्षमा) कर दिया। एक ऐसा केस मैं जानता हूं जिसमें कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का हुक्म पहुंचा कि फलां शख्स को फांसी न दी जाये लेकिन उसको दस मिनट पहले फांसी दे दी गई। कितने ही केसेज़ मैं जनाब के सामने अर्ज कर सकता हूं जिनके कि अन्दर ऐसे आदमियों को जो दरअसल इस जुर्म के गुनाहगार नहीं थे उनको फांसी की सजा हुई और मैं उनकी मिसालें दे सकता हूं। मेरे लायक दोस्त का इंटरपशन (अन्तर्बाधा) भी वाजिब है और मैं समझता हूं कि इस ४७, ४८ वर्ष के मेरे जमाने वकालत में जिसमें मैंने तकरीबन एक हजार केसेज़ किये होंगे पांच-सात केसेज ऐसे होंगे, इसलिये यह कहना गलत है कि ऐसे केसेज़ नहीं हैं या तादाद में बहुत काफी हैं। हियुमन जजमेंट (मानवीय निर्णय) बिलकुल फौलेबुल (भूलचूक के योग्य) है और उसमें बहुत गलतियां

†मूल अंग्रेजी में।

हो सकती हैं। (६) उनका छठा आर्गुमेंट यह है कि जिस शख्स को फांसी दी जाती है उसके रिश्तेदारों को बड़ी तकलीफ होती है, उसको खुद को छोड़ दें लेकिन रिश्तेदारों को बड़ी तकलीफ होती है। (७) वह यह भी आर्गुमेंट देते हैं कि रैट्रिब्यूशन (बदला) किसी मजहब (धर्म) का उसूल (सिद्धान्त) नहीं है। महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह और दूसरे बुजुर्गों की नसीहत (उपदेश) चली आई है कि मनुष्य मात्र के साथ दया का बर्ताव करो, मर्सी (दया) करो और किसी की जान मत लो और जान का लेना एक बारबरस ऐक्ट (असभ्य अधिनियम) है।

मुझे श्री मुकन्द लाल जी के यह छः सात आर्गुमेंट मालूम हुए। मुझे पता नहीं कि उनका कोई और आर्गुमेंट है या नहीं, लेकिन जब मैं ने उनकी स्पीच (भाषण) पढ़ी और यहां पर तकरीरें सुनीं तो मुझे सिर्फ इतने ही आर्गुमेंट मालूम हुए। जिन आर्गुमेंट्स में मुझे कुछ वजन मालूम होता है, उनके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक सवाल है कि दूसरे मुल्कों में क्या यह चीज रायज (ठीक) है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उनकी स्पीच पढ़ने के बाद मैं यह नतीजा नहीं निकाल सका कि चूंकि बहुत से मुल्कों ने इस चीज को बन्द कर दिया, और वाजिब तौर पर बन्द कर दिया, इसलिये हमको उनके पीछे चलना चाहिये। मैं उन मुल्कों की मिसालों का ज्यादा वजन देता हूं जिन्होंने एक दफा इसको बन्द कर दिया और कुछ अर्से के बाद उसे फिर जारी कर दिया। उन्होंने तजुर्बा करके देख लिया और फिर जारी कर दिया। लेकिन जैसा चटर्जी साहब फरमाते हैं कि एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) करके देख लो। मैं कह सकता हूं कि अगर एक्सपेरिमेंट कर के देखा गया कुछ अर्से के लिये तो **देयर विल बी ए स्पेट आफ मर्डर्स** (हत्याओं की एक बाढ़ आ जायेगी) इसमें मुझे कोई शुबहा नहीं है। श्री टेक चन्द जी ने जिस ढंग से पेश किया उस के अन्दर मुझे सच्चाई मालूम पड़ती है। आप कुछ दिनों के लिये काम बन्द करके देख लें, मर्डर्स (हत्याओं) की तादाद (संख्या) बढ़ जायेगी, आप हमेशा के लिये बन्द कर दें तो तादाद बढ़ेगी या नहीं, मालूम नहीं, लेकिन कुछ अर्से के लिये ऐसा करने का असर अच्छा नहीं होगा। मेरी राय यह है कि बहुत से मुल्कों ने बन्द नहीं किया है, और जो मुल्क बन्द कर देते हैं, हमें आंख बन्द कर के उनकी तकलीद (अनुकरण) नहीं करनी है। हमको अपने मुल्क के हालात को देखना है, अपने मुल्क के हालात को देख कर ठीक रास्ते का फैसला करना है। अगर सब मुल्क इसे बन्द कर देते तो मैं सब मुल्कों का साथ देना पसन्द करता, लेकिन अब भी यह चीज डाउटफुल (संदेहास्पद) है कि किन मुल्कों ने इसको जरूरी समझा है और किन्होंने नहीं। इसलिये आर्गूमेंट अपील नहीं करता कि चूंकि और चन्द मुल्कों में यह चीज नहीं है इसलिये हमें नहीं करना चाहिये।

दूसरा इम्पार्टेंट आर्गुमेंट (महत्वपूर्ण तर्क) और सब से बड़ा आर्गुमेंट जो है उसमें दो बातें हैं, एक तो **डिटरेंस** (भय) की और दूसरी **इन्फैलिबिलटी आफ जजमेंट** की (निर्णय गलत न होने की)। मैं जानता हूं कि गलती इन्सान से ही होती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस केपिटल पनिशमेंट (मृत्यु-दण्ड) वाले जितने भारी जरायम (अपराध) होते हैं, उनमें कितनी गलती होती है। मैं हर एक सजा के लिये तो नहीं कह सकता, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट के लिये कह सकता हूं कि मुकाबलतन दीगर जरायम के फिल वाकया कैपिटल पनिशमेंट के बारे में कम गलती होती है। इसमें शुबहे का फायदा दिया जाता है। अभी चैटर्जी साहब ने मिसाल दी कि लोग चाहते थे कि अगर केपिटल पनिशमेंट वाले जुर्म में चालान हो जावे ताकि बरी हो जावें तो यह बात सही है अगर बहुत सख्त सजा कायम कर दी जाये किसी जुर्म की, तो नतीजा यह होता है कि जज ख्याल करता है कि उसकी बाबत ख्याल यह होता है कि चूंकि इस जुर्म की सजा बहुत सख्त है, इसलिए मुलजिम को छोड़ दिया जाये। इसलिए बहुत सख्त सजा का मुकर्रर कर देना अपने परपज को ही डिफीट (उद्देश्य को विफल) कर देता है। हमें जुर्म की नवैयत (प्रकार) को देख कर ही सजा कायम करनी चाहिये। यह उसूल ठीक है। मैं जानता हूं कि कितने ही केसेज में ऐसा हुआ है कि बेगुनाह आदमी को फिल वाकया फांसी की सजा का हुक्म हो गया। मैंने

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

एक ताजा मिसाल श्री दातार साहब के रूबरू पेश की और रिकार्ड की बिना पर अर्ज किया कि इस केस में बेगुनाह आदमी को सजा हुई हैं। उसको उन्होंने कम्यूट कर (बदल) दिया। एक केस में एक आदमी को फांसी का हुक्म हो गया, डाकू गए और लोगों को मार आए। जहां का वह रहने वाला था वहां के लोगों को, जिनमें एक कांग्रेसमैन पंडित नेकी राम मरहूम भी थे, पता चला कि वह बेगुनाह है। उन्होंने तहकीकात कराई। तहकीकात के बाद, जिस आदमी को फांसी का हुक्म हुआ था, उसका भाई गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने डाका डाला था और कत्ल किया था। उसने जेल में इकबाल किया कि जुर्म तो मैंने किया है, मेरे भाई ने नहीं, वह गांव के बाहर ही नहीं गया। इस सब का नतीजा यह हुआ कि इसकी तहकीकात हुई, १२ गांव की पंचायत हुई, जिसमें तय पाया गया कि जिसको सजा का हुक्म हुआ वह बेगुनाह है। सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भेजी। मैं बहुत सी मिसालें इस तरह की दे सकता हूं। अगर इन्सान का जजमेंट (निर्णय) इन्फैलिबल (भूल चूक न होने वाला) होता तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि सजा दें या छोड़ दें। ह्यूमन जजमेंट के पास ऐसा इन्स्ट्रूमेंट (साधन) नहीं है, कोई तरीका हमारे पास नहीं है, सिवा इन कोर्ट्स के जरिये मालूम करने का, अगर जुर्म को मालूम करने का कोई तरीका बन जाये, जैसे कि साइकालोजिस्ट (मनोवैज्ञानिक) वगैरह क्लेम (दावा) करते हैं, तो बात दूसरी है, वर्ना जब तक मौजूदा तरीका चलता है, जब तक कोर्टस कायम हैं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है सिवा इसके कि हम इस तरीके को ही कायम रक्खें। अगर आप हर तरह के जरायम के वास्ते मौजूदा तरीके को बदलना चाहते हों तो इसको भी छोड़ दें, वर्ना मैं इस आर्गूमेंट को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस बिना (आधार) पर कैपिटल पनिशमेंट हटा दिया जाय। मैं इस चीज को मानता हूं कि रेअर केसेज (क्वचित् मामलों) में फांसी की सजा होनी चाहिये, क्योंकि इन्सान के जजमेंट में हमेशा ही सर्टेन्टी (निश्चितता) नहीं हो सकती। इसलिये इस सजा को उन केसेज के लिये ही होना चाहिये जिसमें सर्टेन्टी हो। जनाब को मालूम है कि मर्डर केसेज के वास्ते बात कही गई है :

"अपराध जितना ही अधिक गलत हो उतनी ही अच्छी साक्ष्य होनी चाहिये।"

और क्या कहते हैं? जिस मामले के अन्दर बड़ा जुर्म हुआ हो, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) और जूरिस्प्रडेंस (विधिशास्त्र) कहते हैं कि मुजरिम को बेनिफिट आफ डाउट (सन्देह लाभ) दो, सजा न हो। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई कत्ल या डाके का मामला हो जाता है और उसमें डाउट (सन्देह) हो सकता है तो सारा जजमेंट गलत होता है और इसलिये कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहिये मैं इस आर्गूमेंट को कंक्लूसिव (निर्णयात्मक) नहीं समझता। मैं तो इसका यह नतीजा देखता हूं कि हम निहायत एहतियात से काम लें, जिस में किसी बेगुनाह को सजा न हो जाय। मैं इस चीज के माने यह नहीं समझ सकता कि सारे जजमेंट्स को और कोर्ट्स को ही कंडेम (रद्दी) कर दिया जाय।

अब सवाल डिटरेंस (भय) का है और यह इतना जरूरी है कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ स्टेट्स और हमारी गवर्नमेंट ही इस चीज का फैसला न करे। सारे कंट्री (देश) के सामने यह बिल जाना चाहिए। हर एक आदमी के मुताल्लिक यह चीज है। हर एक बार एसोसियेशन (वकील संघ), हर एक जज और हर एक मामूली आदमी अपनी राय इसके मुताल्लिक दे सकता है कि आया डिटरेंस होता है या नहीं और इसका असर सोसायटी (समाज) पर क्या होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप डिटरेंट के सवाल को उठायेंगे तो आपको एविडेंस (साक्ष्य) नहीं मिलेगी क्योंकि यह सवाल इस कदर मुश्किल है कि जिसको इन्तहा नहीं है। मैंने अपने दोस्त की तकरीर भी सुनी। मैं डिटरेंस के बारे में अर्ज करूं कि अगर यह चार काजेज (कारणों) की वजह से पैदा होती है तो जब तक आप तीन काजेज को न निकाल दें, चौथे काज को आप कनेक्ट (सम्बद्ध) नहीं कर सकते। कत्ल क्यों हुआ

करता है ? मैं मानने को तैयार हूं कि जब आदमी कत्ल करता है तो पैशन (क्रोध) में होता है, उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहता। वह जो फेल करता है उसके कांसिक्वेंसेज (परिणाम) को पूरी तरह नहीं देखता है। लेकिन यह एक बहुत चौड़ा स्टेटमेंट (कथन) है कि किसी सूरत में जब आदमी फेल करता है तो कांसिक्वेंसेज से डरता नहीं है। मुझे मालूम है कि ८७ परसेन्ट (प्रतिशत) केसेज में लोग मर्डर केसेज में ऐक्विट हो (छूट) जाते हैं। लोगों को यकीन ही नहीं होता कि वह कत्ल करेंगे और श्री टेक चन्द साहब उनको बचा नहीं लेंगे। जब यह सूरत है तो डिटरेंट ऐफेक्ट की बात कहां रही। अगर यह यकीन हो जाये कि इस जुर्म की सजा फांसी है, और कत्ल करने पर वह जरूर मिलेगी तब तो उसका डिटरेंस असर दिखाया जा सकता है। जब आदमी जानता है कि बावजूद कत्ल करन के मैं बच जाऊंगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, वकील कर लूंगा, माफी के लिये जज को तैयार कर लूंगा, गवाही तोड़ने के लिये किसी को पैसा दे दूंगा ऐसी हालत में डिटरेंस पनिशमेंट हो या मामूली क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने बतलाया कि जहां ऐसी सजा नहीं है वहां जुर्म भी नहीं बढ़ा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या पैमाना है कि अगर यह सजा न होती तो यह जुर्म कितना हो जाता ? यह आर्गुमेंट ऐसा नहीं है जिसको हम इस तरह से गोल्डेन स्केल्स (नाजुक पैमाने) पर तोल सकें और पता लगा सकें कि ऐसी सजा डिटरेंट है या नहीं। फिर कहा गया कि डिटरेंस जितनी कम होती है उतना ही लोगों पर असर होता है, उतना ही लोग जुर्म कम करते हैं, इस की वजह से हजारों क्रिमिनल्स (अपराधी) ने इस देश के अन्दर जुर्म करना बन्द कर दिया। अगर ला (विधि) का डर नहीं होता तो सारे कोर्ट्स व पुलिस को बन्द कर दीजिये। इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है कि कोई ज्यादा सजा क्यों पाय। इस बारे में जितनी कठिनाई पाई जाती है, हम पूरी तरह से जानते हैं। अगर इस डिटरेंट न होने की बहस को माना जाय तो सब मशीनरी अदालतों व पुलिस भी बन्द कर दी जायें, फिर देखें क्या होता है। जहां डिटरेंस का सवाल है, इसका हमारे पास कोई डेटा (आंकड़े) नहीं जिसकी वजह से हम इस नतीजे पर पहुंचें कि हमारा ला (विधि) डिटरेंस (भयोत्पादक) का काम करता है या नहीं।

अभी इस हाउस के रूबरू बड़े जोर से महात्माओं की बात कही गई। मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता हूं कि मैं महात्माओं के मुताल्लिक कुछ कह सकूं कि उनकी विउ (लक्ष्य) क्या थी। लेकिन मुझे मालूम है कि महात्मा गांधी की ब्लैसिंग (आशीर्वाद) उन लोगों के लिये थी जो रेडर्स (आक्रमणकारी) का मुकाबला करने के लिये काश्मीर गए थे। मुझे मालूम है कि गीता में कहा गया है :

"परित्राणाय साधूनाम्, विनाशाय च दुष्कृताम्,
धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे।"

दुष्कृत्यों के विनाश के लिए मैं जन्म लेता हूं। जुर्म के लिए साफ्ट हारटेडनेस (सहृदयता) नहीं है। किसी सूरत में हक नहीं है कि कोई आदमी किसी आदमी की जान ले हमारे यहां शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो आउटला लोग (आततायी) हैं उनको मार देना कोई जुर्म नहीं है। यहां मिसाल दी गई यू० पी० के दो लेजिस्लेटरों के कत्ल की। कहा गया कि महात्मा जी के कत्ल करने वाले को उसी वक्त लोग जान से मार डालते। इस वक्त जो कानून है वह यह कि जो लोग किसी को मारते हैं वह फांसी पाने के मुस्तहक (योग्य) हैं, अब क्या यह कर दिया जाये कि अब ट्रांसपोर्टेशन फार लाइफ (आजीवन काला पानी) होगा मर्डर के लिये ताकि ८ साल बाद फिर आकर जुर्म करो।

मैंने अपने जिले के कई केस किए हैं। एक गांव के अन्दर जिसके अन्दर फ्यूड्स (घरेलू झगड़े) थे। अगर एक आदमी को मार दिया गया तो जब तक कि सारे के सारे गेंग (जत्थे) के आदमी खत्म नहीं हुए और दूसरी तरफ के आदमियों को खत्म नहीं किया गया, उस गांव में पीस, (शांति) नहीं हुआ। मैंने ऐसे ऐसे केसेज (मामले) किए हैं जिनमें जो असली मर्डरर (हत्यारा) था वह मेरे पास बैठा हुआ था, मुझे इंस्ट्रक्शंस (हिदायत) दे रहा था, उसका चालान नहीं किया गया किसी दूसरे का ही

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

चलान कर दिया गया। तो मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करता हूं कि जब इस तरह के जराइम होते हैं तो जो डर का थोड़ा बहुत एलिमेंट (तत्व) है उसको हटाना किसी भी नुक्तेनजर से जायज नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई धर्मशास्त्र या कोई हमारा कानून हमें यह कहता हो कि "आई फार एन आई एण्ड टुथ फार ए टुथ" (जैसे को तैसा)। किसी साहब ने कहा कि प्राइवेट रिट्रीब्यूशन (आपसी बदले) के वास्ते अगर ऐसी आर्गुमेंट हो तो शायद इसमें सच्चाई हो। इसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि प्राइवेट रिट्रिब्यूशन का असर यह होगा कि एक खानदान के लोग दूसरे खानदान के लोगों को जिन्दा नहीं रहने देंगे अगर उनके साथ उनको दुश्मनी है। कोर्ट्स और पुलिस का मतलब यही है कि मजलूम आदमी रिट्रिब्यूशन नहीं करता है बल्कि थर्ड परसन (तीसरा व्यक्ति) करता है। तो यह चीज स्टेट के इंटरेस्ट (हित) में है, कि यह प्राइवेट रिट्रिब्यूशन न हो। मैं समझता हूं कि अगर आप इस पनिशमेंट (दण्ड) को हटा देंगे तो आप प्राइवेट रिट्रिब्यूशन को डायरेक्ट इंसेंटिव (प्रत्यक्ष प्रोत्साहन) देंगे। कई केसिस ऐसे हैं जिनके अन्दर खानदानों को ही खत्म कर दिया गया है। अगर किसी को कत्ल किया जाता है उसका जो बेटा है वह इसका बदला लेगा और १२ बरस की मुद्दत खत्म नहीं होती कि कत्ल का बदला ले लिया जाता है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर इस तरह से हुआ है और जिनके बारे में मैं जानता हूं। बाद में वे लोग भले ही छूट जाते हों लेकिन बदला वे अवश्य ले लेते हैं। ऐसी हालत में यह जो धर्मशास्त्रों की आर्गूमेंट दी गई है, इसको मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं।

यह भी कहा जाता है कि जिसने कत्ल किया है, उसके माता पिता ने उसके बीबी बच्चों ने, उसके रिश्तेदारों ने क्या कसूर किया होता है मुजरिम को तो फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है, लेकिन नतोजा यह कि उससे उनका ब्रेडविन्नर (पोषणकर्ता) छीन लिया जाता है। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि बहुत से केसिस में हार्डशिप (कठिनाई) होती है। मैंने एक केस किया है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता और जिसके अन्दर एक बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया था और बेचारी मां जो अपने खाविन्द का कत्ल नहीं चाहती थी क्या कर सकती थी। उसका वह इकलौता बेटा था लेकिन उस पर यह इल्जाम था कि उसने अपने बाप को कत्ल किया है। जज ने जजमेंट दिया कि बाप को बेटे ने कत्ल कर दिया है। अगर मैंने बेटे को फांसी की सजा दी तो उसकी मां है वह इस हुक्म को सुनते ही मर जायेगी और सारे का सारा खानदान वाइप आउट (मिट) हो जायेगा। यह फैसले में लिखा गया है। मैं नहीं जानता कि कहां तक इस तरह का जजमेंट दुरुस्त है लेकिन इसके अन्दर एक चीज जरूर है जिस पर ध्यान रखा जाना चाहिये और वह यह है कि यह जो फांसी की एक्सट्रीम (चरम सीमा) सजा है यह एक्सट्रोम केसिस (चरम सीमा के मामलों) में ही दी जानी चाहिये ? हर एक मर्डर के मामूली से मामूली केस में यह सजा नहीं दी जानी चाहिये।

लेकिन इसके साथ ही साथ मैं पूछना चाहता हूं कि रिलिजस फैनेटिसिज्म (धर्मान्धता) की वजह से एक आदमी दूसरे को मार दे और आप उसको छोड़ दें तो इसका क्या असर होगा। इसका असर यह होगा कि जो दूसरे रिलिजस (धर्म) के आदमी हैं वे जाकर उस रिलिजन को मानने वाले आदमियों पर हमला कर देंगे और इसका जो नतीजा निकलेगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो एक बात है कि जो इनकोरिजिबल (जिनका सुधार नहीं हो सकता) है और जिनके बारे में आप जानते हैं कि जेल से जाते ही वे दूसरा जुर्म कर देंगे, उनको जिन्दा रखने में कौन सा मारल प्रिंसिपल (नैतिक सिद्धान्त) है जिसको वजह से आप उनको जिन्दा रखना चाहते हैं। अगर आपने आततायी को जिन्दा रखा तो जो आततायी का डेफिनिशन (परिभाषा) है वही खत्म हो जायेगी। आततायी को मारना, आउटला को मारना कोई जुर्म नहीं है।

जब आप यह कहते हैं कि जिसने कत्ल किया है उसके रिश्तेदारों को तकलीफ होगी तो मैं आपकी तवज्जह ो मकतूल है उसके रिश्तेदारों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जिनके रोटी कमाने वाले को

कत्ल कर दिया गया है। तो आपको ह्यूमन नेचर (मानव प्रकृति) को भी देखना होगा और दोनों को एक स्केल (तराजू) के अन्दर वे (तोल) करना पड़ेगा। आपको एकतरफा फैसला नहीं दे देना चाहिये, आपको दूसरे पहलू पर भी गौर करना चाहिये। जिस खानदान के आदमी को कत्ल कर दिया गया है वह खानदान कभी भी यह नहीं चाहता है कि वह आदमी जिन्दा रहे और वह जिन्दा रह भी नहीं सकता है। मैंने देखा है कि जब एक आदमी किसी दूसरे घर के सामने से गुजरता है जहां पर रहने वाले को उसने कत्ल कर दिया है तो वह एक खंगूरा मारता है और खांसता है। तो जब वह खंगूरा मारता है तो जिस खानदान के घर के सामने वह खंगूरा मारता है तो उस खानदान वालों को जो चोट एक तलवार के चलाने से लग सकती है उससे भी ज्यादा चोट लगती है। उसी दिन या उसी रात को वे लोग उसके घर पहुंच जाते हैं और जब तक उसको खत्म नहीं कर देते चैन की सांस नहीं लेते। कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह से खंगूरे उसके मकान के सामने कोई मारे। यही चीज मैंने दूसरी जगह भी देखी है ....

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरी जगह शायद बरदाश्त कर लिया जाता हो लेकिन पंजाब में नहीं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने यू० पी० में देखा है और वहां भी केसिस किये हैं। वहां पर भी इस चीज को बरदाश्त नहीं किया जाता है। वे लोग भी पंजाब के रहने वाले लोगों की तरह इस चीज को बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। यू० पी० में खंगूरा वही असर रखता है जो वह पंजाब में रखता है। यही हाल राजस्थान वालों का है। वहां पर रोज डाके पड़ते हैं, रोज मर्डर (खून) होते हैं। मैं बाकी जगहों के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं।

तो जहां पर इस तरह से मर्डर होते हैं उन इलाकों के लिये क्या आप कह सकते हैं कि यह जो डिटरेंट पनिशमेंट (भयोत्पादक दण्ड) है इसे हटा दिया जाना चाहिये। मैं अदब से अर्ज करता हूं कि यह पंजाब या यू० पी० का सवाल नहीं है। इस चीज को तोलने और देखने का सवाल है। तो जितना वजन इस सजा को हटाने के बारे में दिखलाने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूं कि इसमें उतना वजन नहीं है।

एक के बाद दूसरी आर्गुमेंट को मैंने लिया है और सब को मैं समझता हूं, मैंने डिसपोज आफ कर (निबटा) दिया है। अगर कोई रह गई हो तो मुझे मालूम नहीं है।

जो दलीलें दी गई हैं उनमें मेरी समझ में इतना वजन नहीं है कि इस पनिशमेंट को ही हटा दिया जाय। श्री टेकचन्द जी ने अभी कहा कि दफा ३६७ को चेंज कर (बदल) दिया गया है और अब इस बात का बोझ सेसन जज पर नहीं रह गया है कि वह बताये कि क्यों सजा फांसी नहीं दी गई। मैं इससे भी आगे जाता हूं। उन केसिस में जो प्योरली (विशुद्धतः) ३०२ के हों, उनमें अगर फांसी दी जाय तो यह जज के ऊपर बर्डन (दायित्व) डाल दिया जाये कि वह लिखे कि क्यों फांसी का हुक्म दिया जाता है। अगर और भी करना चाहते हैं तो यह कर सकते हैं कि वह यह बताये कि क्यों फांसी की सजा के सिवाय कोई दूसरी सजा वाजिब नहीं है। अगर यह बर्डन आप उस पर डाल देंगे तो मैं समझता हूं कि इस तरह के केसिस की तादाद और कम हो जायेगी। लेकिन अगर आपने इस सजा को बिलकुल ही बन्द कर दिया तो मैं समझता हूं कि जिस तरह के हमारे यहां हालात हैं जिस तरह की रवायात चली आ रही हैं, जिस तरह से हम जजवात में खेल जाते हैं और कैसे काम कर बैठते हैं, यह ठीक नहीं होगा। आप जानते ही हैं कि ३०२ मौजूद है, ३०४ मौजूद है, ३०४ (ए) मौजूद है, ३०२ में डिस्क्रिशन मौजूद है रिप्रीव (दण्ड को स्थगित करना) का कानून मौजूद है, पार्डन (क्षमा) का कानून मौजूद है, राइट आफ सैल्फ डिफेंस (आत्म रक्षाका अधिकार) का कानून मौजूद है, एक्सीडेंट (दुर्घटना) का कानून मौजूद है, इन सब चीजों के होते हुए इतने रैरेस्ट (बिरले) केस होते हैं जिनके अन्दर फांसी की सजा होती है या फांसी का हुक्म सुनाया जाता है। रैरेस्ट केसिस के अन्दर भी हम जानते हैं कितनों में रिप्रीव हो जाता है और कितनों में क्या कुछ हो जाता है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

यहां पर यह भी कहा गया कि इसमें आबादी को घटाने की भी बात है। मैं पूछता हूं कि एक साल में कितने ऐसे केसिस होते हैं जिनमें फांसी की सजा होती है। इन केसिस में ज्यादा नहीं तो मैं समझता हूं कि ८० परसेंट तो जस्टीफाएबल (समर्थनीय) भी होते होंगे अगर ९९ परसेंट नहीं तो।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रैरेस्ट केसिस में ही पनिशमेंट आफ डेथ (मृत्यु दण्ड) रखा जाये लेकिन इसको एबालिश करना लीगली जायज (विधि की दृष्टि से उचित) नहीं होगा, पोलिटिकली (राजनीतिक दृष्टि से) जायज नहीं होगा और न ही मारल प्वाइंट आफ व्यू से (नैतिक दृष्टि से) जायज होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सरदार इक़बाल सिंह।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि अभी तक मैंने पंजाब वालों को ही बुलाया, दूसरों को नहीं बुलाया है। इस वास्ते आप ब्रीफ (संक्षेप में) कहिये।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ—मध्य) : इस बिल पर बोलने की इजाजत स्त्रियों को भी मिलनी चाहिये। आप अभी तक केवल वकीलों को ही बुलाते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से तो इस बिल के साथ स्त्रियों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : सम्बन्ध क्यों नहीं है, सब का सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, आपको भी बोलने का अवसर दे दिया जायेगा।

सरदार इक़बाल सिंह (फाजिल्का—सिरसा) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इससे पहले जो आनरेबुल मेम्बर्ज (माननीय सदस्य) बोले हैं, वे बहुत बड़े वकील हैं और उन्होंने आपके सामने एक वकील का नुक्ता-ए-नजर (दृष्टिकोण) रखा है और दोनो तरफ से बड़े-बड़े आर्गुमेंट्स (तर्क) दिये गए। इस सिलसिले में मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, वह एक इन्सान के नाते कहना चाहता हूं।

मैं उस इलाके का रहने वाला हूं, जिसमें मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा कत्ल होते हैं। एक दिन में एक कत्ल तो वहां की औसत है। हमारे डिस्ट्रिक्ट (जिले) में यह तादाद शायद बढ़ तो जाती हो, लेकिन कम नहीं होती है। जो भाई कहते हैं कि फांसी की सजा को हटा देने से इस देश में कुछ सुधार हो सकेगा, वे शायद कातिल की मैन्टेलिटी (विचारधारा) को बिल्कुल नहीं समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में एक गांव में एक खानदान के अठारह आदमी कत्ल किये गये और दूसरे के बारह और पिछले बीस साल से यह सिलसिला जारी है और वह इसलिये कि आज तक उस गांव में कोई आदमी सजा नहीं पा सका है। एक गांव में यह तरीका बना हुआ है कि जो आदमी किसी को कत्ल करता है, वह उसके सिर को काट कर ले जायगा और उसके घर के सामने जा कर खुले तौर पर कहेगा कि हमने यह कत्ल किया है। ऐसा इसलिये होता रहा है कि आज तक उन लोगों का एक भी आदमी फांसी पर नहीं चढ़ा है। हमारे दोस्त श्री अग्रवाल कहते हैं कि फांसी की सजा कोई डेटेरेंट (भयोत्पादक) नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर किसी गांव में एक भी फांसी हो गई, तो उस गांव में कत्ल कम हो गए, उस खानदान में कम हो गए। इसकी वजह यह है कि जिस खानदान के किसी आदमी को कत्ल किया जाता है और बाद में कातिल को फांसी की सजा हो जाती है, तो उस खानदान के लोग समझते हैं कि अगर हम अपने आदमी के कत्ल का बदला नहीं ले सके, तो सरकार ने तो बदला ले लिया है। इस तरह उन लोगों को कुछ तसल्ली सी हो जाती है। लेकिन जिस केस में कातिल को सजा नहीं होती है, वहां जिस शख्स को कत्ल किया गया था, उसका लड़का, उसका भाई, उस वक्त तक चैन नहीं लेते, जब तक कि वे बदला न ले लें।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर जिस माहौल में बैठ कर हम बातें कर रहे हैं और आर्गुमेंट्स पेश कर रहे हैं, वह गांवों के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ (भिन्न) है। जिस ढंग से हम लोग

सोचते हैं, गांवों के लोग उस ढंग से नहीं सोचते हैं । वहां पर जिस खानदान का कोई शख्स किसी से कत्ल किया जाता है, उस खानदान के लोगों को दूसरे आदमी उकसाते हैं कि तुम्हारे घर के आदमी को—तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को या लड़के को—फलां शख्स ने मार डाला है और उसको सजा नहीं मिली है, जब तक तुम उसको नहीं मारोगे, तुमको यहां इन्सान कहने वाला कोई नहीं है । इस तरह के सर्कमस्टांसिज (परिस्थितियों) में वह लोग बदले के तौर पर एक और कत्ल करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिस का नतीजा यह होता है कि यह सिलसिला खत्म होने को नहीं आता ।

यहां पर कहा गया है कि फांसी की सजा को हटा कर उसकी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन फार लाइफ (आजीवन कालापानी) की सजा रख दी जाय । पंजाब में मर्डरर (खूनी) कहते हैं कि हम नानके—ननिहाल—चले हैं, जब कि जेल जाने की बात होती है । वे लोग कहते हैं कि हमारे घर में न बिजली है और न पंखे हैं, लेकिन फिरोजपुर जेल सैंट्रल में बिजली भी है और पंखे भी हैं—वह तो हमारे घर से ज्यादा अच्छी जगह है, क्यों न हम अपने आदमी के कत्ल का बदला भी ले लें और फिर आराम से वहां रहेंगे । इसलिये इस किस्म के लोगों के लिये जेल या कैद की बात कोई माने नहीं रखती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बहुत देर तक कोशिश करके ये रियायतें जेल के कैदियों के लिये हासिल की थीं । क्या अब आप उनको पंजाब से दूर करना चाहते हैं ?

सरदार इक़बाल सिंह : जनाब, मैं उन रियायतों को वापिस नहीं लेना चाहता हूं । मैं तो सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि जेल में कैद की सजा कोई डेटेरेंट इफैक्ट नहीं पैदा कर सकती है । जेल फांसी का इवजाना (स्थानापन्न) नहीं बन सकता है । यह एक हकीकत है कि जिस गांव में, जिस खानदान में कातिलों को फांसी की सजा नहीं दी गई, वहां कत्ल बन्द नहीं हुए । मैं इस तरह की कई मिसालें आपके सामने पेश कर सकता हूं ।

१९४७ में पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हर एक कत्ल करने वाले को फांसी के बजाय माफ करके बीस साल की कैद की सजा दे दी । इसका नतीजा यह हुआ कि पहले साल में तीन सौ मर्डर (खून) होते थे, अगले साल ५५० मर्डर हो गए । लोगों ने सोचा कि पांच साल की क्या बात है, फांसी तो होगी नहीं, बाद में दूसरे को मारेंगे ।

यहां पर मारैलिटी (नैतिकता) की बात भी की गई है । पंजाब के एक केस का जिक्र मेरे मोहतरिम बुजुर्ग, पंडित ठाकुर दास भार्गव, ने किया कि बारह कत्ल ऐसे हुए जहां बेटों ने अपने बापों को मारा । बेटे और बाप के रिश्ते पर इन्सानियत मुबनी (आधारित) होती है, लेकिन उन केसिज में इन्सानियत के स्ट्रक्चर (ढांचे) को खत्म करने की कोशिश की गई और उस इलाके के मुताल्लिक यहां पर मारैलिटी की बात कही जाती है । इस के अलावा नौ कैसिज ऐसे हुए, जहां पर बापों ने बेटों को मारा और छः केसिस ऐसे हुए, जहां पर खाविन्दों ने बीबियों को मारा । यह कहना बिल्कुल गलत है कि फांसी की सजा खत्म करने से कत्ल के जुर्म कम हो जायेंगे । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कत्ल वहां ज्यादा होते हैं, उनका सिलसिला वहां खत्म होने को नहीं आता है, जहां कि कातिलों को फांसी नहीं मिलती है । आदर्श के साथ ही साथ हम को प्रैक्टिकल (व्यावहारिक) पहलू पर भी गौर करना चाहिये । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन इलाकों में हर रोज मर्डर होता है, अगर फांसी की सजा खत्म कर दी जाये, तो वहां कत्लों की तादाद कई गुना बढ़ जायेगी ।

आप इस बात को भी देखें कि डाके के मामले में सात साल की सजा होती है । उसमें माफी नहीं हो सकती है । इसके मुकाबले में कातिल को चौदह साल की सजा होती है, अगर फांसी नहीं होती है, तो नौ साल काटने पड़ते हैं और उसमें भी माफी के बाद सात साल में ही रिहाई हो जाती है । इस हालत में लोग सोचते हैं कि जब डाके और कत्ल में बराबर की सजा होती है, तो फिर हम कत्ल ही क्यों न करें, कत्ल में तो हम ज्यादा बदला ले सकते हैं ।

[सरदार इक़बाल सिंह]

जो मैन्टेलिटी कातिलों के दिलों में काम करती है, उसको देखते हुए और खास तौर पर इसलिये कि पंजाब में अभी ऐसा वायुमंडल नहीं बना है, ऐसी हालत नहीं आई है कि इस बिल को पास किया जाय, मैं अपने तजुर्बे (अनुभव) की बिना (आधार) पर दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से आजकल खानदानों में आपस में दुश्मनियां चलती हैं, अगर फांसी की सजा को खत्म किया गया, तो कत्ल के जुर्म कई गुना ज्यादा हो जायेंगे ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया । मैं इस बिल का घोर विरोध करती हूं । मैं समझती हूं कि अभी हमारे देश की सामाजिक और अनैतिक अवस्था ऐसी नहीं है, न हम इतने सिविलाइज्ड (सभ्य) हो गये हैं कि यहां से मृत्यु-दंड की सजा हटा दी जाय । स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश का वातावरण ऐसा हो गया है, लोग ऐसे निडर हो गये हैं कि स्वतन्त्रता के माने ही उन्होंने—हमारे देशवासियों ने—कानून पर न चलने और मनमानी करने के समझ लिये हैं । हमारे देश में ऐसे क्रिमिनिल-माइंडिड (अपराधी प्रवृत्ति वाले) लोग हो गये हैं, जिनके सामने मनुष्य की जान का कोई मूल्य नहीं है । वे न जेल से डरते हैं और न ही उन्हें सूली से भय है । उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया है । आज हमारे देश में छोटी-छोटी बातों पर बदला लेने के लिये, ईर्ष्या के कारण और रुपये के लालच से हजारों हत्यायें होती हैं । अब तो हमारे देश में पोलीटिक मरडर्ज (राजनैतिक हत्यायें) भी होने लगे हैं । यू० पी० में कई कांग्रेसी भाई इसी प्रकार मारे गये हैं ।

इस परिस्थिति में देश की जनता सहमी हुई है और भयभीत है, मगर हमारी आरक्षी—हिन्दी में पुलिस का नाम आरक्षी रखा गया है—हमारी रक्षा नहीं कर पा रही है और कितने ही हत्यारों का पता नहीं लगा पाई है । अभी चन्द दिन हुए, दिल्ली के चांदनी चौक में बम फटा, सात-आठ आदमी जान से मारे गये और ३३ आदमी घायल हो गये, लेकिन पुलिस अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है । अभी कुछ समय हुआ, अखबारों में छपा था कि अलीगढ़ में एक पोते ने अपनी दादी को गोली का निशाना बनाया । वह रानी आवागढ़ थी । अलीगढ़ में तो ये आये दिन के करिश्मे हैं । मैं पन्द्रह दिन वहां रही । इन १५ दिनों में मैंने वहां तीन कत्ल की वारदातें सुनीं । वहां एक न एक कत्ल रोज हो जाता है । वहां के लोगों का इसका मसावात हो गया है । मुरादाबाद में एक हत्यारे ने ऐसा बदला लिया कि सात आदमियों के एक कुटुम्ब को मय बच्चों के समाप्त कर दिया । अभी कुछ दिन हुए कि अखबार में खबर निकली थी कि हैदराबाद में.....

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे उदाहरण तो बहुत होंगे ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : एक आदमी ने चार आदमियों का कत्ल किया जिन में एक दो बरस का और दूसरा चार बरस का बच्चा था और उनको मारकर उन्हीं के घर के अहाते में उनके शव को जलाया । जिस देश में इस तरह दिन दहाड़े कत्ल होते हों वह इस योग्य नहीं है कि वहां से मृत्यु-दण्ड हटा लिया जाये ।

कहा जाता है कि हत्या करना मनुष्य की एक बीमारी है और जो लोग क्रिमिनल मायंडेड होते हैं वे एक प्रकार के रोगी होते हैं । बहुत खूब । लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि इस रोग को दूर करने वाला डाक्टर है कौन । यह जो बिल संसद् में लाया गया है यह तो उस रोग से भी ज्यादा खतरनाक है । हम इस रोग को अच्छा करने की आजमाइश करने में अपने देश के निरपराध लोगों की जानों से नहीं खेल सकते ।

समाचारपत्रों में आये दिन देश के हर कोने से ऐसे ही हत्याकांडों की खबरें मिलती रहती हैं । हमारे देश की पुलिस भी ऐसी बेबस व लाचार है क्योंकि वह भी डाकुओं और कातिलों के जुर्मों

की शिकार हो रही है। हम मृत्यु दण्ड बन्द करने की बात करते हैं और उधर ये हत्यारे सारे देश में हत्यायें कर रहे हैं। इसका कारण है। आज हमारे देश में सब प्रदेशों से अधिक जेल रिफार्म उत्तर प्रदेश में किये गये हैं जिन से कि कैदियों को जेल में अपने घर से भी ज्यादा आराम मिलता है। मैं आपको बताऊं कि ये जेल क्या है खालाजी के घर हैं जहां कैदियों को हर प्रकार की सुविधा दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्या से विनय करूंगा कि यहां जेल के रिफार्म को वापस लेने का सवाल नहीं है।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : आपने जिस सब्र से इतने और लोगों को जो कि बोले हैं बरदाश्त किया, उसी तरह मुझे भी थोड़ी देर के लिये बरदाश्त कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा जी मैं आपको भी बरदाश्त करूंगा। कहिये।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : उपाध्यक्ष महोदय, इन जेलों में रेडियो हैं, वहां कभी-कभी सिनेमा भी दिखाये जाते हैं, और ड्रामे खेले जाते हैं और त्याहारों पर हलवा पूड़ी और पकवान बना कर उनको दिये जाते हैं। हमारे प्रान्त में ओपिन एअर जेल (खुला जेल) हैं जहां बार्ब्ड वायर (कटीले तार) में कैदियों को रखा जाता है और उनकी पैरोल (कारावकाश) पर अपने घर जाने की छुट्टी दी जाती है। जो काम वे जेलों में करते हैं उसकी उनको मेहनत और मजदूरी दी जाती है। इस तरह से इन कैदियों को जो कि अपराध करके आते हैं रोजगार भी मिल जाता है, जब कि हमारे देश में जो बेचारे निरपराध हैं उनको रोजगार नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर फांसी की सजा नहीं दी जाती तो इसके एवज में बीस बरस की कैद की सजा दी जाती है परन्तु यह २० बरस की सजा छूट मिलने के कारण १५ बरस की या कभी-कभी दस बरस की सजा ही रह जाती है। जब कोई बड़े अफसर जेल में आते हैं तो वे अच्छे आचरण के एवज में कैदियों को साल में चार महीने की या ६ महीने की या आठ महीने की छूट दे देते हैं और इस तरह से उनकी सजा बहुत कम रह जाती है। इस प्रकार यह हत्यारे इस थोड़ी सी सजा से भय नहीं खाते क्योंकि ये लोग डेसपरेट (मदांध) होते हैं। इन थोड़े से कष्टों की उनको परवाह नहीं होती।

थोड़े दिन हुए कि मेरे एक मित्र ने मुझे बतलाया था कि एक जज साहब ने एक हत्यारे को लाइफ (आजीवन) की सजा दी और उसको फांसी की सजा नहीं दी। परन्तु जब वह जेल से छूट कर आया तो पहला काम उसने यह किया कि जिस आदमी को उसने मारा था उसके १५ बरस के लड़के को मार दिया और फिर जाकर फांसी पर लटक गया।

इस बिल के सपोर्ट (समर्थन) में कहा जाता है कि कभी-कभी बेगुनाहों को फांसी की सजा दे दी जाती है। पर यह तो कानून का दोष नहीं है, यह तो वकीलों की पैरवी और हाकिमों की समझ और जजमेंट (निर्णय) की बात है। इसके विपरीत बहुत से डाकू और हत्यारे, जिन्होंने वास्तव में कत्ल किये हैं वे जुर्म से बरी हो जाते हैं। वकील समाज देश में सलामत रहे, कातिलों को सजा का भय नहीं है। उनकी उत्तम पैरवी से वे जुर्म से बरी हो जाते हैं मेरी समझ में तो आज देश में जो वातावरण है उसको देखते हुए क्षमा और दया के नाम पर कैपीटल पनिशमेंट (मृत्युदंड) को हटाना इन सद्गुणों का दुरुयोग करना होगा। अगर आप ऐसे दयालु हृदय हैं तो बीस बरस की सजा भी क्यों देते हैं, भगवान पर छोड़ दीजिये, वह न्याय करेगा और आखिर कर्म का फल तो मिलेगा ही।

अग्रवाल साहब ने कहा कि सभ्य देश इस प्रथा को छोड़ रहे हैं। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इंग्लैंड और दूसरे देशों में इस बात की चर्चा अवश्य हो रही है। कई देशों ने इसे छोड़ भी दिया है। परन्तु कुछ देश, जिन्होंने इसे छोड़ दिया है, फिर इसे लागू करने की कोशिश कर

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

रहे हैं। इसलिये मेरा यह मत है कि अगर आपको फांसी की सजा से ऐतराज है तो आप इस मृत्यु दंड को इलेक्ट्रिक चेअर (बिजली की कुर्सी) द्वारा देने की व्यवस्था कर दें, परन्तु मैं चाहती हूं कि हत्या के लिये मृत्यु दंड अवश्य रखा जाये। इसको बन्द करना देश के लिये बहुत हानिकारक होगा।

श्री रघुनाथ सिंह : इस सदन में जो व्याख्यान हुए उनके सुनने से यह जाहिर हुआ कि तीन हजार वर्ष पूर्व हम जिस स्थान पर थे अभी भी उसी स्थान पर हैं और इन तीन हजार वर्षों में हमने कोई तरक्की नहीं की है। श्री नि० चं० चटर्जी ने जो आई फार आई और टूथ फार टूथ (जैसे को तैसे) की बात कही वह उस कानून की बात है जो कि ३,२०० वर्ष पूर्व हजरत मूसा को सेनाई पर्वत पर होने वाले यहोवा के इलहाम के फलस्वरूप बनाया गया था। यह बात बाइबिल की तीसरी पुस्तक की है। उसके बाद बहुत समय तक आई फार आई, टूथ फार टूथ, तथा आदमी के बदले आदमी और पशु के बदले पशु की व्यवस्था रही। उसके करीब १२०० वर्ष बाद जब हजरत ईसा मसीह हुए तो उन्होंने एक दूसरी व्यवस्था दी और कहा कि इन्तकाम (प्रतिरोध) को हमारे लिये छोड़ दो। उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चपत मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो, दया। करुणा। उन्होंने कहा कि १२००. वर्षों में मानव समाज ने कोई तरक्की नहीं की। उन्होंने देखा कि इस यहूदी कानून से कि आई फार आई और टूथ फार टूथ की व्यवस्था की जाये, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिये हजरत ईसा मसीह ने कहा कि हमें क्षमा सीखना चाहिये, मनुष्य के दिमाग का परिवर्तन करना चाहिये, उसके विचारों का परिवर्तन करना चाहिये, उसके दिमाग की औषधि करनी चाहिए ताकि कोई अपराध न हो।

उसके पश्चात् हजरत मोहम्मद साहब आते हैं। कुरान शरीफ में उन्होंने जो व्यवस्था की उस व्यवस्था में उन्होंने थोड़ी और तरक्की की और उन्होंने कहा कि आई फौर आई और टूथ फार टूथ तो नहीं होना चाहिये लेकिन अगर किसी की हत्या हो जाय तो उस हत्या के लिये हत्या किये गये व्यक्ति के परिवार के लोगों को कुछ रुपया दे दे या अगर हत्या किये गये खानदान का कोई आदमी हत्यारे से कहे कि हम तुम को इसके लिये क्षमा करते हैं। तब उसको क्षमा करने का अधिकार होना चाहिये.....

†**श्री नन्द लाल शर्मा** (सीकर): मोहम्मद के अनुयायी अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं करते।

श्री रघुनाथ सिंह : उसके पश्चात् आप देखेंगे कि ईसामसीह को जो सूली दी गई वह उस वक्त के प्रचलित जुइश ला (यहूदी कानून) के अनुसार वहां के रोमन गवर्नर ने दी लेकिन आज सारा संसार कहता है और हर कोई कहता है कि ईसामसीह के साथ अन्याय हुआ लेकिन उस वक्त यही कानून वहां पर था और उसी के अनुसार ईसामसीह को सूली की सजा दी गई। इसी तरह मसूर को सूली दी गई। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो यह कहेगा कि मंसूर की जो सूली दी गई वह ठीक थी। इसके आगे चल कर आप देखिये कि आज से ३०० वर्ष पहले इसी दिल्ली नगर में गुरु तेग बहादुर को कत्ल किया गया। उस वक्त के प्रचलित कानून के अनुसार काजी साहब ने अपने धर्म के अनुसार गुरु तेग बहादुर को कत्ल किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज हिन्दुस्तान में कोई ऐसा भी आदमी है जो उस वक्त के कानून को मानने के वास्ते तैयार हो। उसी कानून के अनुसार गुरु अर्जुन देव को उबलते तेल के कड़ाह में डाला गया और गुरु गोविन्द सिंह के बच्चों को जिन्दा दीवार में चुन दिया गया। यह सब बातें उस समय से प्रचलित कानून के अनुसार हुई। मेरा यह कहना है कि दुनिया ने आज तक तीन हजार वर्ष तक फांसी की सजा का एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) किया कि क्या खून और कत्ल के अपराधों को हम फांसी की सजा देकर रोक सकते हैं। हमने देखा कि दुनिया इस एक्सपेरीमेंट में असफल हुई और दुनिया फांसी की सजा देकर खून और कत्ल का अपराध रोकने में अब तक असफल रही है और हम इसको नहीं रोक सके हैं। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से इस दिशा

†मूल अंग्रेजी में।

में तीन हजार वर्ष से एक्सपेरीमेंट चलता आया है उसी प्रकार से कम से कम ५ वर्ष, १० वर्ष या २०, ३० वर्ष तक हमें यह भी एक्सपेरीमेंट करके देखना चाहिये कि हमारे इस कैपिटल पनिशमेंट (मृत्यु-दंड) को उठा लेने से इस अपराध में कमी आते हैं कि नहीं । मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि हिन्दू धर्म तो बड़ा सहिष्णु है और हिन्दू धर्म तो यह कहता है कि जिसको हमें बनाने का अधिकार नहीं उसको हमें बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं अर्थात् जिस मनुष्य को हम बना नहीं सकते उस मनुष्य को हम कत्ल भी नहीं कर सकते और उसे हम फांसी नहीं दे सकते ।

सिक्खों के बारे में मैंने कहा कि उन्होंने अपने कानून के अनुसार उनको दंड दिया। इस विषय में मेरा यह कहना है कि हिन्दू धर्म बड़ा सहिष्णु धर्म है। आर्य सभ्यता तो प्राचीन समय से इसी बात को मानती आई है कि हम जिस चीज को बना नहीं सकते उस चीज को हम बिगाड़ नहीं सकते। इसी तरह मैं आप को बतलाऊं कि यूनानी और ग्रीक लोग क्या कहते थे। उनके अनुसार आदमी ईश्वर का टेम्पुल (मंदिर) है, आदमी ईश्वर का मंदिर है, लिहाजा इस ईश्वर के मंदिर को हमें बिगाड़ने का, ढाने का अथवा नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम ५, १०, २०, ५० या १०० वर्ष तक के लिये मानव जगत को यह भी एक्सपेरीमेंट करके देखना चाहिये कि आया हम सहिष्णुता के द्वारा, प्रेम के द्वारा और स्नेह के द्वारा अपराधों को रोक सकते हैं या नहीं ।

†**श्री पाटस्कर :** इस विधेयक के माननीय प्रस्तावक ने निश्चय ही एक ऐसी समस्या चर्चा के लिये रखी है जो पिछले कई वर्षों से विधि वेत्ताओं के लिये सिर दर्द बनी रही है। यदि इस विषय पर केवल इसी आधार पर विचार किया जाये कि मनुष्य जिसे उत्पन्न नहीं कर सकता उसे नष्ट नहीं करना चाहिये तो वह सिद्धान्तः बिलकुल ठीक है। मनुष्य मनुष्य का निर्माण नहीं कर सका है और इसी कारण मनुष्य को ईश्वर की कृति कहा जाता है। किन्तु ईश्वर ने सभी प्रकार के अच्छे भले आदमियों को बनाया है। इसलिये यह समस्या एक मानवीय समस्या बन गयी है। अतः वह केवल उसी आधार पर हल नहीं की जा सकती ।

इस बात के बावजूद कि मृत्यु दंड की व्यवस्था है मैं ऐसे न्यायाधीशों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में कभी प्राण दंड नहीं दिया, क्योंकि विधि यह नहीं कहती कि मृत्यु दंड अवश्य दिया ही जाना चाहिये। उन परिस्थितियों में मृत्यु दंड दिया जाये या न दिया जाये इसका निर्णय करना न्यायाधीश पर छोड़ दिया गया है। वर्तमान विधि यही है ।

अतः यह एक ऐसी समस्या नहीं है जो केवल सिद्धान्त के आधार पर हल की जा सकती हो। संगठित समाज में कोई यह नहीं चाहता कि जीवन के लिये जीवन लिया जाये। समाज की वह दशा जबकि जीवन का बदला जीवन से लिया जाता था, जिसका निर्देश पंडित ठाकुर दास भार्गव ने किया है, बहुत पहले गुजर गयी है। किन्तु इस प्रकार के अपराध के लिये मृत्यु दंड की व्यवस्था न हो तो सम्भवतः उससे अन्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेंगे। एक माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा है कि एक गांव में किसी के पिता की हत्या की गयी हो और यदि मृत्यु दंड की व्यवस्था न हो, तो जनमत उस पुत्र के पक्ष में इस प्रकार होगी कि वह वही रास्ता अपनाने के लिये बाध्य होगा ।

यह दुःख की बात है कि बुद्ध और ईसा के बावजूद मानवता ने अधिक प्रगति नहीं की है। अतः उनका नाम बीच में लाने से कोई लाभ नहीं। फिर उनके सिद्धान्त तक बताये गये थे तब से आज हजारों वर्ष बीत गये हैं।

सारे मानव समाज को देखते हुए भी मैं निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि लोक मानव जीवन के अस्तित्व के प्रति आदर की भावना रखते हैं। किसी देश विशेष की बात जाने दीजिये किन्तु सारे

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

संसार में आज जो घटनायें घट रही हैं उनसे क्या पता लगता है ? उससे तो यही पता लगता है कि प्रगति की इतनी बात करते हुए भी मानवता में कोई भी प्रगति हुई है ऐसा नहीं जान पड़ता । पाशविक और उच्च आकांक्षा में अभी भी द्वंद्व चलता है। हो सकता है कि यह हमारे दुर्भाग्य के कारण हो। अतः इस समस्या को हमें सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नहीं अपितु अधिकाधिक व्यावहारिक विचारों को दृष्टि से देखना चाहिये। वे विचार कौन से हैं ? सरकार दंड देने के लिये हस्तक्षेप क्यों करती है। इसके दो उद्देश्य हैं। एक अपराधी को सुधारना है। मैं समझता हूं कि जिन मामलों में किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो, वहां सुधार का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और इसी कारण विधि के अधीन जिस दंड का उपबन्ध किया गया है उसका सदैव सहारा नहीं लिया जाता। यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो मृत्यु-दण्ड देने से पूर्व अनेक बातों पर विचार किया जाता है। बहुत ही कम मामलों में न्यायाधीश इस अन्तिम दण्ड का सहारा लेते हैं। वे भी मानव हैं; मैं यह नहीं कहता कि इस मामले में न्यायाधीश अथवा अन्य कोई व्यक्ति गलती नहीं करता । किन्तु इस अधिनियम की कार्य प्रणाली और विशेषकर इस दण्ड के बारे में मैं इस बात से सहमत हो गया हूं । इसके आंकड़े मैं शीघ्र ही पटल पर रखूंगा। उन्होंने विधि द्वारा विहित यह अन्तिम दण्ड केवल उन्हीं मामलों में दिया है जिनमें उन्होंने यह समझा कि ऐसा करने से लोगों को निरुत्साहित किया जाना चाहिये। इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यह प्रतिशोध का प्रश्न नहीं है। न्यायाधीश का किसी भी पक्ष से व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता और वह मृत्यु दण्ड केवल उन्हीं मामलों में देता है जिनमें वह यह समझता है कि यह दण्ड न्याय, समाज और लोकहित की दृष्टि से देना आवश्यक है। अन्यथा मृत्यु दण्ड का सहारा कभी नहीं लिया जाता। अतः इस आधार पर मृत्यु दंड को समाप्त कर देने की बात कहना उचित नहीं जान पड़ता कि कुछ देशों में इस बारे में कुछ कार्य किया गया है।

आजकल के आंकड़े क्या हैं ? मैं पिछले जमाने के इतिहास की बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि जो समय बीत गया वह बीत ही गया और भविष्य अभी आने को है। किन्तु हमारा पथ-प्रदर्शन वर्तमान स्थिति से ही होगा। वह वर्तमान स्थिति क्या है ? १९५३ में सारे देश में ९,८०२ हत्याओं की रिपोर्ट की गई थी। इनमें से केवल ६,४४६ मामलों में अभियोग चलाया जा सका था जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ९,००० से कुछ अधिक हत्याओं के मामलों में से ३,००० मामलों में कोई प्रमाण न मिलने के कारण अभियोग नहीं चलाया जा सका। हो सकता है कि उन्होंने हत्या की हो किन्तु उन्हें दंड नहीं दिया जा सका। इनमें से ३,०४२ में दोष-सिद्धि हुई। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि उनमें से आधे लोगों को कुछ भी दंड नहीं मिला। इस प्रकार १९५३ में दर्ज किये गये ९,८०२ हत्या के मामलों में से केवल ३,०४२ में दोष सिद्ध ठहराया जा सका और जिनमें से कितने लोगों को मृत्यु दंड दिया गया इसके मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं। किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि जिन मामलों में मृत्यु दंड दिया जाता है उनके बारे में हमने एक उपबन्ध बनाया है जिसके द्वारा दोषी ठहराया गया व्यक्ति लगभग सभी मामलों में दया याचिका भेज सकता है और स्वयं अपराधी अथवा उसके सम्बन्धी अन्त तक उसका जीवन बचाने के लिये प्रयत्न कर सकते हैं। १९५३ में लगभग २६३ दया-याचिकायें प्राप्त हुई थीं। अतः ३,०४२ दोषी ठहराये गये लोगों में से लगभग केवल २६३ व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया जा सका। उसमें से भी जब सरकार ने इस मामले पर पुनः जांच की तो उसने ६८ मामलों में दंड में कमी करना उचित समझा अतः ऐसी बात नहीं है कि चूंकि मृत्यु दंड का उपबन्ध है इसलिये विचार किये बिना ही उसका सहारा लिया जाये। इसी प्रकार १९५४ में लगभग ९,७६५ मामले दर्ज किये गये थे जिनमें से लगभग ६,११३ मामलों में अभियोग चलाया गया। किन्तु दोष सिद्ध ठहराये गये मामलों की संख्या ३,०४२ से घटाकर २,८८५ कर दी गई । मैं समझता हूं कि लगभग २२५ लोगों को मृत्यु दंड दिया गया था। दया के लिये

इतनी याचिकायें प्रस्तुत की गई थीं, जिनमें से ५५ मामलों में दंड कम कर दिया गया था । सैद्धांतिक रूप से यह तर्क रखा जा सकता है कि जब ईश्वर के बिना अन्य कोई जीवन नहीं दे सकता तो फिर हमें किसी का जीवन समाप्त भी नहीं करना चाहिये जब तक कि सामाजिक एवं अन्य दृष्टिकोण से ऐसा करना आवश्यक न हो, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं । अतः इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है ।

यह कहा गया था और मैं समझता हूं कि इसी से यह प्रश्न सभा में उत्पन्न हुआ और इस पर चर्चा हुई थी कि गत वर्ष इंग्लिस्तान में एक माननीय सदस्य ने एक संकल्प रखा था जो पारित भी हो गया था ।

†**श्री रघुबीर सहाय :** वह गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक था ।

†**श्री पाटस्कर :** मैं समझता हूं कि वह संकल्प था । मैं ठीक नहीं कह सकता । इस पर वहां क्या हो रहा है यह बताने से पूर्व मैं यह कह देना चाहता हूं कि कुछ आंकड़े ऐसे हैं, जिनसे पता लगेगा कि वहां और यहां के अपराधों में क्या अनुपात है। १९५३ में इस प्रकार के अपराधों का अनुपात हमारे देश में दस लाख में २७·१ था । १९५४ में यह प्रतिशत दस लाख में २६·९ था । अब हमारे मित्र श्री चटर्जी ने बताया है कि स्विटज़रलैंड में यह दंड समाप्त कर दिया गया है । सम्भवतः स्विटज़रलैंड एक ऐसा देश है जहां के लोगों में कुछ अच्छाइयां आ गई हैं । इस देश ने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया है । जिस समय मृत्यु दंड समाप्त किया गया वहां का अनुपात दस लाख में ४·६ था जब कि हमारे यहां जैसा कि मैं बता चुका हूं १९५३ और १९५४ में यह अनुपात दस लाख में २८ था । सारे आंकड़े देकर मैं सभा के ऊब जाने का कारण नहीं बनना चाहता । ग्रेट ब्रिटेन में ही इस शताब्दी के प्रथम पचास वर्षों में मृत्यु दंड दिये जाने योग्य दंडों का अनुपात ३·८९ था । इंग्लैंड और वेल्स का यही अनुपात था । स्काटलैंड में अभी तक यह अनुपात २·८२ से कम है ।

अतः केवल यह कहना कि चूंकि इंग्लैंड में इस ओर कुछ कार्य हुआ है इसलिये हमें भी करना चाहिये, सैद्धान्तिक आधार पर न्यायोचित नहीं जान पड़ता । दूसरी ओर मुझे यह बताया गया है कि इंग्लिस्तान ने भी मृत्यु-दंड को समाप्त करने के पश्चात् कुछ प्रकार के अपराधों के लिये उसे पुनः लागू करना आवश्यक समझा । हाल ही में प्रस्तुत किये गये विधेयक के द्वारा वे यही करने का विचार करते हैं । अब पांच प्रकार के मामलों के लिये वे मृत्यु-दंड के उपबन्ध को चलाते रहना चाहते हैं जो इस प्रकार हैं । चोरी करते समय पकड़े जाने पर गोली चला कर अथवा वैसे हत्या करना; विधि विहित गिरफ्तारी को हत्या के द्वारा रोकना; विधि अभिरक्षा से भागने के दौरान में हत्या करना; लोक सेवा कार्य करते समय किसी पुलिस पदाधिकारी की हत्या करना; जेल पदाधिकारी द्वारा अपना कार्य करने अथवा उसकी सहायता करने वाले व्यक्ति की बन्दी द्वारा हत्या करना ।

कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी सरकार ने जब ठीक समझा तो इसे समाप्त कर दिया किन्तु फिर चालू कर दिया । अमेरिका के ८ या ९ राज्यों में ही ऐसा हो चुका है । अतः यह मसला ऐसा नहीं है कि जो केवल सैद्धान्तिक विचारों अथवा न्याय सम्बन्धी सिद्धान्तों को लागू करके हल किया जा सके । माननीय सदस्य श्री नि० चं० चटर्जी, इस संशोधन के प्रस्तुतकर्त्ता श्री रघुबीर सहाय और मेरे माननीय मित्र एवं अनुभवी संसद् सदस्य और बहुत बड़े वकील पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हमारे लिये चेतावनी स्वरूप हैं कि मृत्यु-दंड ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में यों ही निर्णय किया जा सके । उनका यह कथन बिल्कुल सत्य है । अतः सारी बातों पर विचार करते हुए मैं समझता हूं कि अभी वह समय नहीं आया है जब कि मृत्यु-दंड को समाप्त किया जा सके यद्यपि हम यह कामना अवश्य कर सकते हैं कि हमारे समाज की ऐसी उन्नति होनी चाहिये

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

जिस से मृत्यु-दंड की आवश्यकता न रहे । सम्पूर्ण देश की इस समय ऐसी दशा है, उसमें लगभग २०० व्यक्तियों को अत्याधिक घृणित अपराधों के लिये मृत्यु दंड दिया जाता है । वे अपराध निश्चय ही वैसे रहेंगे क्योंकि मैं बता चुका हूं कि कोई भी न्यायाधीश बहुत कम मृत्यु-दंड देता है । वे मृत्यु-दण्ड केवल तभी देते हैं जब तक कि उनका बड़ा घृणित अपराध न हो अथवा वे यह चाहते हैं कि अन्य लोगों को ऐसा अपराध करने से रोका जा सके । हमें अपराधों के अधिक अनुपात को विचार में रखना चाहिये । आखिर दंड दिया क्यों जाता है ? प्रतिशोध के कारण नहीं अपितु इस कारण कि यदि हम समाज में स्थायित्व चाहते हैं और यदि हम ऐसे अपराधों को रोकना चाहते हैं जिन से एक व्यक्ति निर्दयतापूर्वक दूसरे की जान का गाहक बन जाता है, तो फिर इसको रखना होगा इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है । हमारे देश के कुछ गिरोहों का उल्लेख किया गया था, जो संगठित होकर वहां जीविका के लिये उन क्षेत्रों में घुसने वाले लोगों को मार डालते हैं । ऐसे गिरोह अभी तक पाये जाते हैं । हम इस ओर से आंख नहीं मूंद सकते । इसे रोकने के लिये सरकार यथासम्भव प्रयत्न कर रही है । इसी कारण कुछ विलम्ब हो जाना स्वाभाविक है । क्या यह चिल्लाने से कोई प्रयोजन सिद्ध होगा कि अब भविष्य में मृत्यु-दंड नहीं दिया जाया करेगा । यह जो थोड़ा सा भय है उसे हम दूर कर देंगे । जिस प्रकार विधि में इतनी सुरक्षाओं की व्यवस्था की गई है, तो फिर मृत्यु-दंड को समाप्त कर देना न्यायोचित नहीं होगा । वस्तुतः कुछ ही मामलों में मृत्यु-दंड दिया जाता है । मैंने जो आंकड़े दिये हैं उनसे यह बात माननी पड़ेगी कि मृत्यु दंड साधारण ही नहीं दिया जाता है । अन्य उपायों की भी तो व्यवस्था है जैसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील करना और अन्ततोगत्वा राष्ट्रपति के पास दया-याचिका प्रस्तुत करना ।

मैं उन माननीय सदस्यों के कथन से सहमत हूं जो यह कहते हैं कि हमें मानवता की प्रगति करने के उच्च विचारों का उचित सम्मान करना चाहिये । यह सच है मानव समाज पिछले ३,००० वर्षों से संघर्ष करता चला आ रहा है और मनुष्य अपनी परम सीमा तक पहुंचने का प्रयत्न करता रहा है । वह उठने का प्रयत्न करता है किन्तु दुर्भाग्यवश फिर गिर पड़ता है । ऐसा शताब्दियों से होता आ रहा है । मैं इस विधेयक के अन्तर्निहित उद्देश्य से सहमत हूं । कि हमारे देश में ऐसा समाज बने जिसमें इस प्रकार के दंड की आवश्यकता न रहे । लेकिन ऐसा कब तक सम्भव होगा ? मृत्यु-दंड को समाप्त करने से ऐसा होना सम्भव नहीं वह तो सामाजिक आचरण, सामाजिक विचार और सामाजिक कार्य-कलापों के स्तर को ऊंचा उठाने से ही हो सकेगा । यह आदर्श केवल हमारे ही देश के सम्मुख नहीं अपितु हजारों वर्षों से सम्पूर्ण मानव समाज के सम्मुख रहा है । जैसा कि विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता ने कहा है कि जान पड़ता है कि हमने बहुत कम प्रगति की है । केवल इसी में मानव समाज ने इतनी कम प्रगति नहीं की है । हमें चारों ओर देखना चाहिये कि संसार में आज क्या हो रहा है । मैं इस बात को मानने के लिये सहमत हो गया हूं कि न केवल इसी मामले में अपितु अन्य मामलों में भी मनुष्य ने मानव जीवन के अस्तित्व को अधिक महत्व देना बन्द कर दिया है । हमें सैद्धान्तिक विचारों में नहीं बह जाना चाहिये । मैं यह नहीं चाहता कि चूंकि इंग्लैंड में इस बारे में कुछ कार्य हुआ है इस कारण अन्य देशों में किया जाना चाहिये । सब की स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं । इंग्लैंड में भी इसे पुनः जारी करने की बात सोची जा रही है । हमें इस बारे में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये । इस दृष्टिकोण से मैं आशा करता हूं कि मैंने सभा को जो जानकारी दी है उससे सदस्य यह स्वीकार कर लेंगे कि अन्य देशों में चाहे जो कुछ हुआ हो, किन्तु हमारे देश में, जैसी अवस्था इस समय समाज की है उसमें उथल-पुथल मचाये बिना अथवा वर्तमान व्यवस्था में असन्तुलन उत्पन्न किये बिना मृत्यु-दंड को समाप्त नहीं किया जा सकता । इस कारण जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके उपबन्ध मैं कम से कम इस समय स्वीकार नहीं कर सकता । इसलिये मैं खेदपूर्वक इस विधेयक का विरोध करने के लिये विवश हूं ।

मेरे माननीय मित्र श्री रघुबीर सहाय का एक प्रस्ताव यह था कि जनता की राय जानने के लिये विधेयक को परिचालित करना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने इसका भी समर्थन किया था। सामान्यतः मैं इस पर आपत्ति न करता। किन्तु जितनी जानकारी मुझे प्राप्त थी वह सभा को बताने के बाद मैं माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इससे कोई प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? बल्कि, इसके विपरीत, इसका फल केवल यह होगा कि एक ऐसे मामले पर आन्दोलन उठ खड़ा होगा जिसका निबटारा करने का समय अभी नहीं आया है। हम यह काम करें भी क्यों? हमारे देश के सामने विभिन्न समस्यायें हैं। मैं इस पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। यदि विधेयक का उद्देश्य यह है कि इस विषय पर जनता में सैद्धान्तिक चर्चा छिड़ जाय, तो इस का लाभ क्या होगा और हमें विश्वास भी है कि इस समय ऐसा सम्भव भी नहीं है।

विधि आयोग की बात भी कही गयी थी। मैं उन माननीय सदस्यों से भी सहमत हूं जिन्होंने यह कहा कि हमारी प्रगति प्राणदंड का उपबन्ध रखने या इसे हटाने से नहीं होगी बल्कि अन्य उपायों से भी होगी। हमने देश की मूल विधियों को बदलने के उद्देश्य से विधि आयोग भी नियुक्त किया है। इस सभा ने निश्चय किया था और वह आयोग नियुक्त किया गया है। उस आयोग ने कुछ प्रतिवेदन दिये हैं। मुझे पता नहीं कि वे प्रतिवेदन सभा में रखे गये हैं या नहीं। मैं उन्हें सभा-पटल पर रखूंगा। आयोग के सामने कई समस्यायें हैं। वे समस्यायें दीवानी कानून, फौजदारी कानून और कई प्रकार की हैं। उनके हल करने में समय लगेगा। मुझे विश्वास है कि विधि आयोग को अपना काम समाप्त करने से पहले इस विषय पर भी विचार करना पड़ेगा और प्रतिवेदन देना पड़ेगा। साधारणतया यदि जनता की राय जानने के लिये किसी विधान का प्रकाशन किया जाना हो तो मै उसका विरोध कभी नहीं करता परन्तु मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है। इस संसद् का यह सत्र सम्भवतः अन्तिम होगा। कम से कम मुझे तो विश्वास है कि यह समय ऐसा सुधार करने के लिये उपयुक्त समय नहीं है। इस समय जब कि जनता और कई समस्याओं के सम्बन्ध में चिन्तित है, हम यह प्रश्न उसके सामने क्यों रखें? यह उनके लिये एक और सिर दर्द हो जायगा। इसलिये मैं अपने माननीय मित्र श्री रघुबीर सहाय से यह अनुरोध करूंगा—इस में सन्देह नहीं कि उन्होंने बड़े अच्छे इरादे से यह प्रस्ताव रखा है—कि यदि वे मेरी दलीलों से सहमत हों तो अपना संशोधन वापिस ले लें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अपना भाषण कुछ संक्षिप्त करना चाहिये।

†**श्री मु० ला० अग्रवाल** : मुझे यह आशा थी ही नहीं कि सभी विचारधाराओं के माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे, पर मुझे इस से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि जिन सदस्यों ने इसका विरोध किया है उन्होंने भी विधि को इस सम्बन्ध में सुधारे जाने की आवश्यकता को समझा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जोर दिया है कि प्राण दंड एक भयोत्पादक दंड है। मैं इसे मानता हूं, पर मेरा कहना यही है कि यह कोई अद्वितीय भयोत्पादक दंड नहीं है। मृत्यु-दंड से किसी को लाभ नहीं होता है और न जिस व्यक्ति की हत्या की जाती है उसके परिवार वालों के कष्टों का निवारण होता है। यदि हत्या करने वाले को आजन्म कारावास दिया जाये और वहां उसके लिए मेहनत करके, कुछ कमाई करके, मृत व्यक्ति के परिवार का भरण-पोषण करना अनिवार्य कर दिया जाये, तो मैं समझता हूं कि वह दंड इस वर्तमान प्रतिहिंसक दंड से कहीं अच्छा होगा।

श्री टेक चन्द ने दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन का उल्लेख करते हुए कहा है कि अब उस संशोधन के बाद दंड विधि में ऐसा कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उस संशोधन द्वारा तो केवल यही किया गया है कि न्यायाधीश को कोई दंड विशेष देने के

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मु० ला० अग्रवाल]

लिये अब कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, उच्च न्यायालय तो उस पर आपत्ति कर सकता है।

सन् १९४७ में, प्रिवी कौंसिल ने एक अन्य मामले के सम्बन्ध में एक निर्णय किया था कि मद्रास उच्च न्यायालय ने सन् १९३७ में अथप्पा गोंढान के एक ऐसे ही मामले में उसके अपराध स्वीकरण के आधार पर प्राण-दंड देकर गलती की थी।

हाल में, उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सन् १९२४ में दिये गये प्राण-दंड के एक निर्णय को अवैध करार दिया है। और मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय से पूर्ण सन् १९२४ से १९५५ तक दिये गये प्राण-दंडों से जनता बहुत ही दुःखी है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इंग्लैंड में भी पहली जूरी द्वारा छोड़ दिये जाने पर भी द्वितीय जूरी ने वूल्मिंगटन को प्राणदंड दिया था, और अपीलीय न्यायालय ने इस निर्णय को उचित भी करार दिया था, लेकिन हाउस आफ लार्डस ने उसे बाद में गलत ठहराया था और कहा था कि अभियोक्ता पक्ष को पूरी तौर से अपराध को सिद्ध करना चाहिये था।

इंग्लैंड में विधि का जो एक गलत सिद्धान्त सन् १७६२ से चला आ रहा था, उसे सन् १९३५ मे बदल दिया गया। "ला जर्नल" में एक लेखक ने लिखा था कि यदि हमारे न्यायाधीश विधि की पूरी जानकारी रखते होते तो न जाने कितने तथाकथित हत्यारे आज सम्मानपूर्ण जीवन बिता रहे होते।

इसलिये, निर्णय में गलतियां भी हो सकती हैं। पंडित ठाकुर दास भार्गव का कथन है कि थोड़े से ही मामलों में गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों से जिनके प्राण जाते हैं उनके लिये क्या सांत्वना हो सकती है?

उत्तर प्रदेश में हत्याओं के लिये दोषी ठहराये गये प्रति २०० व्यक्तियों में से केवल तीन को फांसी चढ़ना पड़ता है। लेकिन, इस सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय से कैसे बताया जा सकता है कि कितने वास्तव में प्राण दंड पाने के अधिकारी होते हैं? इसलिये, वर्तमान विधि त्रुटि पूर्ण है, इससे अपराधों में कोई भी कमी नहीं होती है।

आप आंकड़े देखिये। यदि देश भर में, आपकी भयोत्पादक विधि के रहते हुए भी, प्रतिवर्ष ९,००० हत्यायें होती हैं, तो फिर उसका भयोत्पादक प्रभाव क्या रहा? उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये।

मेरा प्रस्ताव इस विधेयक पर विचार किये जाने का है और मेरा अनुरोध है कि उसे प्रभावी बनाया जाना चाहिये। इसे परिचालित करने का प्रस्ताव स्वीकार करने में भी कोई हानि नहीं है। यदि जनमत प्राणदंड के रखे जाने के पक्ष में रहता है, तो उससे सरकार को ही बल मिलेगा।

पंडित ठाकुर दास के कथन से मैं सहमत नहीं हूं। मेरा मत तो यह है कि जो लोग प्राणदंड को बनाये रखना चाहते हैं, उन्हीं का यह कर्त्तव्य है कि वे इसके औचित्य को सिद्ध करें और बतायें कि यह एक उत्तम भयोत्पादक तरीका है।

मैं विधि कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि मेरा प्रस्ताव वे स्वीकार नहीं करते हैं, तो कम से कम श्री रघुबीर सहाय का इसे परिचालित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस परिचालित करने के प्रस्ताव को मतदान के लिये रखना आवश्यक है ?

†**श्री रघुबीर सहाय** : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि एक भी माननीय सदस्य को इस पर आपत्ति है, तो मुझे इसे मतदान के लिये रखना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा परिचालन प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**श्री राघवाचारी** : प्रथम संशोधन को देखते हुए मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री मु० ला० अग्रवाल का प्रस्ताव मतदान के लिया रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

मद्रास तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज सुबह त्रिचनापल्ली के निकट अड़ियालूर और कल्लागम के बीच एक गम्भीर दुर्घटना हो गई है। अभी तक जितनी सूचना मिल सकी है, वह अपूर्ण है और वह हमें थोड़ी-थोड़ी करके ही मिल रही है। आशा है कि आज शाम तक हमें अधिकृत विवरण मिल जायेगा । रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन इस प्रकार है ।

आज सुबह लगभग साढ़े पांच बजे दक्षिण रेलवे की ६०३ डाऊन तूतीकोरिन एक्सप्रेस, जो गत रात्रि को २१-५० बजे मद्रास इगमोर से चली थी, मद्रास से १७०/१४-१२ मील की दूरी पर, अड़ियालूर और कल्लागम स्टेशनों के बीच, मरुद्यार नदी के पुल संख्या २५२ के त्रिचनापल्ली की ओर सिरे के छज्जे (एबटमेंट) पर एक गम्भीर दुर्घटना में ग्रस्त हो गई। उसका इंजिन और उसके साथ वाले सात सवारी डिब्बे, भीषण वर्षा के साथ पहुंच-किनारे (पहुंच किनारे) के बह जाने के कारण, छज्जे के पीछे नीचे गिर गये । आठवें सवारी डिब्बे के सभी पहिये पटरी से उतर गये लेकिन फिर भी वह पुल पर ही खड़ा रहा। पीछे के चार सवारी डिब्बे पटरियों पर सुरक्षित खड़े रहे ।

अन्तिम उपलब्ध सूचना के अनुसार ६८ मृत व्यक्तियों के शरीर अभी तक खोज लिये गये हैं और खोज का कार्य अभी चालू है। ६० व्यक्तियों को चोटें आई हैं और उनको एक विशेष ट्रेन द्वारा उस स्थान से हटा लिया गया था । यह विशेष ट्रेन साढ़े दस बजे त्रिचनापल्ली जंकशन के लिये चली थी। रेलवे मार्ग के ऊपर तक पानी चढ़ आने के कारण, इस ट्रेन को लालगुड़ी स्टेशन पर रुक जाना पड़ा । फिर भी, त्रिचनापल्ली से एम्बुलैन्स गाड़ियां मंगाई गई हैं और आशा है कि उन्हें एम्बुलैंस गाड़ियों द्वारा त्रिचनापल्ली के अस्पताल में पहुंचाया जा सकेगा । त्रिचनापल्ली और विल्लुपुरम् दोनों ही स्टेशनों से सहायता ट्रेनें दुर्घटना के स्थान पर शीघ्रता से भेजी गई थीं, और ज्ञात हुआ है कि पर्याप्त चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था की जा चुकी है। ट्रेन के पिछले चार डिब्बों को, जो सुरक्षित खड़े रह गये थे, उनके सभी यात्रियों के साथ अड़ियालूर ले आया गया है। घटनास्थल और उसके पास के स्टेशनों के बीच तार संचार की व्यवस्था भी भंग हो गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

सीधी संचार सेवा के २६ तारीख तक पुनः आरम्भ हो जाने की आशा है। चूंकि मरुद्यार नदी में लगभग ६ फीट पानी बह रहा है और यह पुल लम्बाई में ५०० फीट लम्बा है, इसलिये यातायात का वाहनान्तर सम्भव नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : नदी का पानी पुल से छः फीट ऊपर बह रहा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी, नहीं। नदी तल से छः फीट ऊपर।

उपमंत्री श्री अलगेशन, जो आज सुबह मद्रास पहुंचे थे, अब अन्य रेलवे अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये हैं। डाक्टर भी चिकित्सीय सहायता गाड़ी के साथ वहां पहुंच गये हैं और उनकी सहायता के लिये जो कुछ भी करना सम्भव है किया जा रहा है। आहतों और मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, और मैं जानता हूं कि यह दुर्घटना हम सभी के लिये कितनी गम्भीर चिन्ता का विषय बन गई है।

†**श्री वल्लाथरास** (पुदुकोटै) : क्या माननीय मंत्री आहत या मृत व्यतिक्यों के नाम जानते हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : अभी तक नहीं। अभी तक मेरे पास सूचना नहीं आई है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि वे इस सम्बन्ध में क्या पग उठान जा रहे हैं। दुर्घटना कोई छोटी-मोटी चीज नहीं है। हर बार जब भी गाड़ी गिरती ह तो बहुत से लोग मारे जाते हैं और बहुत से घायल होते हैं। प्रति दिन लगभग ३० लाख व्यक्ति यात्रा करते हैं। यदि और कोई प्रजातंत्र देश होता, तो वहां मत्री को हटा दिया गया होता।

†**एक माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्यों नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस विषय को बाद में लेंगे। यदि माननीय सदस्य स्वयं मंत्री होते तो वे अब क्या जवाब देते ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं तत्काल त्यागपत्र दे देता।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा, तो वक्तव्य आपके सामने है। जहां तक हैदराबाद के मामले का सम्बन्ध है, मैंने सभा के समक्ष रखे गये प्रतिवेदन के प्रारूप पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है। इसी प्रकार की चीजें की जा सकती हैं।

†**श्री वीरस्वामी** (मयूरम् ––रक्षित––अनुसूचित जातियां) उठे––

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सोमवार, ११ म० पू० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६]

विषय **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३४१

लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकायें) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली १६ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७१९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई ।

राज्य-सभा से सन्देश ३४१–४२

सचिव ने राज्य-सभा से निम्न सन्देशों के प्राप्त होने की सूचना दी :

(१) कि राज्य-सभा लोक-सभा द्वारा १४ नवम्बर, १९५६ को पारित व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है;

(२) कि राज्य-सभा ने पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक १७ नवम्बर, १९५६ को पारित कर दिया है;

(३) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा १५ नवम्बर, १९५६ को पारित भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रख दिया गया ३४२

सचिव ने राज्य सभा द्वारा पारित पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक सभा-पटल पर रखा ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । ३४२

तैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

पुर:स्थापित विधेयक ३४३–४४

(१) विदेशियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक ।

(२) सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक ।

(३) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक ।

(४) भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक ।

पारित विधेयक ३४४–५६

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डश: विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विषय	पृष्ठ
विचाराधीन विधेयक	३५६–६४
पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले) ने प्रस्ताव किया कि फरीदाबाद विकास निगम विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ	३६४
तिरेसठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के पुरःस्थापित विधेयक	३६५–६६
निम्नलिखित विधेयक पुरःस्थापित किये गये :	
(१) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०७ का संशोधन) द्वारा श्री रघुनाथ सिंह;	
(२) भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन और धारा १० और ११ आदि का रखा जाना) द्वारा श्रीमती मायदेव;	
(३) दंड विधि संशोधन विधेयक द्वारा श्री पोकर साहिब;	
(४) संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, १९५६ (धारा ६ का संशोधन) द्वारा श्री केशवैयंगार;	
(५) विदेशी राजदूतावासों में भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति विधेयक द्वारा श्री कृष्णाचार्य जोशी ।	
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक अस्वीकार किया गया	३६६–८९
श्री मु० ला० अग्रवाल के दंड विधि संशोधन विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही । प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य ...	३८९–९०
रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
सोमवार, २६ नवम्बर १९५६ की कार्यावली—	
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक पर आगे चर्चा और उसका पारित किया जाना और निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक पर विचार ।	

M37LSD—190—28-2-58—GIPF.